खण्ड-257, अंक-9
शुक्रवार, 10 वैशाख, शक संवत् 1887
(30 अप्रैल, 1965 ई0)

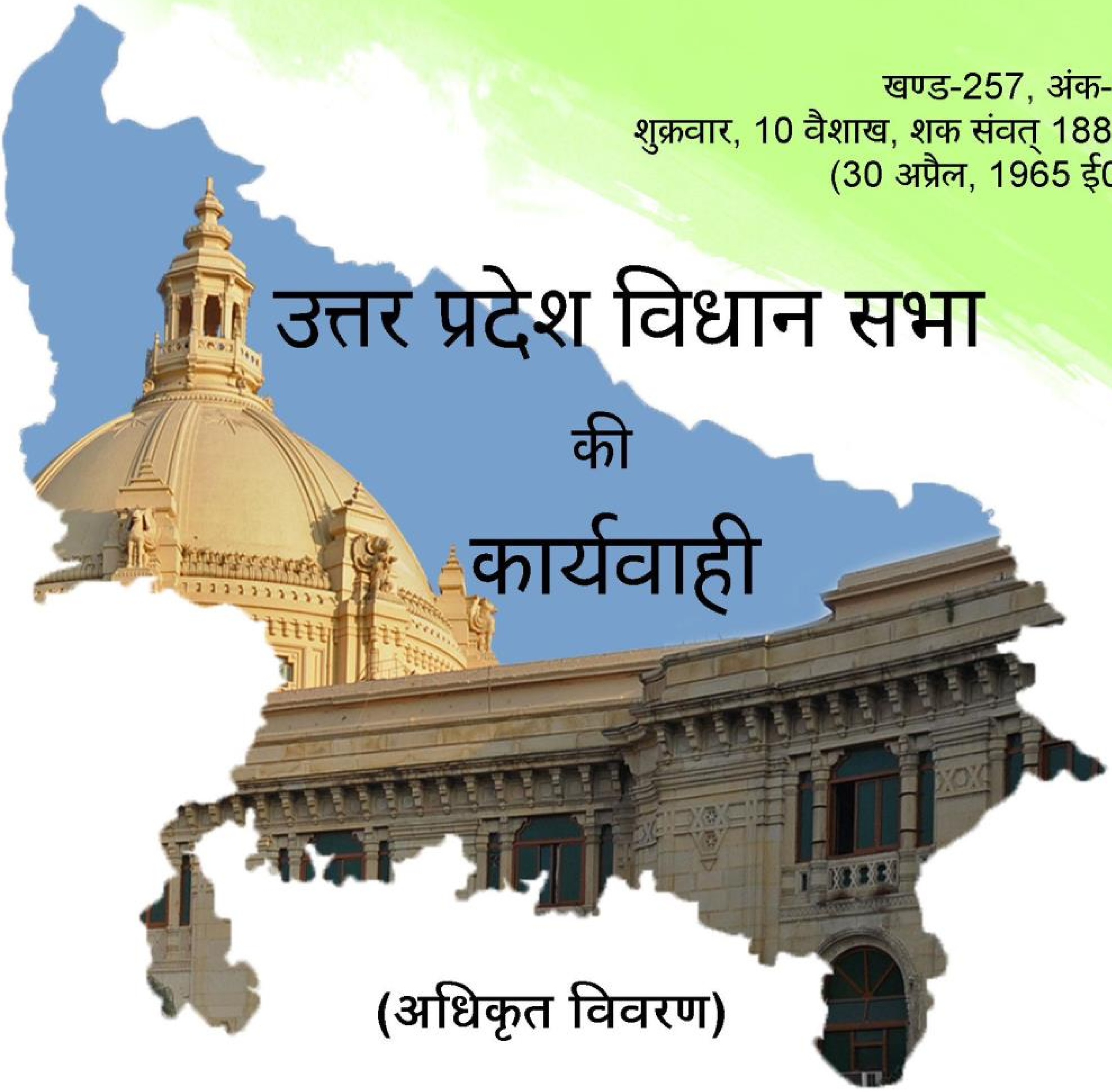

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 257 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ९९१–९९५ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ९९५–१०४४ |
| भूतपूर्व सदस्य, श्री राजवंशी राय के निधन पर शोकोद्गार .. | १०४५–१०४७ |
| प्रश्नों के स्थगन तथा उत्तर बदले जाने पर आपत्ति .. | १०४७–१०४८ |
| नियम ५० के अन्तर्गत चर्चित विषय पर मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण न दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत .. .. | १०४८–१०४९ |
| उत्तर प्रदेश आवास एवम् विकास परिषद् वियक, १९६५, को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सहमति की सूचना .. .. .. .. | १०४९ |
| याचिका समिति (१९६४–६५) का पृष्ठ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. | १०५० |
| प्राक्कलन समिति का दसवां, ग्याहरवां एवम् बारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये) .. .. .. .. | १०५० |
| कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी .. .. .. | १०५० |
| अयोध्या पुल दुर्घटना की जांच के सन्दर्भ में सूचना .. .. | १०५१ |
| अयोध्या पुल दुर्घटना की जांच के लिये कमीशन नियुक्ति के सम्बन्ध में कथित गलत बयानी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी गई) .. | १०५२ |
| कौमी आवाज में सदन की कार्यवाही गलत छापने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी गई) .. | १०५२–१०५४ |
| श्री शराफत हुसैन रिजवी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी गई) .. | १०५४ |
| नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें .. .. .. | १०५४ |
| उत्तर-प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. | १०५४–१०५६ |
| सेंश्यो मोशन के सम्बन्ध में जानकारी .. .. .. | १०५६ |
| विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. | १०५६–१०५७ |
| पाकिस्तान द्वारा भारत सीमा पर किये गये अतिक्रमण में हुये शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत) | १०५७–१०७९ |
| पंचवर्षीय योजनाओं से हुई प्रगति की जांच एवं सुझाव देने हेतु एक कमेटी की स्थापना के संबंध में संकल्प (जारी) | १०८०–११०८ |
| विधान सभा का सत्रावसान तथा आह्वान .. .. .. | ११०८–११०९ |
| नत्थियां .. .. | १११०–११३० |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

## उपस्थित सदस्य ३९२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री

गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्र बली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पान्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराअग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तमिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतराम, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंह नारायणपाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथ सरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह , श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेनीराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री

मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारीबाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रियासतहुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मीसुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथपाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती

शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईदअहमद, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंवार, डाक्टर
सीताराम डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल श्री (इटावा)
सुखलाल श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम , श्री
सुशीलारोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, वित्तमंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय, भी उपस्थित थे ।

---

## प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९६५

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### विकास खण्ड कम करना

**१--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने राज्य के लगभग २०० (दो सौ) या उससे कुछ कम या अधिक विकास खंडों को समाप्त करने को तय कर लिया है या इस पर विचार कर रही है ? यदि ऐसा है, तो कितने विकास खंडों को समाप्त किया जायगा और उसमें सामुदायिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अभी तक सरकार ने कोई ऐसा निश्चय नहीं किया है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि सरकार ने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया है तो क्या यह सरकार के विचाराधीन है कि बहुत बड़ी मात्रा में विकास खंडों को खत्म कर दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, आंध्र प्रदेश ने एक ऐसा प्रयोग किया है और अभी हमारी स्टडी टीम विकास मंत्री के नेतृत्व में वहां गयी थी, वह लोग देखकर के आये हैं और यह भी एक विचार है कि विकास खंडों की संख्या किसी हद तक कम की जा सकती है । यह भी एक बात सामने है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

जहां तक मेरी सूचना है, दो सौ, ढाई सौ विकास खंड हटाये जा रहे हैं, तो इनको हटाने से यहां के सामुदायिक विकास की योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, वैसे तो जैसा मैंने बताया, अभी सरकार ने कोई इनको कम करने की बात तय नहीं की है लेकिन अगर वह कम हो भी जायं तो उसमें कोई असर इस पर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ब्लाक्स फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और सेकेंड स्टेज पोस्ट टू तक के हैं और उसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो रुपया है वह क्रमशः कम होता जाता है । तो इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

यह दो, ढाई सौ ब्लाक जो कम किये जा रहे हैं इनमें काम करने वाले लगभग १ हजार कर्मचारियों के लिये क्या व्यवस्था माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अभी तो विचाराधीन सब बातें हैं और जो प्रश्न हो रहे हैं वह ऐसे हो रहे हैं गोया यह निश्चय हो चुका है कि वह हटाये जायेंगे । (श्री बंशीधर पांडेय से) आप जरा स्पेसिफिकली बता दीजिये ।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, अभी कर्मचारियों के हटाने का और उनके बेकार होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

एलेक्शन कमीशन जो अपना डीलिमिटेशन करने जा रहा है वह विकास खंडों के आधार पर करने जा रहा है और विकास खंड पुराने पंचायत क्षेत्रों के आधार पर बने हैं, इसको देखते हुये क्या विकास खण्डों के पुनर्गठन की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

विकास खंड और न्याय पंचायतें यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में डीलिमिटेशन की आधार होंगी, लेकिन उसमें आबादी भी है, हमारे विकास खंडों में अभी कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है लेकिन अगर कोई परिवर्तन हो तो भी असेम्बली और पार्लियामेंट की सीटों की बेसिस तो आबादी होती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक यह योजना कार्यान्वित हो जायगी या निर्णय उनके द्वारा हो जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस संबंध में अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

यदि इस किस्म की कोई योजना है कि जिसमें विकास खंड कम किये जाने वाले हैं तो उसके आधारभूत सिद्धांत क्या हैं, यह प्रश्न कैसे आया सरकार के सामने ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि एक ऐसा प्रयोग आंध्र प्रदेश में हो रहा है और उसी प्रयोग को देखने के अनन्तर इस पर कुछ विचार हो रहा है ।

श्री राजनारायण मिश्र—

मैं अपनी बात पूरी कह दूं । यदि ऐसा विचार है तो आंध्र प्रदेश में कौन से ऐसे फायदे हुये हैं जो सरकार ने देखे और जिनसे सरकार का विचार हुआ कि इस प्रदेश में भी ब्लाकों को कम कर दें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सारे जो विकास खंड कम होने को होंगे और इस निश्चय पर सरकार पहुंचेगी, तो सारे फायदे का और कमी का लेखा जोखा आपके सामने आयेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि विकास खंडों को कम करने की नीति पर जिस वक्त विचार करेंगे, उनके साथ इस पर भी विचार करेंगे कि इससे जितने विकास खंडों के अधिकारी कम होंगे, उनके लिये भी कोई निश्चय साथ ही साथ हो ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

मंत्री जी ने अभी बताया कि यह मामला विचाराधीन है तो यह देखते हुए कि यदि इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि कुछ विकास खंड कम करने पड़े, तो इस बीच में जिन विकास खंडों के भवनों का निर्माण हो रहा है, जब तक यह निर्णय नहीं होता, तब तक उन भवनों को न बनाया जाय, इस पर भी विचार करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बात शासन के विचाराधीन है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आंध्र प्रदेश ही में ऐसा हो रहा है और क्या उन्होंने दूसरे राज्यों से भी मालूम किया है कि वहां पर भी इस किस्म की कार्यवाही हो रही है? यदि और प्रदेशों में ऐसी कार्यवाही नहीं हो रही है तो मंत्री जी क्यों विचार कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी हमने तोड़ने की बात तय नहीं की है, सरकार ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मंत्री जी बतायेंगे कि नई सेन्सस के मुताबिक और डिलिमिटेशन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के लिये ४२५ असेंबली की सीटों का निर्धारण किया है तथा सारे प्रदेश में आजकल करीब करीब ९०० ब्लाक हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि सीटों के प्रोपोर्शन में सारे प्रदेश के अन्दर ८०० के करीब विकास खंड होने चाहिये। अगर एक कंस्टीट्युयेंसी में दो विकास खंड रखें तो इस हिसाब से साढ़े आठ सौ विकास खंड सारे प्रदेश में होने चाहिये। तो इस प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुये सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सारे उत्तर प्रदेश को ८५० खंडों में ही बांट दिया जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

## २२ मार्च, १९६३, को श्री घासीराम जाटव द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न १३७-१३९ के उत्तर में संशोधन

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

श्रीमन्, २२ मार्च, १९६३, को श्री घासीराम जाटव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न १३७-१३९ का संशोधित उत्तर निम्न प्रकार है--

श्री घासी राम जाटव--

| मूल प्रश्न | मूल उत्तर |
|---|---|
| *१३७--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सन् १९४६ में मौजा जैनपुर नागर तहसील, जिला इटावा में कोर्ट आफ वार्ड्स की तरफ से चकबन्दी कराई गई थी और चकों की अदला-बदली में किसानों से काफी पेड़ों का रुपया वसूल करके इटावा तहसील में ही जमा करा दिया गया था ? | *१३७--इस संबंध में कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं हैं। |
| *१३८--क्या यह सही है कि उक्त चकबन्दी के दौरान कुछ अनियमितताओं की शिकायत पर उस समय चकबन्दी रोक दी गयी थी ? यदि हां, तो वह रुपया किसानों को आज तक वापस न करने का क्या कारण है ? | *१३८--यह प्रश्न नहीं उठता। |
| *१३९--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया अब तक जमा नहीं किया गया है क्या उसे इस बार होने वाली चकबन्दी के सिलसिले में किसानों को वह रुपया उनके पास मौजूद पुरानी रसीदों के आधार पर मुजरा करने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ? | *१३९--यह प्रश्न नहीं उठता। |

संशोधित उत्तर

*१३७--जी हां। इटावा के जैनपुर नागर ग्राम में कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में वर्ष १९४६ में चकबन्दी हुई थी और पेड़ों

के मुआवजे का कुछ रुपया कृषकों से लेकर राजकोष में जमा किया गया था।

*१३८—चकबन्दी रोक दी गई थी। वजह का सही पता नहीं है। १,१९३ रुपया ७० पैसे की एक धनराशि में से १,१४२ रुपया ९९ पैसे तथा १२६ रुपये ११ आने ४ पाई की दूसरी धनराशि में से १०६ रुपये २ आने संबंधित कृषकों को लौटाये जा चुके हैं। बाकी रकम भी लौटाई जा रही है।

*१३९—प्रश्न नहीं उठता।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। मंत्री जी ने कहा है कि चकबन्दी रोक दी गई है, वजह का सही पता नहीं है। १,१९३ रु० की धनराशि में से १,१४२ रु० लौटाये जा चुके हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितनी धनराशि इकट्ठा हुई थी और १९४६ से अब तक यह रुपया किसानों को न वापस करने से जो उनका नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है और उसके खिलाफ लापरवाही के लिये कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं तो उनकी आवाज से डर गया।

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह कागजात कोर्ट आफ वार्ड्स के जमाने के थे और उसी के अन्तर्गत चकबन्दी की जा रही थी। मोआवजे के रूप में इस छोटी धनराशि के, जो अदा नहीं की जा सकी, कागजात इधर उधर छिप गये थे। एक कानूनगो मर गया है, उसी की जिम्मेदारी थी। अब यह रकम ज्यादातर तो अदा कर दी गई है और बाकी व्यवस्था कर दी गई है कि उसे अदा कर दिया जाय और जो कानूनगो इसमें जिम्मेदार थे, उनको चेतावनी भी दे दी है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

जिस अधिकारी की लापरवाही से यह रकम किसानों को १९४६ से अब तक नहीं दी गई, उस विशेष अधिकारी के खिलाफ दंड के रूप में क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्री पुत्तूलाल कानूनगो, जो जिम्मेदार थे वह मर गये और बाकी को चेतावनी दी गई है।

श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

जो रुपया ले लिया गया, वह वापस हुआ कि नहीं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

कुछ तो दे दिया गया है, थोड़ी-सी रकम बाकी है, कुछ पैसों में उसकी भी व्यवस्था की जा रही है।

# तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ]

## कुड़वा ग्राम समाज की भूमि

*१—श्री उमादत्त (जिला सुल्तानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को यह पता है कि ग्राम कुड़वा, परगना व तहसील, अमेठी, जिला सुल्तानपुर, की लगभग १७० बीघा भूमि जो ग्राम समाज की सम्पत्ति है उस पर एक भूतपूर्व जमींदार नाजायज कब्जा करना चाहते हैं और ग्राम प्रधान तथा लेखपाल को धमकी देकर उसका पट्टा दूसरों को दिलवा कर नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं ।

*२—श्री उमादत्त—

क्या सरकार को यह भी पता है कि ग्राम समाज की उपरोक्त भूमि दूसरों को पट्टा दिलाने का लालच दे कर भूतपूर्व जमींदार ने किसानों से हजारों रुपया जमा करा लिया है ? चूंकि उक्त भूमि का पट्टा भूतपूर्व जमींदार किसी भी प्रकार रुपया जमा करने वालों को नहीं दे सकेंगे इसलिये उक्त किसानों से पूछ-तांछ करवाने के पश्चात् उनके रुपया भूतपूर्व जमींदार साहब से वापस करवाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं । सरकार के रुपये दिलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उमादत्त—

मंत्री जी बतायेंगे कि १७० बीघा भूमि में से कितनी भूमि पट्टे पर दी गई है, और वह किन-किन लोगों को दी गई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

१७० तो नहीं है, बल्कि ३७ बीघा १६ विस्वा भूमि १६ व्यक्तियों को १२ जुलाई, १९६४ को पट्टे पर दी गई थी । उसकी तहकीकात की गई और वह सब सही है । कोई नजराना नहीं दिया गया, १३ आदमियों ने इनकार कर दिया है, कोई नजराना नहीं दिया है और बाकी ३ परदेश चले गये हैं ।

श्री उमादत्त—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ लोगों का रुपया जमा है, इसकी भी जांच की गई, जमीन पट्टे पर दिये जाने के लिये ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

एक श्री रामबरन हैं, उन्होंने कहा है कि २२ रु० हमने दाखिल किया है, जमींदार के यहां २ बीघे के लिये और जब बयान लिया गया, तो वह नहीं बता सके कि वह बाग की जमीन है या भूमि प्रबन्धक समिति की है ।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि १७० बीघे जो जमींदार ने जबरदस्ती गांव सभा के सभापति से पट्टे पर दिलाई थी, तो क्या इस उत्तर में सभापति का भी बयान है कि यह पट्टा सभापति की मरजी से दिलाया गया कि जबरदस्ती ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

सभापति श्री महराजदीन हैं । इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं है और भ्रम के कारण १७० बीघे कहा गया है, जबकि इतना रकबा नहीं है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

मंत्री जी बतायेंगे कि सभापति ने जिलाधीश को इस प्रकार की कोई दरख्वास्त दी थी कि जमींदार साहब हमको जबरदस्ती पट्टा दिला रहे हैं और रुपया खुद ले रहे हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

यह सूचना हमारी नहीं है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

क्या मेरी सूचना को सही मानकर दुबारा माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

## अप्रशिक्षित विज्ञान अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के लिए अनुदान

*३--सर्वश्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) आदि--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित विज्ञान अध्यापकों की वेतन में वृद्धि करने का आदेश जनवरी सन् १९६४ को समस्त विद्यालयों को दिया गया था, किन्तु सरकार द्वारा अब तक विज्ञान अध्यापकों के वेतन की पूर्ति हेतु शिक्षा संस्थाओं को अनुदान नहीं दिया जा सका है, जिसके कारण अध्यापकों एवं शिक्षा संचालकों को असंतोष है ? यदि हां, तो अब तक न देने का कारण क्या है ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

यह राजाज्ञा जनवरी, १९६४ को नहीं बल्कि मार्च, १९६४ में जारी हुई थी । इसके अनुसार १९६३-६४ से नियुक्त विज्ञान अध्यापकों के वेतन की पूर्ति हेतु शिक्षा संस्थाओं को अनुदान दिया जा चुका है । वर्ष १९६४-६५ में इस योजना के अन्तर्गत ३,७५,५५२ रु० अनुदान के रूप में स्वीकृत किये गये हैं ।

श्री होरीलाल यादव--

मंत्री जी बतायेंगे कि १९६५-६६ में जो अनुदान दिया, वह १३ महीने तक संस्थाओं को नहीं मिल सका इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

हमारे यहां कोई ऐसी असुविधा तो थी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मंत्री जी बतायेंगे कि १९६३-६४ का जो अनुदान दिया गया है, अलग से दिया है या आवर्तक अनुदान जो स्कूलों को दिया जाता है, उसी में मिला कर दिया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह तो, श्रीमन्, उसी का अंश हो चुका है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यदि उसी के अनुसार होता है तो वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में यह अनुदान आवर्तक अनुदान में शामिल क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

आवर्तक अनुदान रख-रखाव के लिये दिया जाता है, उसके अन्दर स्वीकृत व्यय और स्वीकृत आय होती है । स्वीकृत व्यय के लिये ग्रेड देते हैं । विज्ञान के पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी के कारण यह स्वीकृति दी गयी कि कुछ इंक्रीमेंट देकर विज्ञान के शिक्षकों को रखा जा सकता है । इस कारण से यह बढ़ोत्तरी हुई है ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)---

मैंने क्राइस्ट स्कूल के टीचरों के लिये एडवांस इंक्रीमेंट के लिये एप्लाई किया था लेकिन ३ साल के बाद भी नहीं हो पाया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह चीज पुराने टीचरों के लिये एप्लाई नहीं करती । नये टीचर जो इस आर्डर के बाद नियुक्त होने वाले हैं, उनके लिये एप्लाई करती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय-

१९६४-६५ में ३,७५,५५२ रुपया स्वीकृत हुआ । यह आवर्तक अनुदान दिया है या अलहदा से आदेश गये हैं ? अगर अलहदा से आदेश गये हैं तो कब गये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह आवर्तक अनुदान उस तरह के सभी अनुपालन अनुदानों के साथ जोड़ दिया जाता है । व्यय, आय और उसके अन्तर के साथ इसको जोड़ कर दे दिया जाता है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि इस अनुदान को दिये जाने के बाद भी अभी तक अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा सका है ? यदि हां, तो उसके लिये सरकार क्या कर रही है कि अध्यापकों को वेतन प्राप्त हो जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जितनी स्वीकृति दी जाती है, उसक लिये अनुदान उपलब्ध है । जिनकी स्वीकृति नहीं की गयी उनको नहीं मिला होगा, बाकी को मिल चुका होगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अनुदान दिये जाने के बावजूद भी अध्यापकों का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि, हां, तो उनके खिलाफ क्या कदम उठाये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यदि किसी को प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके लिये आदेश जारी कर दिये जायेंगे कि उनको वेतन दिया जाय ।

## सहारनपुर में ढमोला नदी बाढ़ योजना

*४--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री अपने बारबार दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुये सहारनपुर नगर के मुहल्ला नुमाइश कैम्प के साथ बहती ढमोला ( Dhamola ) नदी के किनारों को आने वाली बरसात से पहले पक्का कराने के आदेश तुरन्त भेजेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---

मुहल्ला नुमाइश कैम्प को ढमोला नदी की बाढ़ से बचाने के लिये बाढ़ नियंत्रण परिषद् ने एक योजना दो लाख सात हजार सात सौ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत कर दी है और इसके आदेश शीघ्र ही जारी होने वाले हैं। इस योजना के अन्तर्गत पुराने बंधे को २,३०० फीट की लम्बाई में ऊंचा किया जायगा। बांध के ढालों को पिचिंग किया जायगा और एक एप्रन बिछाया जायगा। यह कार्य वर्षा के बाद ही तीव्र प्रगति से चलेगा। इस योजना में नदी के किनारे को पक्का करने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नुमाइश कैम्प से जब नदी आकर टकराती है तो वहां पर ९० डिग्री का कोण सरोखा बन जाता है और जो कच्चा इन्तजाम किया जाता है वह हर साल बह जाता है। उस स्थान को कम से कम पक्का करा दिया जाय ताकि सरकार की तरफ से जो हर साल व्यय किया जाता है, वह न करना पड़े और वहां के रहने वालों का भी उचित प्रबन्ध हो जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इस समय जो प्रबन्ध है, वह माननीय सदस्य को पता है। आप जो सुझाव दे रहे हैं, अगर वह संभव हुआ तो उसको देख लेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि आदेश जारी किये जा रहे हैं, यह आदेश पिछले तीन सालों से जारी हो रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे कि वे यह देखें कि ये आदेश अपनी जगह पर जल्दी पहुंच जायें ताकि पूर्ण इन्तजाम हो सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

आदेश शीघ्र जारी किये जायेंगे। अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे।

## लखनऊ विश्वविद्यालय में श्री के० सी० मित्तल के सेवा-काल में वृद्धि

*५---श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या ६७, दिनांक २ अप्रैल, १९६५, के संदर्भ में लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुरोध पर श्री के० सी० मित्तल, सिविल इंजीनियर, का सेवा काल किन तथ्यों पर एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया जबकि धारा ५२० सिविल सर्विस रेगुलेशन के अन्तर्गत उपसचिव शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें स्पष्ट रीति से सूचित किया गया था कि उनकी सेवायें २७ फरवरी, १९६५, तक अवश्य समाप्त कर दी जायं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय को किसी अनुभवी इंजीनियर की सेवाएं प्राप्त न हो सकीं और विश्वविद्यालय में बहुत से निर्माण कार्य चालू हालत में हैं, इसलिये श्री मित्तल के कार्यकाल की अवधि १ वर्ष के लिये २७ फरवरी, १९६६, तक बढ़ा दी गई है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

क्या मंत्री जी उप सचिव शिक्षा विभाग द्वारा १-२-६५ को भेजे गये आदेश जो लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री पी० सी० मित्तल को भेजे गये थे और जिनमें स्पष्ट लिखा था कि उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और उनकी सेवा २७-२-६५ तक अवश्य समाप्त हो जानी चाहिये, सदन के समक्ष पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर दिया है कि वह विशेष परिस्थिति में बढ़ाया गया है, उसके संबंध में पूछना चाहें तो पूछें।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

श्री के० सी० मित्तल की सेवायें समाप्त करने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया था और इन लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे निर्माण-कार्यों का ध्यान उस वक्त क्यों नहीं रखा गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

बात यह है कि हम चाहते हैं कि एक आयु के बाद ही लोग रिटायर होते हैं, उसके बाद और एक्सटेंशन नहीं होना चाहिये लेकिन वह एक अनुभवी आदमी थे और कोई और मिला नहीं, इसलिये वहां काम चल रहा था, इसलिये उनका समय और बढ़ा दिया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० सी० मित्तल जी जब वह पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर थे उस वक्त के गबन के आरोप के कई मुकदमें चल रहे हैं और क्या अब भी वह ट्रिब्यूनल के विचाराधीन हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

जी हां।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

रजिस्ट्रार लखनऊ विश्वविद्यालय ने १५-२-१९६५ को जो पत्र उप-सचिव शिक्षा विभाग के नाम भेजा था उसमें उन्होंने लिखा है कि १०४.६१ लाख रुपये के निर्माण-कार्य यहां चालू हैं और उसकी विवरणी ए० बी० सी० डी० में दिया है, तो क्या यह सही है कि संलग्न विवरणी में जो रकम उन्होंने बतायी है उसमें वास्तविक स्वीकृति ३४.९४ के स्थान पर १६.१३ लाख की ही हुई है और बी० में २५.४० के बजाय ४.६० की हुई है और सी० और डी० में कोई स्वीकृति नहीं हुई है तो क्या यह जो १०४.६१ लाख के आंकड़े दे कर जो दिखाया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में इतना काम चल रहा है तो क्या यह जो २०.७३ लाख की ही स्वीकृति हुई है उसके बजाय गलत बताकर कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इन फिगर्स को फाइनल मान कर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है।

श्री मैनेजरसिंह--

उनके खिलाफ जब गबन के आरोप हैं और मामला ट्रिब्यूनल के अधीन है तो उनकी सेवायें समाप्त होने का निर्णय हुआ और बाद में सेवा काल बढ़ाने का निर्णय हुआ तो क्या सरकार को पहले से गबन के मामले का पता नहीं था ? अगर मालूम था तो किस आधार पर उन की सेवायें बढ़ाई गईं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

वह तो पहले से यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे और उस समय उनके ऊपर जांच की कार्यवाही चल रही थी . . . . .

श्री अध्यक्ष--

वह जानना चाहते हैं कि जब मालूम था कि गबन किये हुये हैं तो उन का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, जब उनके ऊपर चार्ज साबित नहीं हो सका तो किसी व्यक्ति को केवल अभियोग के आधार पर तो सजा नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया है कि योग्य और अनुभवी इंजीनियर नहीं मिल सका तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई वान्ट निकाली गयी और इन्टरव्यू किया गया और क्या कारण है कि एक योग्य व्यक्ति इस पद के लिए नहीं मिल सका ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, वांट भी निकाली पर उसके बावजूद भी कोई इंजीनियर आने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि वहां जो स्केल आफ पे है वह २५०-५०-५०० रु० है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गबन और भ्रष्टाचार में माहिर होता है तो वह उस की योग्यता समझी जाय ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

## सहारनपुर जिले में यमुना का मार्ग बदलना

*६--श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना मंगोह, जिला सहारनपुर में यमुना नदी का रास्ता बदल देने के कारण कौन-कौन गांव का कितना-कितना रकबा यू० पी० में आया ?

*७--क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन ग्रामों का सर्वेक्षण कब प्रारम्भ हुआ और अब वह किस स्टेज पर है ?

*८--क्या यह सही है कि सर्वेक्षण के अंतिम न होने के कारण ग्राम सराजपुर व बाबू खेड़ी तथा शेरगढ़ टापू और बेगी से किसानों के बीच भारी मुकदमेंबाजी प्रारम्भ हो गई है और अब फसल के काटने पर किसानों में खिचाव चल रहा है ? यदि हां, तो सरकार जांच करने के बाद सर्वेक्षण शीघ्र ही अन्तिम कराने की कृपा करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री यशपालसिंह वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या ६ के बारे में तो मैं मान सकता हूं कि वांछित सूचना एकत्रित की जा रही हो लेकिन शेष प्रश्नों अर्थात् ७ व ८ के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त न होने के क्या विशेष कारण हैं ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--

सूचना बहुत डिटेल में है इसलिये यह बात है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न ७ में तो केवल यह दिया हुआ है कि इन ग्रामों का सर्वेक्षण कब प्रारम्भ हुआ और अब वह किस स्टेज पर है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, यही तो पता लगाना है।

## ग्राम गवनरिया का अग्नि कांड

*९—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के मोती चक नामी विकास क्षेत्र का ग्राम गवनरिया गत २० अप्रैल को आग लगने से समूचा का समूचा जल गया है और जिसमें सभी खलिहान, मकान के सभी माल-पत्ते, २ बच्चे और दो दर्जन जानवर जल मरे हैं ? यदि हां, तो तत्काल सहायतार्थ एवं भविष्य के उनके योजना भवन वस्त्र और चारे के सवाल के लिये क्या कदम उठाया गया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, इस प्रश्न में एक गांव जलने की बात है और यदि माननीय मंत्री जी चाहते तो तुरन्त ही वहां पर एक तहसीलदार भेज दिया गया होता। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सूचना को एकत्रित करने में क्यों जल्दी नहीं की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चूंकि इन दिनों हम लोग एसेम्बली में हर वक्त व्यस्त रहते हैं। तो यह तो अकेला एक ही काम नहीं है, इसलिए सूचना मंगाने में देर हुयी।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो सरकार को २४-४-१९६५ को भेज दिया गया था।

श्री ब्रह्मदत्तमायर—

श्रीमन्, यह प्रश्न तो अल्पसूचित में आ सकता था और सूचना मंगाई जा सकती थी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

## कुक्कुट पालन से उत्पादित वस्तुओं को बिक्री-कर से मुक्त करना

*१—श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुक्कुट पालन के प्रोत्साहन के लिये सरकार ने उसके द्वारा होने वाली आय को सेल्स टैक्स से बरी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन फार्मों की २०,००० रुपये से ४०,००० या इससे अधिक आर्थिक आय है उनके क्या नाम हैं और वे कहां-कहां स्थापित हैं ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

जी हां। उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत कुक्कुट पालन से उत्पादित समस्त वस्तुएं ऐसी अवस्था में जब कि वे फार्म के मालिकों द्वारा ही बेची जाती हैं, बिक्री-कर से मुक्त हैं। बाबूगढ़, जिला मेरठ में स्थित राजकीय फार्म की वार्षिक आय २०,००० रुपये से अधिक है। गैर सरकारी फार्मों के आंकड़े सरकार को उपलब्ध नहीं हैं।

## छात्र चिकित्सालय, बरेली

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में हिन्द सिनेमा के पास स्थित छात्र चिकित्सालय में कितने विद्यार्थियों की चिकित्सा वर्ष १९६२-६३ व १९६३-६४ में की गई तथा कितने विद्यार्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा इस चिकित्सालय के अधिकारी द्वारा उक्त वर्ष में की गई तथा यह विद्यार्थी किस-किस संस्था में किस-किस स्कूल से सम्बन्धित थे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस चिकित्सालय में वर्ष १९६२ तथा १९६३ में जिन विद्यार्थियों की चिकित्सा तथा स्वास्थ्य परीक्षा की गई उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १११०-११११ पर ।)

*३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय के अधिकारी कोई विद्यार्थियों के लाभ का कार्य नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी अधिक सुविधा मिलने के कारण सदर अस्पतालों में चले जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस डिस्पेन्सरी को समाप्त करेगी जिससे जनता के पैसे का सही उपयोग हो सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

संलग्न तालिका में दी गई सूचना से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त चिकित्सालय से काफी संख्या में विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं । अतः इसे समाप्त करना उचित न होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जो तालिका इस प्रश्न के उत्तर के साथ दी हुई है उसमें पहले ही पृष्ठ पर दिया हुआ है :

"वर्ष १९६२ में जिन छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षा की गई उनका संस्थावार विवरण इस प्रकार है"

फिर आगे यह दिया हुआ है कि:

"वर्ष १९६२ में जिन छात्रों की चिकित्सा की गयी उनकी संस्थाओं का विवरण नीचे दिया है"

तो क्या नीचे वाली सूचना १९६३ की है या यह दोनों सूचनायें १९६२ की हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, पहले में जिन छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षा की गई है, उसका विवरण है और दूसरे में जिन छात्रों की चिकित्सा की गयी है उनकी संस्थाओं का विवरण दिया हुआ है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह जो जांच करवाई गयी वह किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और स्वास्थ्य परीक्षा के जो, आंकड़े दिय हुये हैं तो यह स्वास्थ्य परीक्षा कालेज में जा कर की है अथवा छात्रों को डिस्पेंसरी में बुला कर की है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

परीक्षा तो बहुधा कालेज में जा कर होती है और इलाज डिस्पेन्सरी में होता है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं सूचना देना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े दिये गये हैं वे फर्जी हैं। जो आंकड़े चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मंत्री महोदय के पास आये हैं इस सम्बन्ध में अनिश्चित तौर से उत्तर आया होगा कि उन्होंने अपनी डिस्पेंसरी में बुला कर चिकित्सा की या कालेज में जा कर की ?

श्री अध्यक्ष —

उनके जवाब से स्पष्ट है कि उनके पास इसकी सूचना नहीं है कि कहां पर हुई ? आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरी इस बात को सूचना मान कर कि ये सब आंकड़े फर्जी तैयार किये गये हैं और रजिस्टर बनाये गये हैं क्या माननीय मंत्री फिर से स्पेशल जांच करायेंगे क्योंकि न वहां कोई चिकित्सा की गयी और न स्वास्थ्य परीक्षा की गयी और इस सम्बन्ध में उन बच्चों को बुला कर पूछेंगे आया उनकी कोई चिकित्सा की गयी या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

माननीय सदस्य यदि लिख कर दे देंगे तो मैं फिर उसकी जांच करा लूंगा।

## अनूपशहर—मुरादाबाद व गुड़गांव—जेवर सड़क पर पैंटून ब्रिज की आवश्यकता तथा सिकन्दराबाद में अतिक्रमण के मामले

*४—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में गंगा नदी पर अनूपशहर को मुरादाबाद से आवा-गमन के साधन हेतु पैन्टून ब्रिज बनाने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। अनूपशहर से मुरादाबाद तक कोई सीधी पक्की सड़क इस समय नहीं है। अनूपशहर के लगभग १५ मील नीचे राजघाट नरौरा पर एक पक्के पुल का निर्माण कार्य चालू है।

*५—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जेवर, जिला बुलन्दशहर में जमुना नदी पर दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब से आवागमन में अत्यन्त सुविधा होने से जो आय बढ़ेगी उसके लिये वहां पर पैन्टून ब्रिज बनाने का आदेश दिया जायगा ? यदि हां, तो कब ? नहीं तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। जेवर से गुड़गांव दिल्ली और पंजाब के लिये कोई अधिक यातायात नहीं है जिसके लिये पैन्टून ब्रिज की आवश्यकता हो।

*६—श्री जसरामसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर में जी० टी० रोड पर सन् १९६३ से अब तक कितने नय मकान, नई दूकानें किस-किस ने बनवाई या बना रहे हैं ? उनमें से कितने नियमानुसार सड़क के किनारे न छोड़कर नियम विरुद्ध हैं तथा उनके

प्रति क्या कार्यवाही की जा रही है ? स्थायी ओवरसियर, जिला इंजीनियर को कब पता चला कि जी० टी० रोड पर सड़क के किनारे दबाकर मकान बन रहा है, उसमें कितनी सड़क की जमीन दबी है, बताया जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

३१ मार्च, १९६५ तक जितने स्थाई तथा अस्थाई मकान व दूकान नियम विरूद्ध अतिक्रमणों के रूप में बने हैं उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है। स्थाई अतिक्रमण की रिपोर्ट जिलाधीश को कर दी गई थी और यह मामला क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद की अदालत में विचाराधीन है। अस्थाई अतिक्रमणों को हटाने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

स्थाई अतिक्रमण की सूचना स्थानीय अधिकारियों को मई १९६४ में मिली। कुल २६२ वर्ग फुट जमीन दबाई गई।

(देखिये पृष्ठ 'ख' आगे पृष्ठ १११२ पर)

श्री जसरामसिंह—

जेवर से गुड़गांव तक यातायात की आवश्यकता नहीं है तो माननीय मंत्री ने किस आधार पर स्वीकार कर लिया कि आवश्यकता नहीं है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

विभाग से रिपोर्ट आई है और आधार यह है कि जिला परिषद ने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इसका कोई जिक्र नहीं किया न सिफारिश की।

श्री जसरामसिंह—

२६२ वर्ग फुट जमीन ग्रान्ड टंक रोड पर जो जमीन दबा ली गयी है जिस पर जगरानी देवी का मकान तथा दूकान स्थायी तौर पर बन गये हैं और वहां पर मुस्तकिल तौर पर ओवरसियर रहते हैं तो उनको यह सूचना कब मिली थी कि यह मकान बन रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मेरी तथा श्री जसराम सिंह की सूचना के आधार पर माननीय मंत्री इस बात को मानकर कि अनूपशहर से मुरादाबाद और जेवर से गुड़गांव तक यातायात की अत्यन्त कठिनाई है, क्या वे अपने विभाग से स्पष्टीकरण मांगेंगे कि उसने गलत रिपोर्ट क्यों दी?

श्री अध्यक्ष—

पहले आप सेटिस्फाइड तो हो जायें कि गलत रिपोर्ट है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

बिलकुल गलत रिपोर्ट है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियम तो इस प्रकार है कि पी० डब्लू डी० की सड़क पर जो दूकानें बनती हैं पहले उनका नक्शा मंजूर कराया जाता है ? तो क्या नक्शा मंजूर करते समय अधिकारियों ने यह नहीं देखा कि निर्माण कार्य सड़क के किनारे को दबा रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जब कोई बिना सूचना दिये हुये कार्य करता है तभी उस पर कार्यवाही होती है। यदि इस पर मंजूरी लेकर या डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट की आज्ञा लेकर कार्यवाही की गयी होती तो उस पर कोई कार्यवाही न होती।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जी० टी० ऐसी महत्वपूर्ण रोड पर जो अतिक्रमण हुआ है, जो दूकानें आदि बनी हैं, उसके सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ताकि उन अनधिकृत दूकानों और मकानों को हटाया जाये ? तथा जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह मकानात खड़े हो गये हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

हम तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद कार्यवाही करने का अधिकार उनका हो जाता है।

श्री जसरामसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो नक्शे आप के यहां से स्वीकृत हो चुके हैं और स्वीकृत होने के बाद आप के यहां से आज्ञा मिली हुई है, मैं आप को सूचना दे रहा हूं कि उसके बाद भी जमीन दबायी गयी है तो उसका क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इसकी आप तफसील दे देंगे तो जांच करा ली जायेगी।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

जी० टी० रोड बहुत महत्वपूर्ण रोड है, इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० की जमीन और सड़क पर वहां जो कब्जा हो रहा है, उस इन्क्रोचमेंट को हटाने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है और किन-किन के खिलाफ़ की है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह तो मैं निवेदन कर चुका हूं और इन्क्रोचमेंट करने वालों की लिस्ट भी दे चुका हूं। हमारे यहां से जिलाधिकारियों को रिपोर्ट दे दी जाती है और फिर वही कार्यवाही करते हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मंत्री जी आप इस बात की जांच करायेंगे सी० आई० डी० के द्वारा कि वहां पर विभाग में बड़ा भारी भ्रष्टाचार है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यदि आप बतायेंगे तो कराऊंगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मै बता रहा हूं।

श्री कल्पनाथसिंह--

जब डिपार्टमेंट ने जो मामले अधिकारियों को कार्यवाही के लिये भेज दिये हैं और ऐसा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ़ रोड साईड कन्ट्रोल ऐक्ट के मातहत मुकदमा चलाय जाता है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे केसों में कोई प्रोसीडिंग चालू हुई है या नहीं ? या किस स्टेज पर मामले पड़े हुये हैं ? इसकी क्या आप को जानकारी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

बहुत से मामले चल रहे हैं आप कोई खास मामला बता दें तो पता लगा कर बता दूंगा।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या मन्त्री जी को पता है कि उत्तर प्रदेश में पी० डब्लू० डी० के जो मार्ग हैं, वहां प्रत्येक सड़क पर पटरी की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है? तो ऐसी स्थिति में क्या मंत्री जी कोई आदेश अपने विभागीय अधिकारियों को देंगे कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई इस प्रकार का अतिक्रमण होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी?

श्री जगन प्रसद रावत—

जी हां, इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जहां कहीं इस प्रकार सरकारी जमीनों का अतिक्रमण हो तो उसकी फौरन रिपोर्ट करें।

श्री जसरामसिंह—

क्या जब सरकारी जमीन दबाई गई तब डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर की तरफ से कोई नोटिस मकान मालिक को दी गयी थी?

श्री अध्यक्ष—

जसरामसिंह जी, क्या मंशा है इस प्रश्न से?

श्री जसरामसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि.....

श्री मैनेजरसिंह—

मंशा साफ़ है, श्रीमन्। बुलन्दशहर में अतिक्रमण हुआ है और इसी तरह से प्रदेश के हर क्षेत्र में अतिक्रमण हुये हैं और उनको हटाने के सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और इनके अधिकारी स्वयं मिलकर के ऐसे अतिक्रमण करा रहे हैं और माननीय मंत्री जी जिस नजाकत और नफासत से यहां पर उत्तर दे रहे हैं उसी के कारण यह भ्रम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

जसरामसिंह जी आप बतायें कि क्या मतलब है। क्या आप का मतलब है कि वहां के अधिकारी उचित कार्यवाही इस अतिक्रमण को दूर करने के लिये नहीं कर रहे हैं?

श्री जसरामसिंह—

जो नोटिस दिया गया था उसके बाद भी बिल्डिंग बन गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि नोटिस के बाद वह कैसे बन गयी?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री जसरामसिंह—

क्या इसकी जानकारी कराके बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

अब आप जब तीन महीने बाद मिलेंगे तब आपको जानकारी होगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या जो यह गड़बड़ियां हुईं सरकार उनको दूर करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

## सलेमपुर तहसील में पुराने लेखपाल

*७—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया के कितन और कौन-कौन से लेखपाल हैं जो ५ वर्ष से अधिक अपने हल्के पर हैं ?

(श्री हुकुम सिंह विसेन)—

४९ लेखपाल हैं । उनके बारे में सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १११३ पर)

*८—श्री उग्रसेन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत २ माह पीछे लेखपालों का स्थानान्तरण हुआ था, मगर बाद में वे रोक दिये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

परगनाधीश, सलेमपुर ने नवम्बर १९६४ में ६ लेखपालों के तबादले के आदेश दिये थे । इनको रोका नहीं गया है ।

*९—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

[वापस ले लिया गया ।]

## मदारी ग्राम में अनियमित पट्टे

*१०—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मदारी कलां, परगना रामपुर, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ में ग्राम समाज पंचों ने खुद बैठक करके खुद अपने तथा अपने रिश्तेदारों के नाम ग्राम समाज भूमि के पट्टे की रजिस्ट्री तारीख १४ अप्रैल, १९५९ को कराई थी ? यदि हां, तो सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जो सूचना आई है उससे यह पता चलता है कि सन् १९५९ में ग्राम मदारी कलां में भूमि प्रबन्धक समिति ने कुछ सदस्यों तथा कुछ सदस्यों के रिश्तेदारों के नाम से भी आसामी के पट्टे किये । नियमानुसार इन पट्टों की अवधि १ वर्ष हो सकती है । यह अवधि समाप्त हो चुकी है । इसलिए इन पट्टों के विषय में अब कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

*११—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त विषय में कितने प्रार्थनापत्र जिलाधीश, प्रतापगढ़ को उक्त गांव समाज की जनता ने दिया और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सात प्रार्थना-पत्र ग्राम की जनता की ओर से जिला अधिकारियों को प्राप्त हुए । उनमें से तलक हो चुके हैं । चार उपलब्ध हैं । इन प्रार्थना पत्र में मुख्यतः अनियमित पट्टे तथा

वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें थीं। अध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई परन्तु प्रमाण के अभाव में उपमंडलाधीश ने ३१ अगस्त, १९६२, को अध्यक्ष को इन आरोपों से बरी कर दिया। अब वे अध्यक्ष पद पर नहीं हैं।

*१२—श्री भगवानदीन—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त गांव की ३५८ तथा ५४२ तालाबी भूमि का पुराने चेयरमैन, श्री गयादीन ने अपने दामाद राम खेलावन, सुत माधो के नाम तथा गांव समाज पंचों के नाम दिनांक १४ अप्रैल, १९५९ ई० को पट्टा कर दिया? यदि हां, तो क्यों और इसके विरुद्ध जनता की कितनी शिकायतें जिलाधीश के पास आई तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सूचना यही है कि जिन पट्टों का प्रश्न १० के उत्तर में उल्लेख किया गया है उनमें खसरा नं० २५८ न कि ३५८ जिसका प्रश्न में जिक्र किया गया है तथा ५४२ के पट्टे भी शामिल थे। प्रश्न के शेष भाग के विषय में स्थिति वही है जो ऊपर बतायी जा चुकी है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आपने उत्तर में कहा कि एक साल बीत जाने के कारण उसमें अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। तो क्या यह निश्चित बतायेंगे कि गांव समाज की सम्पत्ति को आइन्दा बचाने के लिये कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे ताकि इस तरह से जो वहां के सभापति ने अपने रिश्तेदारों को बांट दिया न बांट सकें?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां, गवर्नमेंट जो सम्भव होगा वह कार्यवाही करेगी जिससे इस तरह से अनधिकृत ढंग से गांव समाज की सम्पत्ति का अपहरण न हो सके।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

आपने कहा कि ७ प्रार्थनापत्र आये थे क्या वे साल की अवधि के भीतर ही आये थे? यदि हां, तो जिलाधीश ने क्यों उचित कार्यवाही उन पर नहीं की?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है कि एक साल के अन्दर ही आये थे।

श्री रघुनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना-पत्र आये थे लेकिन उनकी तारीख की बात माननीय मंत्री जी को मालूम नहीं है यह कहां तक उचित है? जिस प्रश्न को हम पूछते हैं उसके लिये तो आप कह देते हैं कि यह अनावश्यक है लेकिन जब यहां पर अनावश्यक उत्तर दिये जाते हैं उनके लिये आप कोई व्यवस्था नहीं करते क्या यही आपकी व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष—

हम आपको मजबूर नहीं कर सकते कि किस तरह से प्रश्न किये जावें और न माननीय मंत्री को मजबूर कर सकते हैं कि वह किस तरह से उत्तर दें।

श्री ऊदल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी एक वर्ष की बात स्वीकार करते हैं कि एक वर्ष के बाद उनको रद्द हो जाना चाहिये तो १९६५ तक उन पट्टों को रद्द न करने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जब उनकी मियाद एक साल की होगी तो वह अपने आप रद्द हो जायंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उन जमीनों पर जिनका कब्जा था उनका कब्जा रद्द हो गया तो अब उन जमीनों के ऊपर किनका कब्जा है क्या सरकार जांच करके बतायेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह गांव समाज मैनुअल में है कि जिनके पास जमीन है उनको गांव समाज की जमीन नहीं दी जायगी तो जब गांव समाज की जमीन १९५९ में कुछ आदमियों के नाम कर दी गई तो उसके बाद इन ग्रामीणों ने प्रार्थना-पत्र दिया तो इनके लिये पट्टा खारिज करने की मियाद हायल नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कुछ टाइम कार्यवाही करने में लगता है।

श्री रामअधार कनौजिया—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी गांव समाज को निदेश करेंगे कि वह उन लोगों को बेदखल कर दे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अब नोटिस हुआ है। इसकी सूचना मांगी है। जब यह मालूम हो जायगा तब हम बतलायेंगे।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

गांव समाज का यह रूल है कि जिनके पास जमीन हो उनको वह पट्टे नहीं दिये जाते तो क्या यह कायदा उस गांव समाज के अन्दर बरता गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आशा यह है कि बरतना चाहिये। बरता गया है या नहीं, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री बलवानसिंह—

मंत्री जी का जवाब बहुत शार्ट में होता है। असल जवाब नहीं मिल पाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब गांव समाज का यह रूल है कि जिनके पास जमीन है, जिन काश्तकारों के पास जमीन होती है उनको गांव समाज जमीन का पट्टा नहीं देती तो क्या यह रूल उस गांव समाज में बरता गया था ?

श्री अध्यक्ष—

वह यही तो कह रहे हैं कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल—

उसमें यह है कि गांव समाज की कोई सम्पत्ति उसके पदाधिकारी, पंच या भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य नाजायज तरीके से इस्तेमाल करते हैं या किसी को देते हैं तो परगनाधीश उनके

खिलाफ मुकदमा चलायेगा और सजा दिलायेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब इन लोगों ने अनियमित काम किया तो एस० डी० एम० ने क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कोई उचित कार्यवाही की ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

भूमि-व्यवस्था संबंधी कानून के अनुसार आसामी की हैसियत से एक एक साल के लिए पट्टा दिया गया था। अब उसमें जो अव्यवस्था हो रही है या हो सकती है तो उसके लिए हमारे यहां कायदा -कानून बना हुआ है, हाकिम परगना के यहां दरख्वास्त दें। जो लोग अफेक्टेड होंगे वह तो कर ही सकते हैं।

श्री बलवानसिंह—

यह जो आज कल गांवों में मिलकियत के बिना ही कब्जे हो जाते हैं और झगड़े होते ह जिसमें लाखों रुपये का नुकसान होता है और लाखों आदमी घायल होते हैं, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार की कोई ऐसी स्कीम है कि इस किस्म के झगड़े कम हों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मेरे सामने ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

प्रश्न १२ की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां के चैयरमैन ने ३५८ और ५४२ तालाबी भूमि अपने दामाद के नाम पट्टे पर करा दी, तो किस आधार पर उन्होंने यह किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

नाजायज किया उन्होंने।

श्री मैनेजरसिंह—

गांव समाज के चेयरमैन ने अपने दामाद को जो भूमि दी वह नजराने पर दी या दहेज में ? हंसी

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि गांव समाज मैनुअल के हिसाब से जितने भी प्रबन्धक समिति के सदस्य हैं वह अपने रिश्तेदारों और दामादों को भूमि नहीं दे सकते, तो क्या इस बात की जांच वह करा रहे हैं कि जो जमीन दामादों और रिश्तेदारों को दी वह पहले से उनके पास थी, उसके बाद उन्होंने दी ? अगर ऐसी बात है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह तो हमेशा करते हैं। जिसको पकड़ते हैं उसे ठीक ही कर देते हैं।

## रुद्रपुर–नगवा सड़क को गोरखपुर–इलाहाबाद सड़क से मिलाने की प्रार्थना

*१३—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देवरिया जिले में एक सड़क रुद्रपुर से नगवा तक जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस सड़क को गोरखपुर जिले में असवनपार से लाकर गोरखपुर इलाहाबाद रोड में मिलाने का विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

रुद्रपुर से नगवा तक कच्ची सड़क को गोरखपुर-इलाहाबाद रोड से मिलाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

*१४—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की इस सड़क को भी देवरिया जिले के उस सड़क के साथ ही बना देगी जिसका जिक्र ऊपर के प्रश्न में है? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या होगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या पटेल आयोग ने इस सड़क को बनाने के लिए सिफारिश की है? यदि हां, तो क्या उसी सिफारिश के साथ-साथ उस सड़क के दूसरे हिस्से को जो गोरखपुर जिले में है और गोरखपुर इलाहाबाद रोड मिलाता है, उसको भी बनाने की कृपा करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पटेल आयोग ने जिसकी सिफारिश की थी वह योजना में है और जो सिफारिश में नहीं है वह योजना में नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि क्या मंत्री जी का ध्यान गया है कि इसके बारे में सिफारिश की है या नहीं और अगर की है तो गोरखपुर के अन्दर सड़क का जो इलाहाबाद-गोरखपुर रोड से मिलाने वाला हिस्सा है उसे भी उसी के साथ बनाने की कृपा करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पटेल आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इधर आपके पास रुद्रपुर-नगवा सड़क को इलाहाबाद वाली सड़क में जैसा कि कल्पनाथ सिंह जी ने कहा है मिलाने के लिए, दरखास्तें आयी हैं? अगर हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में इसको बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। जब उसका आकार हमें मालूम होगा, तभी हम यह देखेंगे कि किसको प्राथमिकता दी जाय, किसको नहीं।

## मऊरानीपुर सड़क की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

*१५—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की मऊरानीपुर स्टेशन पर सड़क के दोनों साइडों पर मकान तथा दूकानें बनाई जा रही हैं? तो क्या पी० डब्लू० डी० विभाग स उस जमीन को लोगों को मकान तथा दूकानें बनाने को दे दी हैं? यदि हां, तो कब?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं। झांसी जिले में मऊरानीपुर स्टेशन पर (झांसी-मऊ-हरपालपुर) सड़क पर जिन लोगों ने मकान तथा दूकानें बनाई हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उन लोगों को भूमि किराये पर नहीं दी है वरन् उन लोगों ने अनधिकृत रूप से उस भूमि पर कब्जा जमा लिया है।

श्रीमती बेनीबाई--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्लू० डी० की भूमि पर किन-किन ने कब्जा कर रखा है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह सड़क पी० डब्लू० डी० की है, लेकिन जो भूमि है वह जिला परिषद् की है और जिला परिषद् से कार्यवाही हो रही है कि या तो वे उनको हटायें वा उस भूमि को हमें ट्रान्सफर कर दें, ताकि हम कार्यवाही कर सकें।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

श्रीमन्, यह जो मकान बने हैं यह सड़क से १५ फुट के अन्दर बने हैं और जो पी० डब्लू० डी० का ऐक्ट है उसके मुताबिक वह नहीं बन सकते, तो सरकार द्वारा उस ओर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि वह भूमि जिला परिषद् की है। जिला परिषद् उस पर कार्यवाही कर सकता है, या वह भूमि इनको दे दे तब यह कर सकते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

पी० डब्लू० डी० की सड़क के किनारे-किनारे जो मकान और दूकानें आदि बनती हैं वह किसके नकशे के मुताबिक बनती हैं, जिला परिषद् के नगरमहापालिका के या पी० डब्लू० डी० के ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

नगरपालिका के तो नियम भिन्न हैं। लेकिन नगरपालिका के बाहर के लिये हम कार्यवाही करते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं यह जानना चाहता हूं श्रीमन्, पी० डब्लू० डी० की जो मेन रोड है उससे यह मकान और दूकान कितने फासले पर हैं ? मेरी जानकारी यह है कि यह सब १५ फीट के अन्दर बने हैं जो कि गलत है और नहीं बनना चाहिये ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

वह भूमि जिला परिषद् के अधीन है। वही कार्यवाही कर सकते हैं।

## गणेशशंकर विद्यार्थी कालेज, महाराजगंज का प्रबन्ध

*१६--श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री शिब्बनलाल सक्सेना तथा श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसके बावजूद कि गोरखपुर जिले में महराजगंज गणेशशंकर विद्यार्थी कालेज के प्रबन्धकर्त्ता को गोरखपुर मुन्सफी तथा सिविल जज के अदालती फैसले मिल चुके हैं फिर भी मैनेजर को विद्यालय के लिय ग्रान्ट न देने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

मुन्सिफी अदालत के निर्णय की प्रतिलिपि प्रबन्धकर्ता ने २७ मार्च, १९६५ को विभाग को दी है। पोषण अनुदान के मुक्त करने का प्रश्न विभाग के विचाराधीन है।

*१७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री शिब्बनलाल सक्सेना तथा श्री दुर्योधन—

क्या शिक्षा मंत्री उन कारणों पर भी प्रकाश डालेंगे कि अभी तक उपरोक्त कालेज को इण्टरमीडिएट परीक्षा का केन्द्र क्यों नहीं बनाया गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

प्रत्येक विद्यालय परीक्षाकेन्द्र नहीं बनाया जाता। आवश्यकतानुसार बोर्ड विद्यालयों में से कुछ को परीक्षा केन्द्र बनाने के लिये चुन लेता है। इस संस्था को निम्नलिखित कारणों से परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया :

(१) स्थानीय जनता की ओर से इस आशय की कोई मांग नहीं प्रस्तुत की गई ?

(२) बोर्ड के निदेशानुसार दो विद्यालयों के विद्यार्थी केन्द्र में सम्मिलित होने चाहिये किन्तु इस संस्था के आस पास कोई दूसरा इन्टर कालेज नहीं है जो प्रस्तावित केन्द्र में सम्मिलित किया जा सके।

*१८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री शिब्बनलाल सक्सेना तथा श्री दुर्योधन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि वे कौन से कारण हैं जिसके कारण अभी तक उपरोक्त कालेज को कृषि शिक्षा, साइन्स कक्षा आदि खोलने की इजाजत रिकगनिशन कमेटी की सिफारिशों के बावजूद भी नहीं दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

यह सही नहीं है कि रिकगनिशन कमेटी ने इस कालेज को कृषि एव साइंस कक्षा खोलने की सिफारिश की। उस कमेटी ने ऐसी सिफारिश नहीं की।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पोषण अनुदान के कार्यान्वित करने का विधान शासन के विचाराधीन है। यह कब से विचाराधीन है और इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया है कि मार्च, २७ को श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने फैसले की एक प्रतिलिपि दी है और उसके बाद ही यह मामला विचाराधीन हुआ है।

## योगिराज संस्कृत महाविद्यालय, अयोध्या का अनुदान

*१९—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि योगिराज संस्कृत महाविद्यालय, अयोध्या, जिला फैजाबाद को अनुदान जो मिलता था दो साल से जांच होने के लिये रुका है ? क्या सरकार तुरन्त जांच कराकर मार्च, १९६५ के अन्दर ही अनुदान देने की व्यवस्था करेगी, जिससे इस वर्ष भी अनुदान लैप्स न हो जाय ? क्या जांच में विलम्ब के कारण पर भी सरकार प्रकाश डालेगी ?

---

नोट—तारांकित प्रश्न १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री कैलाशप्रकाश—

अनुपालन अनुदान प्रबन्ध समितियों के झगड़े के कारण जो कि न्यायालय में चल रहा है रुका है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अनुपालन अनुदान देना सम्भव होगा।

## जौनपुर जिले के जूनियर हाई स्कूलों में छात्रवृत्ति न मिलना

*२०—श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर में द्वितीय तथा तृतीय योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई जूनियर हाई स्कूल की छात्रवृत्ति किन-किन छात्रों को अब तक नहीं दी गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सन् १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में जिन छात्रों को जूनियर हाई स्कूल छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी उसकी सूचना संलग्न सूची "क" तथा "ख" में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १११४–१११६ पर)

*२१—श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि छात्रवृत्ति की रकम राजकीय कोष से कब निकाली गयी और वह रकम किसके पास है ? क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त रकम कैशबुक में किस तिथि को जमा की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

१९६३–६४ में कुल ३७५ रु० की छात्रवृत्ति का वितरण जिला परिषद्, जौनपुर के प्रधान लिपिक श्री राजेन्द्र नाथ सिंह के फरवरी, १९६४ में आकस्मिक निधन हो जाने के उपरान्त "सेफ" में न पाये जाने के कारण नहीं किया जा सका। यह धन जनवरी, १९६४ में राज्य-कोष से निकाला गया था। अध्यक्ष, जिला परिषद् के आदेशानुसार यह धन उक्त प्रधान लिपिक के प्राविडेंट फन्ड से काटकर शीघ्र सम्बन्धित छात्रों को वितरित कर दिया जायगा।

१९६४–६५ की छात्रवृत्ति धनराशि २९–३–६५ को राज्य कोष से निकाल कर उसी तिथि को कैशबुक में जमा कर दी गयी। यह धन प्रधान लिपिक, शिक्षा विभाग, जिला परिषद्, जौनपुर के पास है। इस वर्ष ३,९०० रु० का वितरण हो चुका है। शेष २,१६० रु० का वितरण सम्बन्धित प्रधानाचार्यों के जिला परिषद् कार्यालय न आने के कारण अब तक सम्भव न हो सका।

## टाउन एरिया क्लर्क, बदायूं के खिलाफ शिकायतें

*२२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टरी बदायूं के वर्तमान टाउन एरिया क्लर्क के विरुद्ध, गत और चालू वर्ष में, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कितनी शिकायतें जिलाधीश, बदायूं को प्राप्त हुयीं ? उन के बारे में कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

छः शिकायतें। इन सब के बारे में जिलाधीश बदायूं ने जांच करायी और वे निराधार पायी गयी।

[३० अप्रैल, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## आजमगढ़ जिले से छात्रों की सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री दिनांक ६ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ की रिपोर्ट कब और क्या सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिलाधीश, आजमगढ़ की दिसम्बर ९, १९६४ तथा फरवरी ३, १९६५ की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने यह सूचित किया है कि केवल दो विद्यालयों, सर्वोदय इन्टर कालेज, गजियापुर तथा जूनियर हाई स्कूल, दरगाह ने क्रमशः ९४५ रु० तथा १६५ रु० की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की है। जिलाधीश इस मांग को उचित नहीं समझते हैं। उनसे इस विषय में पूंछ तांछ की जा रही है।

## अंग्रेजी शिक्षा शुल्क न लेने वाली जिला परिषद्

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री दिनांक ४ सितम्बर, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित जिला परिषदों के सम्बन्ध में जिन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए फीस न लेने का निर्णय लिया है कौन कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला परिषदों के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई की फीस लेना अनिवार्य नहीं है। अतः प्रश्नगत मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

## आजमगढ़ जिला परिषद् के सेवा मुक्त अध्यापकों का फंड

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, आजमगढ़ के अधीन काम करने वाले कौन-कौन अध्यापक दिनांक १ जुलाई, १९६३ से सेवा मुक्त किये गये और प्रत्येक का प्राविडेंट फन्ड कितना-कितना है तथा अब तक न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

१ जुलाई, १९६३ से २२ दिसम्बर, १९६४ तक अवकाश प्राप्त करने वाले अध्यापकों के नाम तथा उनके प्राविडेंट फन्ड की धनराशि संलग्न सूची में दी गयी है।

प्राविडेंट फन्ड का भुगतान पोस्ट आफिस से सूद लग जाने पर ही होता है। सन् १९६२-६३ का सूद पोस्ट आफिस द्वारा न लगाया जा सकने के कारण प्राविडेंट फन्ड का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे १११७ पृष्ठ पर)

## बुलन्दशहर जिले में सड़क निर्माण कार्या

*४—श्री जसरामसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन सड़कों के निर्माण करने की योजना बनी है और कितना रुपया व्यय होना निश्चित है ?

*५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त निर्धारित योजनाओं में किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १११८–१११९ पर।)

*६—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांझर जेवर मार्ग तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बनाने का विचार है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित नहीं है इसलिए चालू योजना काल में उसका निर्माण सम्भव नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना काल में इस सड़क का निर्माण आवश्यक धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

## हैदरगढ़—महाराजगंज सड़क

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि सार्वजनिक निर्माण (क) विभाग ने अपने पत्र संख्या २६७७–सी/२३–पी–डए–२५८–सी—५८, दिनांक १२ मई, सन् १९५९ द्वारा यह आश्वासन दिया था कि हैदरगढ़ से महराजगंज सड़क के निर्माण पर तृतीय योजना बनाते समय विचार किया जायगा किन्तु उसे उक्त योजना में शामिल नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। इस सड़क के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया गया किन्तु धनाभाव के कारण उक्त योजना में सम्मिलित करना सम्भव न हो सका।

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के निर्माण कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थायी समिति ने सन् १९६४ में कुछ सुझाव सरकार के सम्मुख पेश किये हैं ? यदि हां, तो कब-कब और इन सुझावों के आधार पर क्या निश्चय हुआ और उन पर दिये गये आश्वासन की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। १३ तथा २० मार्च, १९६४ की स्थायी समिति की बैठक में यह सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ। २८/२९ जून की स्थायी समिति की बैठक में समिति को यह सूचित कर दिया गया कि इस सड़क का निर्माण इस योजना काल में सम्भव नहीं है।

*९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार इस सड़क को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर पक्का बनाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

चौथी योजना का आकार तथा रूपरेखा अभी निश्चित नहीं की गयी है। अतः अभी यह नहीं कहा जा सका कि प्रश्नगत सड़क का निर्माण इस योजना में शामिल हो सकेगा या नहीं।

## शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने की मांग

*१०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इधर हाल में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मितिल करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

*११—श्री उमाशंकर—

क्या शिक्षा मन्त्री अध्यापकों की मांग और सरकार की वित्तीय दशा को ध्यान में रखते हुये शिक्षा को समवर्ती सूची म देने का विचार कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

*१२—श्री उमाशंकर—

क्या शिक्षा मन्त्री जी उन कठिनाइयों पर प्रकाश डालेंगे जिनके कारण राज्य सरकार शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने में संकोच कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का अर्थ यह होगा कि केन्द्रीय सरकार को शिक्षा के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार हो जायगा और यदि इस कानन और राज्य सरकार के किसी कानून में भिन्नता होगी तो केन्द्रीय कानून ही मान्य होगा, लेकन इसको कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर ही रहेगा।

## बलरामपुर तहसील में टेस्ट वर्क

*१३—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में ब्लाक हरग्या-सतघड़वा, तहसील बलरामपुर में टेस्ट वर्क, १९६३-६४ में चलाया गया था ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने मजदूरों ने काम किया, रोजाना कितने काम करते रहे और यह टेस्ट वर्क कुल कितने दिनों तक चला ?

*१४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उन मजदूरों को रोजाना मजदूरी दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कितने-कितने दिनों के बाद मजदूरों को मजदूरी मिली तथा देर में मजदूरी बटवाने की जिम्मेदारी किस अफसर पर है और इस अवैधानिक कार्य करने वाले अफसर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

*१५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त टेस्ट वर्क में जो काम हुआ उसकी मेजरमेंट के द्वारा कितनी कीमत लगायी गयी है और उक्त टेस्ट वर्क में कितनी मजदूरी कुल बांटी गयी है तथा इस टेस्ट वर्क में कौन-कौन अफसरान इन्चार्ज रहे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## सुधाकर महिला विद्यालय, वाराणसी में छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत

*१६--श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुधाकर महिला विद्यालय, वाराणसी में जिन छात्राओं को स्कालरशिप मिली है, उन्हें वह मार्च, १९६४ से नहीं दिया गया है? यदि हां, तो इस तरह की कितनी छात्रायें हैं और मार्च, १९६४ से छात्रवृत्ति न देने का कारण क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है।

## जौनपुर जिले में शिक्षा संस्थाओं का अनुपालन अनुदान

*१७--श्री भगवतीदीन तिवारी (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६४-६५ की छात्रवृत्ति २८ जनवरी, सन् १९६५ तक जौनपुर के विद्यार्थियों को नहीं मिली? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं, २८ जनवरी, १९६५ तक अधिकतर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी थी।

*१८--श्री भगवतीदीन तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुछ मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं का अनुपालन अनुदान इस साल एकाएक कम कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं, कम नहीं किया गया बल्कि नियमानुसार संस्थाओं को जो अनुपालन अनुदान देय होता था वही दिया गया।

*१९--श्री भगवतीदीन तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस साल (१९६४-६५) का अनुपालन अनुदान मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं को किस आधार पर दिया गया है?

श्री कैलाशप्रकाश--

वर्ष १९६४-६५ के अनुपालन अनुदान का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया गया है :--

(१) पिछले वर्ष के स्वीकृत वास्तविक आय और स्वीकृत वास्तविक व्यय का अन्तर या स्वीकृत वास्तविक व्यय का आधा इनमें से जो भी धनराशि कम हो तथा

(२) संस्था के कर्मचारियों के प्रचलित वर्ष में वार्षिक वेतन वृद्धि का ३/४ भाग तथा

(३) पिछले वर्ष में दिये गये अनुरक्षण अनुदान का ३ प्रतिशत, साधारण विकास के लिए।

## अमौली—शाहबाजपुर सड़क में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*२०—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फतेहपुर जिले की अमौली, चांदपुर, बरवा, शाहबाजपुर, सड़क के निर्माण के लिए अधिगृहीत की गयी भूमि के मुआवजे की धनराशि सम्बन्धित कृषकों को दी जा चुकी है, यदि नहीं, तो क्यों? और कब तक दे दिये जाने की आशा है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। कथित सड़क के लिए अर्जित की गयी स्थायी व अस्थायी भूमि के मुआविजे के निर्णय की घोषणा क्रमशः २३ नवम्बर, १९६४ व २२ फरवरी, १९६५ को की गयी। आशा है कि मुआविजे का वितरण शीघ्र कर दिया जायगा।

*२१—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिन कृषिकों की भूमि सड़क निर्माण हेतु ली गयी है उनसे अब भी उस भूमि की मालगुजारी वसूल की जा रही है? यदि हां, तो क्या वह विभाग को कोई ऐसा आदेश जारी करेंगे जिससे कृषक मालगुजारी से मुक्ति पा सकें?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का दखल होने के बाद से मालगुजारी नहीं ली जा रही है।

*२२—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त सड़क के निर्माण के लिए किन-किन ग्रामों से और कितनी-कितनी भूमि ली गयी है और प्रत्येक ग्राम को कितने मुआवजे की धनराशि दी जानी है, उसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वांछित सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे ११२० पृष्ठ पर)

## झांसी—शिवपुरी मार्ग

*२३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि झांसी नगर में खण्डे राव दरवाजा बाहर राष्ट्रीय मार्ग झांसी–शिवपुरी से तहसील होती हुई नगरपालिका की सड़क जो राष्ट्रीय मार्ग सागर ग्वालियर लखनऊ को जोड़ती है। केवल ४ फर्लांग सड़क की दशा बहुत ही शोचनीय है? सरकार अपने अधिकार में लेकर इसे सीमेंट की चौड़ी सड़क बनवाने की कृपा करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क को सीमेंट की सड़क के रूप में बनवाने की सरकार की इस समय कोई योजना नहीं है।

## बरूआसागर में रेलवे स्टेशन से बाजार तक सड़क

*२४---श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि बरुआसागर जिला झांसी की जनता द्वारा सन् १९६४ के अन्त या फरवरी सन् १९६५ में मय प्रश्नकर्त्ता के पत्रों के इस आशय के प्रार्थना पत्र माननीय मन्त्री को दिये गये हैं कि रेलवे स्टेशन से बाजार तक की रोड की तारकोल की सड़क बनवा दी जावे ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त सड़क को तारकोल की बनवाने में पचास हजार रुपया का ही व्यय है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां। इस सड़क का पुनर्निर्माण नवम्बर, १९६१ में ४४,५०० रु० की अनुमानित लागत पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। यह कार्य चालू है । १ मील २ फर्लांग सड़क तैयार हो गयी है और शेष २ फर्लांग की कुटाई भी शीघ्र ही पूरी हो जायगी। सड़क पर यातायात के भार को देखते हुये, इसको तारकोल की बनवाना अभी आवश्यक नहीं है । सड़क को तराकोल की बनवाने की अनुमानित लागत ४८,००० रु० होगी।

## एच० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल, झांसी में भर्ती

*२५---श्रीमती बेनीबाई--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९६५ में झांसी में लड़कियों का एच० टी० सी० ट्रेनिंग कालेज खोला गया और उनमें लड़कियों के प्रार्थना-पत्र मांगे गये और सेलेक्शन किया गया लेकिन उन लड़कियों को, जिनको सेलेक्शन में बुलाया गया था उनको न लेकर जून, सन् १९६५ ई० की जो जे० टी० सी० की लड़कियों की सेलेक्शन से रिजेक्टेड लिस्ट थी उसी लिस्ट की लड़कियों को ले लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है।

## गैर-सरकारी अध्यापकों को पेंशन

*२६---श्री काशीनाथ मिश्र तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी अध्यापकों को पेंशन देने की योजना के अन्तर्गत वे ही अध्यापक समाविष्ट होंगे जो एक अक्तूबर, सन् १९६४ या उसके बाद अवकाश प्राप्त किये हैं। इस तिथि के निर्णय का आधार क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश--

जी हां। चूंकि योजना को लागू करने का निर्णय सितम्बर, १९६४ में लिया गया था, इसलिए उसे १-१०-१९६४ से लागू कर दिया गया।

*२७---श्री काशीनाथ मिश्र तथा श्री मैनेजरसिंह--

यदि पेंशन का सिद्धान्त पिछली सेवाओं पर आधारित है तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दस साल या बीस या पैंतालीस साल की सेवायें करने के बाद जो अध्यापक सितम्बर, १९६४ या उसके पहले अवकाश प्राप्त कर लिये हैं वे आपकी इस योजना के अन्तर्गत पेंशन पाने के अधिकारी क्यों नहीं हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

क्योंकि वे योजना के लागू होने की तिथि से पहिले ही सेवामुक्त हो चुके थे।

*२८—श्री काशीनाथ मिश्र तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री गैर सरकारी अध्यापकों को पेंशन देने की किसी ऐसी व्यापक योजना पर विचार करेंगे कि जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों के जीवित अवकाशप्राप्त अध्यापक लाभ उठा सकें ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी नहीं।

## बाराबंकी जिले में विज्ञान शिक्षा

*२९—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में कहां-कहां कौन-कौन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित हैं ? किस-किस विद्यालय में विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था है और १९६४-६५ वर्ष में कितने बालक और बालिकायें विज्ञान शिक्षण का लाभ उठा रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

तालिका 'क' तथा 'ख' सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे ११२१-११२३ पृष्ठ पर)

## मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के लखनऊ कार्यालय में अस्थायी लिपिक

*३०—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय में कितने लिपिक काम करते हैं, और उनमें से कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं और अस्थायी लिपिकों की कोई सीनियारिटी लिस्ट रखी जाती है या नहीं और इनमें से कितने ऐसे लिपिक हैं जिनकी सेवायें पांच वर्ष से अधिक हो गयी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय कुल ३८३ लिपिक कार्य करते हैं। उनमें से २०३ लिपिक स्थायी हैं और १८० अस्थायी।

अस्थायी लिपिकों की नियुक्ति की तिथि के अनुसार सूची रखी जाती है।

केवल ३ अस्थायी लिपिक ऐसे हैं।

## जिला परिषद्, सहारनपुर की सड़क निर्माण योजना

*३१—सर्व श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर) आदि

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् सहारनपुर द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बनायी जाने वाली सड़कों का जो क्रम सर्वसम्मति से पारित करके सरकार को भेजा गया है वह क्या है ? और उसमें क्या कोई हेर-फेर किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिला परिषद् सहारनपुर द्वारा भेजी गई सड़कों की प्राथमिकता सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है। इस सूची पर अभी मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है ?

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ११२४ पर)

## झांसी जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*३२—श्रीमती बेनीबाई—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की मऊ रानीपुर, मोंठ गरौठा तहसीलों में सन् १९६४ ई० की मई, जून में कितने गांव अग्नि से जलकर भस्म हो गये थे और उसमें लोगों का कितना नुकसान हुआ और कितने आदमी व पशु जल कर भस्म हो गये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मई व जून, १९६४ में ४० ग्रामों में अग्निकांड हुए। जिनसे ११ मनुष्य एवं १,०९१ पशुओं की मृत्यु हुई।

३३—श्रीमती बेनीबाई—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अग्नि से पीड़ित लोगों को जिनकी हालत शरणार्थियों से भी बुरी हो गई थी सरकार ने कितनी सहायता पैसे, कपड़ों, लकड़ी आदि से की है ?

श्री हुकमसिंह विसेन—

अग्निपीड़ितों की सहायता हेतु (रू० १०,०००) अहेतुक सहायता तथा रू० १,९३,५१५ आपद्कालीन तकावी ऋण रूप में प्रदान किये गये तथा उनको वन विभाग से प्राप्त गृह निर्माण हेतु लकड़ी निःशुल्क प्रदान करने में कुल रू० १०,४५८.२२ पैसे का व्यय किया गया।

*३४—३६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

(२० अप्रैल, १९६५ को प्रश्न ६०—६२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।)

*३७—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[हटा दिया गया।]

## सावजनिक निर्माण विभाग में स्थायित्व के नियम

*३८—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितनी सर्विस के बाद कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाता है और वर्कचार्ज के रूप में काम करने वाले इसी हैसियत में लगातार कितने वर्ष काम करते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

स्थायीकरण किसी विशेष अवधि के सेवाकाल के समाप्त होने पर स्वतः नहीं होता वर्कचार्ज अधिष्ठान कार्य की आवश्यकता के अनुसार रखा जाता है तथा उसी की आवश्यकता के अनुसार रहता है। उसमें कोई विशेष अवधि का प्रश्न नहीं है।

## ट्रेजरी आफिसों में छुट्टियां

*३९—श्री ऊदल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ट्रेजरी आफिसों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वर्ष में सिर्फ २० दिनों की छुट्टियां मिलती हैं और कलेक्टरेट में दूसरा शनिवार मिलाकर ५३ दिनों की दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन छुट्टियों के सम्बन्ध में कोई एलाउन्स देने या तनख्वाह में उसकी बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है, या करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--

इस वर्ष उत्तर प्रदेश के कोषागारों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को २० दिन की छुट्टियां निगोशियेबुल इंस्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत तथा २ दिन की निर्बन्धित छुट्टियां मिलेंगी और कलेक्टरी के कर्मचारियों को १८ दिन की छुट्टियां निगोशियेबुल इंस्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत, होली की १ दिन की अतिरिक्त, २ निर्बन्धित और ३ दिन की स्थानीय छुट्टियां मिलेंगी। महीने के दूसरे शनिवार की छुट्टी कोषागार वालों को नहीं मिलती है परन्तु यदि वे अपने कार्य समाप्त करलें तो वे ट्रेजरी मैनुअल, भाग २ के पैरा १४७० के अन्तर्गत वे माह के अन्तिम शनिवार को आधे दिन की छुट्टी मना सकते हैं। सरकार इन छुट्टियों के सम्बन्ध में कोषागारों के कर्मचारियों को कोई भत्ता देने का विचार नहीं कर रही है।

## मेन्टीनेन्स डिवीजन के वर्कचार्ज कर्मचारियों को भत्ता न मिलना

*४०--श्री रघुवीरसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विभाग के आदेश क्रमांक ५४३६/ई--३५-ई-६४, दिनांक ३ सितम्बर, १९६४ के द्वारा विभाग के मेंन्टीनेंस डिवीजन के वर्कचार्ज स्टाफ को महंगाई भत्ता उसी विभाग के अन्य कर्मचारियों की भांति नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

पत्र संख्या ५४३६-ई--३५-ई-६४, दिनांक ३ सितम्बर, १९६४ के द्वारा मेंटीनेंस डिवीजन के वर्कचार्ज कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता इत्यादि देने के आदेश नहीं दिये गये थे।

## आजमगढ़ कलेक्टरी में अस्थायी कर्मचारी

*४१--श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ कलेक्ट्रेट (माल विभाग) में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो १० वर्ष से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं जिन्हें अस्थायी तौर पर शैक्षिक योग्यता से बरी (एक्जेम्प्ट) रखा गया है ?

*४२--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसे व्यक्ति संख्या में कितने हैं, कौन-कौन हैं, और उन्हें स्थायी करने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ११२५ पर)

## सहायक चकबन्दी अधिकारी के अमरिया कार्यालय के विरुद्ध शिकायत

४३--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायक चकबन्दी अधिकारी, अमरिया, जिला पीलीभीत के कार्यालय में जो प्रार्थना-पत्र किसानों द्वारा प्राप्त होते हैं उनकी रसीद मांगने पर भी नहीं दी जाती है, ऐसा किस कारण हो रहा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

जी नहीं। रसीद दी जाती है।

*४४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त कार्यालय में किसानों के बहुत से मुकदमों के कागजात, मिस्लें और प्रार्थना-पत्र गुम हो जाने से वहां की जनता में बड़ी बेचेनी फैल गई है और जनता का विश्वास उठता जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी शिकायत नहीं मिली है ।

*४५—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को पता है कि ग्राम अमरिया, जिला पीलीभीत में चकबन्दी शुरू होने के बाद पूंजीपति व्यक्तियों ने अमरिया ग्राम की सैकड़ों बीघा जमीन बहुत कम रुपये में खरीदी ली है और सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय से मिलकर सरकारी कागजों में अपने नाम डलवा रहे हैं ?

श्री हुकमसिंह विसेन—

ह मामला अदालती है । जिन्हें एतराज हो वह इजलास में मुकदमा दायर कर सकते हैं ।

## देवरिया जिले में सड़क निर्माण योजना

*४६—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया की देवरिया-बेलडाडे बरहज-सड़क जन-शक्ति योजना के अन्दर चौथे नम्बर पर ली गई थी ? यदि हां, तो उसका निर्माण अब तक क्यों नहीं हो सका है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*४७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिला की कौन-कौन सी सड़कें इस साल पक्की की जावेंगी और क्या देवरिया मदनपुर सड़क बनेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वर्ष १९६४-६५ में इस जिले में जो सड़क पक्की की गई हैं उनका विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दिया हुआ है ।

देवरिया-मदनपुर सड़क के ८ मील में सी० सी० टेक बनाया गया है । शेष भाग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे ११२६ पृष्ठ पर)

## कृषक माध्यमिक विद्यालय, हिनौता के खिलाफ शिकायतें

*४८—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषक माध्यमिक विद्यालय, हिनौता, जिला इलाहाबाद के सम्बन्ध म वर्ष १९६३ तथा १९६४ में कितने शिकायती-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से शासन को मिले और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वर्ष १९६३ तथा १९६४ में कोई भी शिकायती-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को नहीं प्राप्त हुये। अतः शासन द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## कन्या प्राइमरी पाठशाला नहियां व सिंधोरा

*४९—श्री ऊदल तथा श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव नहियां सिंधोरा ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में कन्या प्राइमरी पाठशाला, प्राइमरी व जूनियर कन्या पाठशालायें कब से चल रही हैं और इनके पास इमारतें हैं या नहीं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इमारत बनवाने पर विचार करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—

कन्या प्राइमरी पाठशाला, नहियां जुलाई, १९५३ से तथा कन्या प्राइमरी पाठशाला, सिंधोरा १९५५ से चल रही है किन्तु सिंधोरा वाली पाठशाला १९६५ से क्रमोत्तर कक्षा में परिवर्तित कर दी गई है।

उपर्युक्त विद्यालयों में भवन नहीं हैं। इन भवनों का निर्माण करना जिला परिषद् के कार्यक्षेत्र में है।

*५०—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

## बिजनौर जिले में पुनः चकबन्दी के लिए प्रार्थना-पत्र

*५१—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गोहावर, हल्लू, परगना बुड़ेपुर, जिला बिजनौर के किसानों का प्रार्थना-पत्र उन्हें दिनांक २४ फरवरी, १९६५ को उक्त ग्राम में पुनः चकबन्दी कराने के लिये प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। दिनांक २४ फरवरी, १९६५ का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। यह जिलाधीश बिजनौर को जांच के लिये भेजा गया है। वह जांच कर रहे ह।

*५२—श्री बसन्तसिंह—

क्या यह सही है कि इस ग्राम में चकबन्दी के पूर्व ग्राम समाज के पास ७५ बीघा भूमि थी और चकबन्दी के उपरान्त केवल २५ बीघा खाम रह गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। जिले से इत्तला मिली है कि चकबन्दी से पहले ७५ बीघा खाम जमीन गांव समाज की थी। चकबन्दी में यह तकरीवन १९० बीघा खाम हुई है।

*५३—श्री बसन्तसिंह—

क्या यह सही है कि उक्त २५ बीघा खाम भूमि केवल रिकर्ड में ही है, मौके पर ग्राम समाज को नहीं दी गई? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिलाधीश जांच कर रहे हैं। वह कब्जे के बारे में आवश्यक कार्यवाही भी जैसी जरूरत होगी करेंगे।

## हिस्सामुद्दीनपुर गांव को लगान में छूट न मिलना

*५४—श्री खयालीराम (जिला लखमऊ) तथा श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की तहसील फूलपुर, ग्राम हिस्सामुद्दीनपुर १३७२ खरीफ की लगान की छूट से अलग क्यों कर दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हिस्सामुद्दीनपुर में क्षति की मात्रा कम थी।

*५५—श्री खयालीराम तथा श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि ग्राम हिस्सामुद्दीनपुर से सटे हुए ग्राम गांव भरौली, एकडंगी, सखनपुर, ईश्वरपुर पवनी गांवों को उक्त फसली में छूट दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, छूट प्रस्तावित है।

*५६—श्री खयालीराम तथा श्री मंगलदेव—

क्या मंत्री जी पुनः जांच कराकर सही पाने पर उक्त ग्राम हिस्सामुद्दीनपुर को भी छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा अब संभव नहीं है।

## संडीला तहसील में अम्बिकाप्रसाद लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

*५७—श्री पंचमदास (जिला हरदोई)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल श्री अम्बिका प्रसाद, गांव सभा पडरी, पो० व तहसील संडीला, जिला हरदोई के विरुद्ध सन् १९५९ ई० से लेकर अब तक कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये और उन पर क्या कार्यवाहियां हुईं और क्या यह सत्य है कि अरसा १० वर्ष से उक्त स्थान व जगह पर उक्त लेखपाल नियुक्त हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई कागजात उपलब्ध नहीं हैं। यह १९५५ में स्थानापन्न रूप से मलइयां क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत ग्राम पड़री आता है, में लेखपाल नियुक्त किये गये। इन्होंने १९ दिसम्बर, १९५७ तक वहां कार्य किया। फिर वह चकबन्दी विभाग में कुछ समय तक कार्य करते रहे। १९६२ से इस क्षेत्र में स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

## कासगंज हवालात में बाकीदार

*५८—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील कासगंज, जिला एटा की हवालात में पहली फरवरी, सन् १९६४ से पहली फरवरी, सन् १९६५ तक कितने दिन बाकीदार रहे और कतने दिन हवालात खाली रही जिस दिन एक भी हवालाती बन्द नहीं रहा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उक्त अवधि में तहसील कासगंज की हवालात में ३३८ दिन बाकीदार बन्द रहे और शेष २९ दिन हवालात खाली रही ।

*५९--श्री गिरवरप्रसाद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस बीच में कितने मुतालबे में यह बाकीदार बन्द किये गये और कितना रुपया उनसे वसूल हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बाकीदारों पर १,२६,४४९ रू० ७६ पै० का मुतालबा था जिस में से ३५,३७९ रू० ६४ पै० इस कार्यवाही द्वारा वसूल हुआ ।

*६०--[प्रश्न का उत्तर सदन में १९ अप्रैल, १९६५ को प्रश्न ७९ के अन्तर्गत दिया गया ।]

## गोंडा जिले में जे० पी० सिंह, ओवरसियर की मुअत्तली

*६१--श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोंडा के श्री जे० पी० सिंह, ओवरसियर को सरकार ने गत सितम्बर, १९६४ से बलरामपुर स्थित महाराजगंज में कराये गये टेस्ट वर्क्स के सम्बन्ध में मुअत्तल किया है ? उसमें आज तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां । उनको अभियोग-पत्र दिया जा चुका है तथा एन्क्वायरी कमेटी भी गठित हो चुकी है ।

*६२--श्री रामसमझावन--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ओवरसियर के मामले में वहां के उच्च अधिकारी भी दोषी हैं जिसकी वजह से आज तक उस ओवरसियर को कागजात आदि प्राप्त करने में कठिनाई पड़ रही है ? यदि हां, तो सरकार इसके बारे म क्या कायवाही करन जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

## लखनऊ-वाराणसी सड़क पर सई नदी का पुल

*६३--श्री रतीपालसिंह (जिला रायबरेली)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ-बनारस रोड पर जो सई नदी का पुल बन रहा है उसके निर्माण हेतु सरकार की कितने रूपये की योजना थी ? यह पुल कितने दिन में पूर्ण बन जायेगा और उसमें कुल कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रश्नगत पुल का निर्माण सात लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत हुआ था । इस पुल के जून, १९६५ तक बन कर तैयार होने की आशा है ? इस पर सात लाख रुपये व्यय होने की संभावना है ।

## रायबरेली जिले में मालगुजारी में छूट

*६४--श्री भगवानदीन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में ओला-पाला तथा सूखे के कारण हुई हानि की पूर्ति के लिये जिला रायबरेली की प्रत्येक तहसील में कितनी मालगुजारी की छूट हुई, कितनी अहेतुक सहायता दी गई और कितनी छात्रों की फीस माफी की सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

रायबरेली जिले में वर्ष १९६३-६४ में रबी १३७१ की फसल को शीत एवं पाले से हुई क्षति स्वरूप मालगुजारी में निम्नांकित छूट स्वीकृत की गई:--

तहसील सदर--६६,६४९ रु० ३४ पैसे ।

तहसील डलमऊ--८१,९८८ रु० १५ पैसे ।

तहसील सलोन--१,१९,१२० रु० ६४ पैसे ।

तहसील महाराजगंज--९४,२८७ रु० १८ पैसे ।

वर्ष १९६४-६५ में ओला, पाला तथा सूखे के कारण किसी प्रकार की छूट आदि नहीं दी गई ।

## रायबरेली में बिक्री-कर का बकाया

*६५--श्री भगवानदीन--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली में अब तक सेल्स टैक्स का कितना रुपया बाकी है और कितना व्यापारियों से इस वर्ष वसूल हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश--

२८ फरवरी १९६५ तक रायबरेली में सेल्स टैक्स का कुल २,३०,७७४ रु० १६ पैसे बाकी थे जिसमें १,३३,५३८ रू० ९४ पैसे की वसूली पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा रोक लगा दी गई थी । वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में २८ फरवरी, १९६५ तक २,९२,७८७ रु० वसूल हुआ जिसमें ५८,८०५ रु० ८८ पैसे बकाया के भी शामिल हैं ।

*६६--श्री भगवानदीन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला रायबरेली में सेल्स टैक्स के कितने मामले ऐसे हैं जिनके वसूल करने पर अदालत द्वारा रोक लगा दी गई है, और क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--

रायबरेली में सेल्स टैक्स के कुल २०४ मामले ऐसे हैं जिनकी वसूली पर संबंधित व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण के विरुद्ध अपील पर निर्णय होने तक जज रिवीजन द्वारा रोक लगा दी गई है ।

## मुहम्मदाबाद-गोहना क्षेत्र में भूमि पर अवैधानिक कब्जा

*६७--श्री सुरजनराम विशारद तथा श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महरूपुर, कुकुड़ीपुर, राउत मऊ, खेमऊपुर, अवाड़ी सी० ओ० सर्किल मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ के गांवों की सार्वजनिक भूमि को गांव के कुछ तिकड़मी लोगों ने अवैधानिक तरीके से जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां, कारण तो कब्जा करने वाले ही बतला सकते हैं। अनाधिकार कब्जे हटाने के सम्बन्ध में जिला अधिकारी उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

## राजकीय इण्टर कालेज, फतेहपुर के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायत

*६८--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता द्वारा राजकीय इण्टर कालेज, फतेहपुर के कुछ अध्यापकों के विरुद्ध भेजा गया दिनांक २१ मई, १९६५ का शिकायती पत्र मंत्री जी व उसकी प्रतिलिपियां शिक्षा निर्देशक, अतिरिक्त शिक्षा निदेशक एवं उपशिक्षा निदेशक तृतीय मण्डल इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है और क्या सरकारी अधिकारियों व अध्यापकों की तीन वर्ष तक ही एक स्थान पर रखने का निदेश होने पर भी राजकीय इण्टर कालेज फतहपुर क कुछ अध्यापकों व प्राध्यापकों को वहां ७, ८, १०, १५ वर्षों से बनाये रखने और हरिजन छात्रों की शिक्षा जटिल बनाने के भी आरोप उक्त २१ मई, १९६५ के शिकायती पत्र में है? यदि हां, तो सब शिकायतें क्या-क्या हैं और उनके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--

ऐसा कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

## मालगुजारी में छूट

*६९--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़), श्री मैनेजरसिंह तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शीतलहरी तथा पछुवा हवा के कारण सन् १९६३-६४ में जो रबी की फसल खराब हो गई थी, इस क्षति के कारण किन-किन जिलों को कितने-कितने रुपये की मालगुजारी में छूट दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ११२७-११२८ पर)

## सलेमपुर तहसील में सेन्ट्रल एक्साइज के बकायादार को हवालात

*७०--श्री उग्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री को तार द्वारा सूचना मिली है कि २३ फरवरी, १९६५ को तहसीलदार, सलेमपुर, जिला देवरिया ने एक कृषिहीन भिखारी को फर्जी तकावी की वसूली में हवालत में बन्द किया? यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां, लेकिन इस तार पर जांच कराने पर मालूम हुआ कि २३ फरवरी, १९६५ को किसी भी कृषिहीन भिखारी को तकावी की वसूली में हवालात में बन्द नहीं किया गया। उक्त तारीख को एक व्यक्ति श्री जगेश्वर को सेन्ट्रल एक्साइज के बकाया की वसूली में हवालात में बन्द किया गया था।

*७१--श्री होरीलाल यादव--

[२२ अप्रैल १९६५ को प्रश्न ७५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

## रजवाड़ी—डिब्रूगढ़ सड़क

*७२—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार प्रश्न सं० १८ व १९, दिनांक २६ फरवरी, १९६५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि इस रोड के सम्बन्ध में कितनी लागत की कितनी पुलियां तथा पुल ओवर ब्रिज बनाये जावेंगे और ओवर ब्रिज जो सैदपुर थाने के सामने रेलवे क्रासिंग पर बनेगा उसमें क्या खर्च होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत सड़क पर ७ पुलियां लगभग ९९,४७४ रु० की लागत पर बनाई जा रही हैं तथा कोई ओवर ब्रिज नहीं बनाया जावेगा। सैदपुर थाने के सामने रेलवे क्रासिंग बनाने में लगभग ३५,००० रु० व्यय होगा।

*७३—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी भूमि इस रोड के सम्बन्ध में गाजीपुर जिले में ली जा रही है ? उसका मूल्य क्या है और कितने चकों पर इसका असर पड़ेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गाजीपुर जिले में इस सड़क के लिये १६९.७३ एकड़ स्थायी रूप से तथा २४८.०७ एकड़ अस्थायी रूप से भूमि ली गई है। इस भूमि का कितना मूल्य होगा तथा कितने चकों पर असर पड़ेगा इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७४—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में २ मार्च, १९६५ तक कोई सड़क नहीं बनी है और सभी खेतों में फसल भी खड़ी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क पर कुछ स्थान पर मिट्टी का कार्य हो गया है और कुछ पुलियों के निर्माण का कार्य भी हुआ है। विभाग को आदेश दिये गये हैं कि सड़क निर्माण में खड़ी फसल को कोई हानि न पहुंचाई जाय।

## हसनपुर तहसील में "खादर यांत्रिक कृषि संघ" को दी गयी तकावी

*७५—आचार्य मोहनलाल (जिला पीलीभीत) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद के उन ग्रामों में जोकि गंगा के निकट खादर में हैं कुछ वर्ष पूर्व कृषकों ने बंजर जमीन तोड़ कर खेती करनी आरम्भ की थी और उन्होंने इस सम्बन्ध में बीज और खाद को तकावी के रूप में लिया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद में गंगा के खादर क्षेत्र में भूतपूर्व जमींदार कृषकों ने "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत जमीन्दारी विनाश के पश्चात् एक संघ "खादर यांत्रिक कृषि संघ" बनाया और बंजर भूमि को तोड़ कर कृषि फार्म स्थापित किये। इन कृषकों को तकावी ऐक्ट १२ के अन्तर्गत खाद व कृषि के लिये क्रमशः रु० ४१,६८७.७७ पै० व रु० ३९,९४८.३० पै० तकावी के रूप में बांटे गये थे। इसके अतिरिक्त तकावी ऐक्ट १९ के अन्तर्गत भी ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिये १ लाख रु० दिये गये थे।

*७६—आचार्य मोहनलाल तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कृषकों की भूमि को गंगा ने काट लिया है जिससे कि वह कृषक बरबाद हो गये हैं और वह सरकार के ऋण को चुकाने के लिये असमर्थ हो गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

केवल जैतोली ग्राम स्थित एक फार्म का कुछ अंश गंगा के बहाव से कटा है। शेष भूमि पूववत् है। कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी बताई जाती है।

*७७—आचार्य मोहनलाल तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे बरबाद हुए कृषकों के ऋण को माफ एवं स्थगित करने पर तुरन्त ध्यान देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता।

*७८-७९—श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर)—

न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण हटा दिये गये।

## कीर्ति नगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग का कथित सब-डिवीजन

*८०—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर नामी कस्बा के सार्वजनिक निर्माण विभाग का सब-डिवीजन क्यों हटाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कीर्तिनगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग का सब-डिविजन नहीं था। अतः उसके हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

*८१—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को मालूम है कि उक्त सब डिवीजन जिला टिहरी गढ़वाल के सुदूरस्थ भूखण्डों में होने वाले निर्माण कार्यों की देखरेख करता था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न नहीं उठता।

*८२—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह भी मालूम हुआ है कि कीर्तिनगर से विभाग के सब डिवीजन के हटने से ठेकेदारों को जो समीपी मोटर,मार्गों पर काम करते हैं, परेशानी और असुविधा बढ़ी है स्थानीय जनता मांग कर रही है कि उक्त डिवीजन को पूर्ववत् कीर्ति नगर ही में रखा जाय यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया ?

श्री जगनप्रसाद रावपत—

प्रश्न नहीं उठता।

## केम्पियरगंज व करमैनीघाट के पुल

*८३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राप्ती नदी पर कैम्पियरगंज—मेहदावल रोड पर (फरेदा तहसील में) करमौनी घाट के पुल का कोई प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से और कुल कितने रुपये का अनुदान होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं ।

*८४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण तक इस पुल पर कार्य शुरू हो जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न नहीं उठना ।

## प्राइमरी पाठशाला, रामगंज की इमारत

*८५—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष प्राइमरी पाठशाला, रामगंज की इमारत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामगंज के प्रधानाचार्य को निवास हेतु हस्तान्तरित करके जिला परिषद् की सम्पत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं ? यदि हां, तो कितने दिनों से ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्नगत भवन जूनियर हाईस्कूल का था जो परिषद के प्रस्ताव संख्या ९४ दिनांक २७-७-५० द्वारा प्राइवेट हायर सेकेन्डरी स्कूल, रामगंज को हस्तान्तरित किया गया था ।

उक्त स्कूल के प्रधान अध्यापक उसमें सन् १९५१ से रहते हैं ।

*८६—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल—

क्या यह सही है कि प्राइमरी पाठशाला रामगंज के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, भवन पर्याप्त न होने के कारण कुल ४६५ छात्रों में से कुछ छात्र बाहर बैठते हैं ।

*८७—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल—

क्या यह सही है कि सन् १९५४ में एक इमारत के होते हुये रामगंज प्राइमरी पाठशाला की दूसरी इमारत बनाने हेतु वहां के हेडमास्टर को १,००० रुपये बतौर पेशगी दिया गया था और वह रुपया गबन हो गया और इमारत आज तक नहीं बनी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सन् १९५४ में प्रश्नगत मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी ।

## बस्ती जिले में तकावी का मतालबा

*८८—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती के मेंहदावल विकास खंड के अन्तर्गत गगनई ग्राम में कुछ किसानों के बैल फरवरी महीने में सिंचाई से बकायों के अन्तर्गत कांजी हाउस में बंद कर दिये गये जबकि उन्होंने अदायगी की रसीद भी दिखाई ? तहसील खलीलाबाद और बांसी में ऐसे बहुत से गलत हिसाब के नाते तकावी में गड़बड़ी पाई जाती है, इसकी सरकार जांच करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्नांकित ग्राम में सिंचाई का कोई मतालबा ही न था अतएव इस सम्बन्ध में फरवरी में किसी की कुर्की का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील खलीलाबाद व बांसी में तकावी का हिसाब सामान्यतः सही है, अतएव जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*८९—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार गलत वसूली से किये गये किसानों की हानि की पूर्ति गलती करने वाले अधिकारी से करायेगी और तमाम लेखा ठीक करने के लिये कठोर कदम उठायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपरोक्त उत्तर के संदर्भ में यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

*९०–९२—श्री बलवानसिंह—

[वापस ले लिये गये ।]

## कासिमाबाद ब्लाक से किसानों को तकावी

*९३—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के अन्तर्गत तत्कालीन कम्युनिटी प्रोजेक्ट, कासिमाबाद द्वारा सन् १९५२–५३ से सन् १९५७–५८ तक ब्लाक कासिमाबाद तथा ब्लाक मरदह में किन-किन ग्रामों में और किन-किन व्यक्तियों को चारा काटने की मशीन, हैन्ड पाइप एवं पानी पीने के कुयें के लिये कितनी कितनी तकावी दी गई ? क्या उन व्यक्तियों ने उक्त तकावी की धनराशि जमा कर दी है फिर भी उन व्यक्तियों से उसकी वसूली की जा रही है जब कि उनमें अधिकांश लोगों के पास अधिकांश रसीदें मौजूद हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला गाजीपुर के अन्तर्गत तत्कालीन कम्युनिटी प्रोजेक्ट, कासिमाबाद द्वारा सन् १९५२-५३ से लेकर १९५७–५८ तक ब्लाक कासिमाबाद तथा मरदह में चारा काटने की मशीन, हैन्ड पाइप तथा पानी पीने के कुओं के लिये दी गई तकावी का विवरण नीचे दिया हुआ है:—

(१) चारा काटने की मशीन के लिये—

उक्त ब्लाकों के १३७ गांवों में ४५८ व्यक्तियों को ३५,४२२ रुपये की तकावी बांटी गई थी ।

(२) हैन्ड पाइप लगाने के लिये—

उक्त ब्लाकों के १० गांवों में २८ व्यक्तियों को ४,०९५ रुपये की तकावी बांटी गई थी ।

(३) पानी पीने के कुओं के लिये—

केवल मरदह ब्लाक के केवल १ गांव में २ व्यक्तियों को ९०० रुपये की तकावी बांटी गई थी ।

२--उपर्युक्त मद १, २ तथा ३ के सम्बन्ध में सूची बहुत लम्बी है, माननीय सदस्य महोदय उस सूची को मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

३--केवल दो व्यक्तियों से जिनको चारा काटने की मशीन के लिये तकावी दी गई थी, दुबारा मांग की गई थी। जांच करने पर गलती का पता चला और वह ठीक कर दी गई है।

*९४--श्री झिलमिटराम--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त तकावी जमा करने वाले व्यक्तियों में जिनकी रसीदें अन्य कारणों से आग लगने, चोरी होने, मकान ध्वस्त होने आदि से गायब हो गयी हैं उन व्यक्तियों की तहसील की रसीद काउन्टर फाइल के द्वारा जांच करा कर उन्हें उक्त तकावी से मुक्त कराने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर जांच अवश्य करवायी जावेगी और यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

*९५-९७--सर्वश्री चन्दनसिंह आदि--

[१०वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

## सदर तहसील में राप्ती का कटाव

*९८--श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राप्ती नदी के काटव से गोरखपुर सदर तहसील के ग्राम नदुआ सम्पूर्ण तथा नौआडुमरी व ग्राम सेमरौता में घर डूब गये हैं? इसके लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

ग्राम नदुआ, नौआ डुमरी तथा सेमरौता में क्रमशः २४९, ५५ तथा ५६ घर कटे जिसके कारण क्रमशः २५९, ६० व ६१ परिवार प्रभावित हुये हैं। ग्राम नदुआ में १०५ परिवार बस चुके ह। इस ग्राम के शेष १५४ परिवारों तथा ग्राम नौआ डुमरी एवं सेमरवता के पीड़ित परिवारों को जो कि अस्थायी रूप से बस चुके हैं। स्थायी रूप से बसाने के लिए समुचित भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है परन्तु भूमि के स्वामियों तथा उन के समर्थकों द्वारा रुकावट डाले जाने के कारण कब्जा नहीं मिल पाया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*९९--श्री ऊदल--

[१०वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

## विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ में अध्यापकों का वेतन

*१००--श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ में कौन-कौन स्थायी, कौन-कौन अस्थायी और कौन-कौन पार्ट-टाइम टीचर्स (अध्यापक) कार्य कर रहे हैं और उन को मासिक वेतन क्या मिलता है? जिसे तनख्वाह के आधार पर ही एड दी जाती है?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ११२९ पर)

*१०१—श्री बृजेश्वरसहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ, जो सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त विद्यालय है, के मैनेजर ने विद्यालय के कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं दिया है और मैनेजर ने प्रधानाचार्य को यह लिख कर दे दिया है कि उन के पास धन नहीं है जो वेतन दिया जा सके? यदि यह सही है तो क्या सरकार विद्यालय के एन्डाउमेंट से वेतन समय पर दिलाने की कृपा करेंगी?

श्री कैलाशप्रकाश—

विद्यालय के कर्मचारियों को बराबर वेतन दिया जा रहा है। अतः दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

*१०२—श्री बृजेश्वरसहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विद्यालय में सन् १९६४ में मैनेजर की गड़बड़ी के कारण विद्यालय में एक माह हड़ताल रही थी और उन्हीं गड़बड़ियों के कारण व वेतन समय पर न देने के कारण फिर हड़ताल होने जा रही है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रिंसिपल को अपने पद से अवकाश दिये जाने के कारण विद्यार्थियों ने हड़ताल की थी। भविष्य में हड़ताल होन की सूचना शासन को नहीं है।

## अतारांकित प्रश्न

### घोसी-नदवा, सराय-मुहम्मदाबाद सड़क में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

१—श्री झारखण्डेराय—

क्या सार्वजनिक निर्माणमन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी-नदवा, सराय-मुहम्मदाबाद रोड पर जो जमीन ली गयी है, उसका मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिला और किसानों से उस जमीन की लगान वसूली की जा रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के निर्माण के लिए कुल ३२ गांवों की भूमि ली गयी है जिन में से १२ गांव की भूमि का मुआवजा घोषित कर दिया गया है। इन गांवों के किसान जो मुआवजा वितरण के दिन मौके पर मौजूद थे उनको मुआवजा दे दिया गया है और अन्य किसानों को जो मौजूद नहीं थ, मुआवजा मांगने पर खजाने से भुगतान कर दिया जायेगा। इन १२ गांवों के किसानों से लगान की वसूली भी नहीं की जा रही है। शेष २० गांवों के किसानों को शीघ्र मुआवजा देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। इन ग्रामों में ऐसी भूमि के लगान वसूली को मुल्तवी करने के आदेश भी भेजे जा चुके हैं।

२—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन सम्बन्धित किसानों को मुआवजा जल्दी दिये जाने की व्यवस्था की जायगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां।

३---श्री झारखण्डेराय--

आजमगढ़ जनपद में गम्भीरपुर से जैगहां तक जाने वाले कच्ची सड़क पर (जिस पर टेस्ट वर्क से काम हुआ है) कितने पुल बनाने का निर्माण-कार्य लिया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस मार्ग पर किसी भी पुल का निर्माण-कार्य नहीं लिया गया है।

## लोरिकपुर के अग्निपीड़ितों को सहायता

४---श्री भगवानदीन--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम लोरिकपुर, तहसील मुसाफिरखाना, पोस्ट गोराजामों, जिला सुल्तानपुर में १३ फरवरी, सन् १९६५ को जो अग्निकांड की घटना घटित हुई थी उस में कितने घर जलकर राख हो गये हैं ? क्या सरकार की ओर से उन घर वालों को कोई सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों और अगर दी जायगी तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इस अग्निकांड से ९ घरों को क्षति हुई। अग्निपीड़ितों की सहायता हेतु १३०) रु० प्रदान किये गये।

## गजपतपुर ग्राम में चकबन्दी में अनियमितता की शिकायत

५---श्री झिलमिटराम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम गजपतपुर, तहसील व जिला गाजीपुर के किसानों का प्रार्थना-पत्र दिनांक ६ अगस्त, १९६४ प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ जिस में चकबन्दी की अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था राजस्व मन्त्री महोदय को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और प्रार्थना-पत्र में वर्णित त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया था। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित त्रुटियों का निराकरण जिलाधीश ने करा दिया है।

## फर्रुखाबाद जिले में गंगा का पुल तथा मुहम्मदाबाद---छिबरामऊ सड़क

६---श्री दयाराम शाक्य--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी का पुल प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था और किसी कारणों से न बन सका तथा सन् १९६३ व १९६४ में उस के बनने के आश्वासन दिये गये ? यदि हां, तो क्या आगामी योजना में सरकार का निश्चय उक्त पुल बनवाने का है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस पुल का निर्माण अभी तक धनाभाव के कारण किसी भी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं किया गया। आगामी योजना में इस पुल का निर्माण आवश्यक धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

७—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में मुहम्मदाबाद–छिबरामऊ सड़क जो युद्धोत्तर काल के कार्यों में सम्मिलित थी और जिस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कार्य भी प्रारम्भ हो गया था किन कारणों से स्थगित कर दी गयी थी तथा सरकार अब उसे कब तक बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कथित सड़क युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण में कच्ची सड़क के रूप में सुधार हेतु ली गयी थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को पक्की करने का कार्य भी सम्मिलित किया गया था परन्तु अन्तरिम जिला परिषद्, फर्रुखाबाद व स्थानीय विधान सभा परिषद् के सदस्यों ने अनुरोध किया कि इस सड़क के स्थान पर छिबरामऊ-फर्रुखाबाद सड़क को उस योजना में सम्मिलित किया जाय। सरकार ने यह प्रार्थना मान ली और योजना में उचित संशोधन कर दिया। इस समय इस सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं।

## मकनपुर के मेला में गांधी स्मारक का अपमान

८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले की तहसील बिल्हौर के मेला मकनपुर में इस वर्ष तहसील का कैम्प अपने पुराने निश्चित स्थान पर न लग कर गांव पंचायत भवन में लगाया गया और किसकी स्वीकृत पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील का कैम्प पुराने स्थान पर न लगा कर गांव पंचायत भवन में लगाया गया। इस के लिए प्रधान ग्राम पंचायत की अनुमति ले ली गयी थी।

९—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि उक्त गांव पंचायत भवन के अन्दर निर्मित्त गांधी स्मारक पर असंवैधानिक ढंग पर तहसील के उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जूते पहिने और मेज कुर्सी लगा कर उसी स्मारक पर कार्य किया जिस पर सार्वजनिक कार्य-कर्त्ताओं तथा नागरिकों ने आपत्ति की ? यदि हां, तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उपेक्षा करने का आधार क्या था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस विषय में जिलाधीश द्वारा जांच की जा रही है।

१०—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्मारक के प्रति की गयी यह कार्यवाही उचित थी ? यदि नहीं, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने की दिशा में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जैसा प्रश्न ९ के उत्तर में कहा गया है, जांच अभी की जा रही है। जांच के बाद जो भी कार्यवाही उचित होगी, की जावेगी।

## फतेहपुर जिले में अस्थायी लेखपाल

११—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की प्रत्येक तहसील में तीन वर्ष से अधिक सेवा कार्य करने वाले कौन-कौन लेखपाल अब तक स्थायी नहीं हो सके हैं? और प्रत्येक के सेवा कार्य की अवधि क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ११३० पर)

१२—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि उक्त प्रत्येक लेखपाल के कब तक स्थायी हो जाने की सम्भावना है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जब स्थायी जगह खाली होंगी, तभी लोग मुस्तकिल होंगे।

१३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि इतनी लम्बी अवधि तक सेवा कार्य करने के बाद भी स्थायी करने सम्बन्धी विलम्ब का कारण क्या है और नियमतः कितनी अवधि तक सेवा करने पर स्थायी हो जाने के अधिकारी हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एवजी करने वालों के लिए मुस्तकिल होने की मियाद तय नहीं की जा सकती।

## चकबन्दी कार्यालय, अमरिया में भ्रष्टाचार की शिकायत

१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मुख्य मन्त्री महोदया और जिलाधीश, पीलीभीत को चकबन्दी कार्यालय अमरिया में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के सम्बन्ध में कोई सूचना रजिस्टरी दिनांक १९ जनवरी, १९६५ द्वारा प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अमरिया के चकबन्दी कार्यालय में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के सम्बन्ध में शिकायत जिलाधीश के कार्यालय में प्राप्त हुई थी। जिलाधीश ने जांच की। आरोप सही नहीं पाये गये।

१५—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को पता है कि चकबन्दी कार्यालय अमरिया, जिला पीलीभीत म कुछ किसानों को बुलाकर सरकारी अधिकारियों ने जूतों से मारा-पीटा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

१६—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को पता है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी अमरिया, जिला पीलीभीत ने ग्राम अमरिया की बन्जर जमीनें, तालाब और भट्ठे की भूमि की कीमत तो चौदह आने रखी है परन्तु किसानों की ऐसी भूमि जिन पर दोनों फसलें (रबी और खरीफ) होती हैं उन की कीमत केवल चार आने रखी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सहायक चकबन्दी अधिकारी ने एक स्थान पर तालाब और भट्ठों की मालियत १४ आने लगायी थी, जिसे चकबन्दी अधिकारी ने ठीक कर दिया है ।

कुछ खेतों में जिनमें रबी और खरीफ दोनों फसलें होती हैं उन की भूमि खराब होने के कारण मालियत ४ आने रखी गयी है ।

## कानपुर में गंगा का पुल

१७—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में गंगा के ऊपर नया पुल चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्मित्त किया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह पुल राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है और इसके निर्माण का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है । प्रदेशीय सरकार ने पुल तथा एप्रोच रोड का आगणन बनाकर केन्द्रीय सरकार को जनवरी, १९६४ में भेजा । अभी तक उन की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है और न केन्द्रीय सरकार ने अगली योजना में इसके निर्माण का आश्वासन दिया है ।

## बलिया जिला परिषद् को अनुदान

१८—श्री मैनेजरसिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला परिषद् को १९६३–६४ एवं १९६४–६५ में कितना-कितना धन राज्य सरकार ने सज्जा सामान के लिए दिया और क्या उसका नियमानुसार सदुपयोग हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला परिषद् बलिया को प्रश्नगत मद में वर्ष १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में क्रमशः १,३०,८२५ रु० तथा १५,७२५ रु० स्वीकृत किये गये जिनका उपभोग नियमानुसार किया गया ।

१९—श्री मैनेजरसिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषदों को स्कूलों के सज्जा-सामान के हेतु दिये गये धन के उपयोग के सम्बन्ध में कोई राजाज्ञा है ? यदि हां, तो क्या सदन की मेज पर रखने की कृपा होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिन राजाज्ञाओं में अनुदान स्वीकृत किया जाता है उन्हीं में उक्त धन की उपभोग के विषय में आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं । चूंकि कई विस्तृत राजाज्ञाओं में ये अनुदान स्वीकृत हुये हैं, ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आने की कृपा करें । सभी राजाज्ञायें उन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायंगी ।

# भूतपूर्व सदस्य, श्री राजवंशी राय के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

मुझे आदरणीय सदन के सामने बहुत दुःखद समाचार देना है। आज हमारे बहुत बूढ़े कांग्रेसी नेता, श्री राजबंशी राय, का ४ बजे बलरामपुर अस्पताल में देहांत हो गया। देवरिया के वे बहुत बड़े नेता थे। उन की एक त्याग और तपस्या है। हर आन्दोलन में वे जेल जाते रहे। उनका सारा जीवन त्याग और तपस्या का रहा। इन दिनों में बीमार ज्यादा होने के कारण वे ऐक्टिव पालिटिक्स में नहीं रहे, फिर भी रचनात्मक कार्यों में उन्होंने बहुत कुछ सहयोग दया है। कुछ दिन पहले मुझे वहां जाने का मौका हुआ था। एक देहाती इलाके में जहां कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने वहां एक स्कूल खोला। उसको देखकर मेरे ऊपर असर पड़ा था। देश की सेवा हर तरीके से वे करते रहे। उन को दमे की बीमारी बहुत दिनों से थी। उसी से हार्ट अटैक हो गया था, मगर अपने पुत्र रामायण राय को भी उन्होंने खबर नहीं दी। जब उन्हें खबर लगी तो व यहां ले आये। डाक्टर कह रहे थे कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। श्री राजबंशी राय जी का देहांत आज ४ बजे हो गया है। आज हम सब उनली दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके शोक संतप्त परिवार के साथ समवेदना प्रकट करत ह।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं अपने दल एवं विरोधी दल को माननीया मुख्य मन्त्री की भावना से सम्बद्ध करता हूं। बड़ा स्वाभाविक है, जब कोई समाजसेवी उठ जाता है तो अपने को भय एवं दुःख का अनुभव होता है। हम सब दुःखी हैं। यद्यपि वे ८५ वर्ष की उम्र के हो चुके थे तथापि उन की सेवाओं को स्मरण कर दुःख होता है। हम आप से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहानुभूति भी उनके शोक संतप्त परिवार को पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

माननीया मुख्य मन्त्री जी ने स्वर्गीय राजबंशी राय के लिए जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, उन से में अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, वे सन् १९२१ से देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई में शामिल रहे और तब से लगातार राजनीति में हिस्सा लेते रहे और १९४८ में श्रीमन्, जब सोशलिस्ट पार्टी काग्रस से अलग हुई थी तो वे कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी में शामिल रहे और उसके कार्यों व सिद्धान्तों में सक्रिय हिस्सा लेते थे। उस के बाद १९५२ में वे उसी के टिकट से इस विधान सभा के सदस्य हुये। १९५२ से १९५७ तक वे बड़ी लगन और तत्परता, उत्साह और शांति से इस सदन के द्वारा देश और प्रदेश की उन्नति में लगे रहे। श्रीमन्, उन की सादगी और कम बोलना और सदा दृढ़ता के गुणों से हम नौजवानों पर जो उन के साथ थे, उनका बड़ा असर था। उन के ऊपर जो दैवी प्रकोप दमे की बीमारी के रूप म था, उस से उनका शरीर जीर्ण क्षीर्ण हो गया था। १९५७ के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र की विरासत अपने पुत्र को दे दी। और तब से वे लगातार जनता की सेवा करने में लगे रहे। उन की इस अकस्मात् मृत्यु से में समझता हूं कि देवरिया जिले में उत्साह कम हुआ है। वे निःस्वार्थ भावना से सेवा करते थे।

मैं अधिक न कह कर अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उन के परिवार के साथ समवेदना प्रकट करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि उनके परिवार को हमारे दल की ओर से समवेदना अवश्य भेजने की कृपा करें।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, माननीय राजबंशी राय जी देवरिया के वयोवृद्ध राष्ट्रीय नेताओं में से रहे हैं। वह इस सदन के ५ वर्ष तक, सन् १९५७ तक, सदस्य थे और उस अवसर का लाभ मैंने उनसे सम्पर्क

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखण्डेराय]

और परिचय करने का उठाया। उस समय विरोधी पक्ष में थोड़े लोग थे, इसलिए परस्पर परिचय गहरा था। वह बहुत ही गम्भीर और सहनशील विचारों के व्यक्ति थे। यदाकदा यहां की कार्यवाहियों में हिस्सा लेते थे और उस समय भी बहुत ही सुदृढ़ और सोच विचार कर बातें कहते थे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वह अपने जाने से पहले अपने योग्य पुत्र, श्री रामायण राय जी को देश और प्रदेश की सेवा के लिए छोड़ गये हैं, जिनको मैं विद्यार्थी जीवन से जानता हूं।

हर स्तर के पुराने वयोवृद्ध नेता जो योधा के रूप में और महारथी के रूप म आजादी की लड़ाई में काम किये हैं वह एक-एक करके हमारे बीच से उठते जा रहे हैं। उनकी जगहों को भरना निकट भविष्य में संभव नहीं दीख पड़ता है, यह हमारे देश के लिए बड़ा गम्भीर विषय है, चाहे वह जिले के स्तर पर हो या सूबे के या देश के स्तर पर हो। मैं अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से और अपनी ओर से उनके सन्तप्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी सहानुभूति उन के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री राजबंशी राय जी का और मेरा परिचय सन् १९५२ में हुआ जब कि मैं और वह विधान सभा के सदस्य थे। तभी से उन्हीं के द्वारा माननीय रामायणराय जी से भी परिचय हुआ। बड़े दुःख की बात है कि हमारी आजादी की लड़ाई के सिपाही और सेनानी एक-एक करके पके आम की तरह टपकते जा रहे हैं। आजादी की लड़ाई के लिए जो कुछ उन्होंने किया उसे सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि वह हमारे बीच में हमें सलाह देने के लिए नहीं रहे। मैं अपनी ओर से और अपने दल की तरफ से प्रार्थना करता हूं कि उन के सन्तप्त परिवार को हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का गर्व है कि श्री राजबंशी राय जी हमेशा हमारे साथ समाजवाद की लड़ाई लड़ते रहे। खास तौर से वह देवरिया के लिए एक गर्व के व्यक्ति थे। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे, इसका हम सब को बड़ा दुख है और मैं अपने आपको और अपनी पार्टी को, जो विचार यहां उन के बारे में रखे गये हैं, उनसे सम्बद्ध करते हुये आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हम लोगों की समवेदना उन के सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजबंशी राय जी के बारे में जो विभिन्न दलों के नेताओं ने विचार प्रकट किये हैं, मैं अपने आप को और अपने दल को उन के साथ सम्बद्ध करता हूं। वे लोग धन्य हैं जो देश और समाज की सेवा में अपने जीवन को लगाते हैं। राजबंशी राय जी इस माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्यों में से थे। उनके यश से हम लोग सभी परिचित हैं और हमारा देश और प्रदेश आज उन की सेवाओं को लाभ नहीं उठा सकता है जो वह पहले से उठा रहा था। फिर भी, जो होना होता है वह तो होता ही है। हमारे समाज की सेवा करने वाले पुराने अनुभवी लोग हम को छोड़कर चलते जा रहे हैं।

अनिच्चावत संखारा,
उप्पाद वय धम्मिनके।
उपनिन्झत्वा निरूज्झन्ती,
ते सं वूप समे सुखो।।

जो दुख होता है उसे सहन करना हम सब के लिए आवश्यक हो जाता है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से समवेदना प्रगट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन के दुखी परिवार को हमारी समवेदना पहुंचाने को कष्ट क ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

इस आदरणीय सदन के विभिन्न दलों के नेताओं की भावनाओं से मैं अपने आप को सम्बद्ध करत हुये इतना कह देना उचित समझता हूं कि श्री राजबंशी राय केवल देवरिया के ही नहीं, अपितु निकटवर्ती जो जिले हैं वहां भी वह आदर्श रूप के नेता माने जाते थे। उन के त्याग और तपस्या से सभी प्रभावित थे। काल के पद पर जो पद-चिह्न ऐसे त्यागी और तपस्वी लोग छोड़ गये हैं वे यदि हम सबको उत्साह देते रहे तो उनका जीवन सफल समझा जायगा। हमें इस बात का हर्ष है कि वह एक अपने जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चिप आफ दि ओल्ड ब्लाक, एक अपने अंश को हमारे बीच में श्री रामायण राय के रूप में छोड़ गये हैं। हम आशा करते हैं कि रामायण राय जी अपने पिता के पद-चिह्नों पर चलकर उन आदर्शों को पूरा करेंगे जिन के लिए उनके पिता जिये हैं।

अब हम खड़े होकर २ मिनट के लिएं, उन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए खड़े हुये।)

## प्रश्नों के स्थगन तथा उत्तर बदले जाने पर आपत्ति

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नो के संबंध में मुझे निवेदन करना है कि ६ अप्रैल, को माननीय लखपत राम जी शर्मा के प्रश्न थे, मेरे प्रश्न थे, रवीन्द्रालय के बारे में और मेरा एक अल्प सूचित तारांकित प्रश्न था जो माननीय उपाध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई है कि उन प्रश्नों का उत्तर आने के पश्चात् भी स्थगित करा देती है। मैं यह मान सकता हूं कि यदि कोई मंत्री यहां उपस्थित न हों, अस्वस्थ हों, तो प्रश्नों को स्थगित किया जा सकता है। लेकिन उनके यहां होते हुए भी कुछ कारणों से प्रश्न स्थगित किये गये हैं। जब से प्रश्न विभाग में आपने एक नये अफसर नियुक्त किये हैं तब से और भी गड़बड़ी होने लगी है। मैं तीन उदाहरण आपको देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप यह सब लिखकर दे दें तो मैं अन्वेषण करके उचित कार्यवाही कर सकूंगा।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

माननीय ईश्वर शरण के कल कुछ प्रश्न थे। उनके उत्तर सरकार की ओर से विधान सभा के नोटिस आफिस में प्राप्त हो गये थे। मेरे देखते देखते उन उत्तरों को वापस कर दिया गया। बाद में यही उत्तर यहां दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैंने उन प्रश्नों के थोड़े से एकाध के उत्तर लिख भी लिये थे। प्रश्न संख्या १३, १४.१५ पर आज वे लगे हुए हैं। मैं इस विषय को आपके सामने इसलिये उठा रहा हूं कि विरोधी दलों के प्रश्नों का कुछ महत्व होता है। उत्तर वापस मंगा कर यह उत्तर यहां देना कि सूचना एकत्रित की जा रही है, इससे अधिक सदन का अपमान और क्या हो सकता है? इससे अधिक गैर-जिम्मेदारी की बात सचिवालय के लिये क्या हो सकती है कि किसी विभाग से माननीय सदस्य के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जावें और माननीय सदस्य के यहां बंटने के लिये पहुंच जावें और उसके बाद बिना आपके जाने हुए उन प्रश्नों को वापस मंगा लिया जाय क्या किसी अधिकारी को ऐसा करने का अधिकार है कि उन उत्तरों को वापस कर दे..

श्री अध्यक्ष--

हो गया। आप कृपया बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, कल जो प्रश्न झंडे के संबंध में एटा जिले का था उसका भी उत्तर प्राप्त हुआ था लेकिन कह दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है, जब कि माननीय मंत्री जी ने उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए पूरी सूचना यहां दे डाली थी। केवल प्रश्न यह था कि जिसने यह कार्य किया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? माननीय हुकुम सिंह जी मौजूद हैं, उनसे आप पूछ लें, उत्तर यह दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। तो आप कृपया हमें बतलायें कि जो व्यक्ति इसके लिये दोषी है उनके विरुद्ध नियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की जाय जब कि सदन के सामने इस तरह की बातें हों?

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, यह प्रश्न प्रिविलेज का है। सदन की कार्यवाही में रोड़ा अटकाना, प्रश्नों को या उसके उत्तरों को वापस कर देना, यह एक बढ़ा ही महत्पूर्ण प्रश्न है। हम लोग लिख कर प्रिविलेज का नोटिस दे देंगे कि सरकारी कर्मचारी किस तरह से सदन के कार्य में बाधा डालते हैं।

श्री अध्यक्ष--

जब तक लिखित रूप में नहीं आयेगा तब तक मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं। न मैं इसके लिये तैयार होकर आया हूं और न मैं तथ्यों को ही जानता हूं और न अभी मैंने उनका अध्ययन किया है, इसलिये मैं इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं।

## नियम ५० के अन्तर्गत चर्चित विषय पर मन्त्री द्वारा स्पष्टीकरण न दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, कल दादरी टाउन एरिया के चेयरमैन को पुलिस द्वारा थाने में बन्द कर पीटे जाने के संबंध में आधे घंटे का एक विवाद होना था। माननीय गृह मंत्री ने कह दिया कि अदालत में मुकदमा है, जब कि मैं बार-बार कहता रहा कि किस तरह का मुकदमा अदालत में है इसको आप बतला दें, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किस तरह का मुकदमा है और किस पर है ....

श्री अध्यक्ष--

मतलब यह है कि जो महानुभाव इस आसन पर उस समय आसीन थे, अगर उन्होंने कोई व्यवस्था किसी संबंध में दे दी है तो उसकी अपील तो मैं सुन ही नहीं सकता। अगर आप लिख कर दे दें कि तथ्य क्या हैं तो मैं देख लूंगा कि इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल--

माननीय गृह मंत्री मौजूद है, उनसे आप स्पष्ट करा लें कि कौन सा मुकदमा है?

श्री अध्यक्ष--

जब एक व्यवस्था दे दी गयी, तो उसके ऊपर अन्वेषण यहां तो हो नहीं सकता।

श्री रामचन्द्र विकल--

आपने एक प्रश्न को विवाद के लिये मंजूर किया और उसके ऊपर अगर कार्य न किया जाय तो यह जरा अच्छी बात नहीं है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, टाउन एरिया दादरी के चेयरमैन को पीटे जाने के विरोध में वहां के हजारों आदमियों ने प्रदर्शन किया, तो माननीय मंत्री जी बतला तो दें कि वह मुकदमा किस पर चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

(श्री लखपतराम शर्मा के खड़े होने पर )

श्री अध्यक्ष--

माननीय लखपतराम जी, आप कृपया बैठ जायं ।

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सहमति की सूचना

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संबंध में विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सहमति संबंधी निम्न सूचना देता हूं --

इस सचिवालय के पत्र संख्या २९०२/ए वि०,प०, दिनांक २३ अप्रैल, १९६५ के क्रम के मुझे आपको उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १९६ (३) के अन्तर्गत यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २६,२७ व २८ अप्रैल, १९६५ की बैठक में विचारार्थ लिये जाने के उपरान्त अन्तिम दिन की बैठक में स्वायत्त शासन मंत्री के निम्नलिखित प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है --

"यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के अधीन कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रस्तुत करे ।"

२--उपर्युक्त संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये विधान परिषद् के निम्नलिखित ८ सदस्यों को निर्वाचित किया गया है--

(१) श्री वीरेन्द्र शाह, सदस्य, विधान परिषद्
(२) श्री राम प्रकाश ,,
(३) श्री हरिराज सिंह, ,,
(४) श्री वंशीधर शुक्ल, ,,
(५) श्रीमती सावित्री श्याम । ,,
(६) श्री मंगला प्रसाद , ,,
(७) श्री सूरज प्रसाद अवस्थी , ,,
(८) श्री खान बहादुर मोहम्मद ऐजाज हुसैन, ,,

## याचिका समिति (१९६४–६५) का षष्ठ प्रतिवेदन†

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (१९६४–६५) का षष्ठ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

## प्राक्कलन समिति का दसवां, ग्यारहवां एवं बारहवां प्रतिवेदन†

आचार्य जुगलकिशोर (जिला मथुरा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं पीलीभीत उपनिवेशन योजना तथा सिंचाई प्रसार सेवा से संबंधित प्राक्कलन समिति (द्वितीय विधान सभा) क क्रमशः पंचम तथा सोलहवें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित तृतीय विधान सभा (१९६४–६५) की प्राक्कलन समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मैं राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क से संबंधित प्राक्कलन समिति द्वितीय विधान सभा के ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित तृतीय विधान सभा (१९६४–६५) की प्राक्कलन समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मैं तृतीय विधान सभा (१९६४–६५) की प्राक्कलन समिति का सामुदायिक विकास योजना से संबंधित बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

## कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मुझे एक निवेदन आपसे करना है। अब तो मैं कह सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप कायदे के अन्दर होंगे तो कह सकते हैं। नियम के अन्दर आप जो चाहें कह सकते हैं। नियम के बाहर कोई बात नहीं हो सकती है....

(व्यवधान)

अगर आप प्रश्नों के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो अभी मैंने कहा कि मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता जब तक कि लिखित मुझे न दिया जाय....

श्री लखपतराम शर्मा--

कमरे में अगर आप बुलाकर बात करेंगे तो जो बात सारे सदन की जानकारी के लिये है उसकी जानकारी सदन को कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष---

सदन की जानकारी के लिये प्रश्न अध्यक्ष से नहीं होता। लकिन अगर आप लिखकर पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर सदन में द दूंगा।

---

†छापे नहीं गये।

# अयोध्या पुल दुर्घटना की जांच के सन्दर्भ में सूचना

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैं आपके द्वारा माननीया मुख्य मंत्री से एक निवेदन करना चाहता था कि मुझे अपने जिले से यह सूचना मिली है और फैजाबाद से भी कि जो अयोध्या कान्ड हुआ था उसके बारे में एन्क्वायरी कमीशन जो बैठा है उसके जो साक्षी हैं वह न तो उचित संख्या में पहुंच पा रहे हैं और न जो दरअसल साक्ष्य देना चाहते हैं उनको उसकी कोई सूचना ही है। यह बस्ती की स्थिति है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में और फिर अपना पैसा खर्च करके वह वहां साक्ष्य देने के लिये जायं, यह भी एक समस्या उनके सामने है।

अयोध्या की खबर यह है कि वहां के जो अधिकारी हैं पी० डब्लू० डी० के और दूसरे अधिकारी वह बहुत ही अनुचित दबाव डाल रहे हैं। हम तो यह चाहते थे कि सचाई जो है वह सरकार के सामने आ जाय पर वहां यह सब हो रहा है। मेरे इस संबंध में ये सुझाव हैं। पहली बात तो यह कि निकटवर्ती जिलों में कोई ऐसा आदेश या ऐसी व्यवस्था आप करें वहां दो दो दिन के लिये सिटिंग हो जाय और लोगों को पहले से उसकी सूचना हो जाय ताकि जो साक्षी हैं वे वहां पहुंच जायं और इसका भी इन्तजाम आप करें कि वहां के अधिकारी जो दबाव डाल रहे हैं उनका दबाव न पड़ सके। मैंने तो पहले ही प्रार्थना की थी कि वह वहां न रहें।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)--

अयोध्या काण्ड के सिलसिले में मुझे आपसे यह कहना है कि जहां पर अधिकारियों द्वारा गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है वहां एक और दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है कि वहां के बड़े बड़े महन्त और साधु जो हैं उनको बुलाया जाता है, उनको माला पहनायी जाती है और उनका चरण स्पर्श कराया जाता है, फिर उनसे कहला लिया जाता है कि यहां कुछ नहीं हुआ, सब ठीक रहा। इसकी ओर ध्यान दिया जाय जिससे इस काण्ड के सिलसिले में जनता की जो भावनाएं हैं, उनका समादर हो सके।

श्री अध्यक्ष--

(श्री झारखण्डेराय के खड़े होने पर) आपका तो अलग प्रश्न है, वह पूछ लेंगे।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

जो मुझे इत्तला दी गई है उसके बारे में पूरी जांच करने का जो कुछ मुनासिब तरीका हो, जिसमें सही इनफारमेशन लोगों के पास आये और लोग जा सकें, चाहे किराया देकर बुलायें जायं, या कमीशन वहां जाकर बैठे, उसकी व्यवस्था कर देंगे। अगर माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी चाहें, तो मेरे साथ बैठकर बातचीत कर लें, फिर जैसा मुनासिब हो वैसी व्यवस्था कर दी जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा जांच की जरूरत नहीं होती। इन्क्वायरी का तरीका है कि कलेक्टर द्वारा मनादी करा दी जाती है। तो लाल साहब घूमकर इन्क्वायरी करें।

श्री अध्यक्ष--

आप भी माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के साथ बातचीत करने चले जाइयेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## अयोध्या पुल दुर्घटना की जांच के लिये कमीशन नियुक्ति के सम्बन्ध में कथित गलतबयानी के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी, इस संबंध में झारखन्डे राय जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है कि आपने यह कहा था कि अयोध्या पुल दुर्घटना की जांच के लिये नियुक्त श्री एम० लाल को कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। माननीय झारखन्डे राय कहते हैं कि श्री लाल ने फैजाबाद में कहा है कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है कि उनकी नियुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत हुई है। आप जरा स्थिति स्पष्ट कर दें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

श्री लाल को इस काम में नियुक्त करने का फैसला १४ तारीख को हुआ जब वह बाहर थे। उनको टेलीफोन पर कंटैक्ट किया गया, और वह १७ तारीख को यहां पहुंचे। मैं जब फैजाबाद गई थी, तो मैजिस्टेरियल इनक्वायरी रुक गई। मैं चाहती थी कि श्री लाल वहां फौरन पहुंच जायं और इसलिये श्री लाल १७ तारीख को फैजाबाद पहुंचे। हमारे आर्डर १७ तारीख को हुए। १८ को संडे था, और विज्ञप्ति को भी ट्रान्सलेट करने में थोड़ा समय लग गया जिसकी वजह से यह विज्ञप्ति २० तारीख को निकली थी। उसके शब्द इस प्रकार हैं--

"अतएव अब कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट (संख्या ६०,१९५२) की धारा ३ के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री एम० लाल, आई० सी० एस०, सदस्य, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश को जांच प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त करती है।" १७ को उन्होंने ज्वाइन किया और १७ से ही उन्हें यह पावर है। श्री लाल १७ को जब फैजाबाद पहुंचे थे, तो प्रेस के लोगों ने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि मैं इतना ही कहता हूं कि यह विषय बिचाराधीन है। अब चूंकि नोटीफिकेशन बाकायदा नहीं निकला था, तो अधिकारी इसके अलावा और क्या कहता ?

श्री अध्यक्ष--

रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से छप गया है।

## "कौमी आवाज" में सदन की कार्यवाही गलत छापने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार का प्रश्न श्री काजी जलील अब्बासी, श्री जियाउर्रहमान, श्री शराफत हुसैन रिजवी, श्री जमीलुर्रहमान किदवई, और श्री अब्दुस्समी का आया है। मैं समझता हूं कुछ भ्रमवश आया है। उन्होंने कहा है कि २९-४-६५ के अखबार "कौमी आवाज" में मोटी सुरखी और मुख्य मंत्री जी की तस्वीर देकर यह छपा है "मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुल्क दुश्मन सरगर्मियां। वजीरे आला मिसेज कृपालानी का सख्त इन्तेबा। मरकजी हुकूमत से रुजू करने का बादा"।

"इससे यह जाहिर होता है कि मुख्य मंत्री ने यह मान लिया है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुल्क दुश्मन सरगर्मियां हैं, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इस तरह यह रिपोर्ट अखबार मजकूर ने गलत छापी है, जिसे पढ़ कर आम जनता में विशेषकर मुसलमानों में

बड़ा भ्रम मुख्य मंत्री जी के खिलाफ फैल गया है और गैर मुस्लिम जनता में फिरकावाराना जजबात भड़क उठने का अन्देशा पैदा हो गया है। जो आजकल की संकटकालीन अवस्था में बहुत खतरनाक बात है। साथ ही जहां जनसंघ और....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ न फैलकर मुख्य मंत्री के खिलाफ फैल गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं पढ़ रहा हूं आप बीच में न टोकें।

"संयुक्त पार्टी का नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पाकिस्तानी और फिरकावाराना होने के कारण बन्द कर देने का मतालबा करने के बारे में लिखा है, वहां 'कांग्रेसी मेम्बरों' का नाम भी जोड़ दिया है। हालांकि कांग्रेस के केवल एक सदस्य ने ऐसा मतालबा किया था और उसके खिलाफ कई कांग्रेस सदस्यों ने बड़े जोर से इसकी मुखालिफत सवालों द्वारा की थी। अखबार मजकूर ने पूरी रिपोर्ट न छापकर के भी जनता में भ्रम फैलाया है, जिससे कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ आमतौर से और मुख्य मंत्री के खिलाफ खासतौर पर बेचैनी है। अतः आपका ध्यान इस ओर...."

उन्होंने इस संबंध में अखबार की एक कटिंग भी भेजी है। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि विशेषाधिकार का जब प्रश्न उठाया जाय, तो कभी इस प्रकार की कटिंग नहीं भेजनी चाहिये। यह अनियमित है। पूरा अखबार भेजना चाहिए ताकि हमें विश्वास हो जाय कि इस अखबार में छपा है। इस समय इस त्रुटि पर ध्यान न देते हुए जिस प्रकार से पत्र में छापा है, उसको जो मतलब माननीय सदस्य पहनाना चाहते हैं, वह मंशा पत्र की नहीं है और न पत्रकार ही चाहते हैं कि यह माने पहनाए जायं इस वास्ते कि जो शीर्षक लिखा है वह केवल यह है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दुश्मनी सरगर्मियों के संबंध में बातचीत हुई। यह उनका मतलब है और जो कुछ उन्होंने रिपोर्ट किया है, उससे स्पष्ट है कि मुख्य मंत्री ने जो बातें यहां कही थीं वही बातें इसमें लिखी हुई हैं।

अब एक शिकायत अलबत्ता हो सकती है कि और जो बातें छप सकती थीं, उन्हें नहीं छापा। तो उसके कारण कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। विशेषाधिकार का प्रश्न किसी रिपोर्ट को पूरा न छापने का उस समय उठ सकता है, जब हम उस समाचार-पत्र के विरुद्ध यह बात कहें कि उन्होंने जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिये, किसी को बदनाम करने के लिये मेलाफाइडी से प्रेरित होकर उसको नहीं छापा है। क्योंकि ऐसी बात नहीं कही गई है और हमारा भी ऐसा विश्वास है कि 'कौमी आवाज' ऐसा अखबार नहीं है जो ऐसा करेगा। इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता और जितना समाचार में लिखा है, वह ठीक है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, इस संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं। उसमें स्पष्ट कहा है कि मुख्य मंत्री के खिलाफ भावना है, उनकी सिक्योरिटी का इन्तजाम किया जाय। यह भावना बहुत गलत फैल रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं जलील साहब से जानना चाहता हूं कि किस एरिया में बेचैनी है ?

श्री अध्यक्ष—

जिस बात को मैंने अस्वीकार कर दिया, उस पर प्रश्न नहीं होता ।

## श्री शराफत हुसैन रिजवी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने माननीय शराफत हुसैन के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है । नियम के अन्तर्गत यह है कि किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय, तो उन्हें उसकी सूचना होनी चाहिये । वह हैं नहीं, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

## नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनाएं आई थीं, उनको मैंने मंत्रियों के पास भेज दिया है कि वे उन पर यथाशक्ति उचित कार्यवाही करें ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

सभी को भेज दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

जी हां ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक हमने भी नियम ५२ के अन्तर्गत दिया था कि खाद्य पदार्थों का भाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है । रुपये का एक सेर चावल हमारे बलिया जिले में नहीं मिलता है।

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ की संयुक्त प्रवर समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय स्वायत्त शासन मंत्री आइटम १३ प्रस्तुत करेंगे ।

(श्री चतुर्भुज शर्मा के खड़े होने पर)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। फाइल की तो दूसरी बात है लेकिन क्या कोई मंत्री अपनी जेब से कोई कागज निकाल कर पढ़ सकते हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संबंध में विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा सहमत संयुक्त प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्य विधान सभा की ओर से निर्वाचित किये जायं—

१—श्रीमती तारा अग्रवाल,
२—श्री हिम्मत सिंह,
३—श्री रक्षपाल सिंह,
४—श्री राधेश्याम शर्मा,
५—श्री बालो जी अग्रवाल,
६—श्री चन्द्रजीत यादव,
७—श्री केशव गुप्त,
८—श्री मुन्नूसिंह,
९—श्री बसन्तलाल शर्मा,
१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां,
११—श्री चन्द्र सिंह रावत,
१२—श्री ऋषिनारायण शास्त्री,
१३—श्री मोहन लाल वर्मा,
१४—श्री धर्म सिंह,
१५—श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा, तथा
१६—श्री सईद अहमद अन्सारी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संबंध में विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा सहमत संयुक्त प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्य विधान सभा की ओर से निर्वाचित किये जायं—

१—श्रीमती तारा अग्रवाल,
२—श्री हिम्मत सिंह,
३—श्री रक्षपाल सिंह,
४—श्री राधेश्याम शर्मा,
५—श्री बालो जी अग्रवाल,
६—श्री चन्द्रजीत यादव,
७—श्री केशव गुप्त,
८—श्री मुन्नू सिंह,
९—श्री बसंत लाल शर्मा,
१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां,
११—श्री चन्द्रसिंह रावत,
१२—श्री ऋषिनारायण शास्त्री,
१३—श्री मोहनलाल वर्मा,
१४—श्री धर्मसिंह,
१५—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, तथा
१६—श्री सईद अहमद अन्सारी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी इसके पदेन सदस्य होंगे ।

## सेंश्योर मोशन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, हमारा एक सेंश्योर मोशन था ?

श्री अध्यक्ष--

आखिरी दिन सेंश्योर मोशन नहीं होता ।

## विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)--

मैं प्रस्ताव करता हूं--"चूंकि श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री गोपाल कृष्ण बाजपेयी, पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को २४ फरवरी, १९६५ को निर्दिष्ट किया गया था,

दिनांक २५ मार्च, १९६४ को उच्च न्यायाधीश, सर्वश्री एन० यू० बेग तथा जी० डी० सहगल, श्री केशव सिंह व श्री बी० सालमन द्वारा सदन का अवमान किये जाने से संबंधित प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था,

दिनांक २८ मार्च, १९६४ को विधान सभा द्वारा पारित विशेषाधिकार की अवहेलना संबंधी प्रस्ताव कार्यान्वित करने पर अन्तरिम आदेश द्वारा रोक लगाने के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों, आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की पृथक् पृथक् सूचनाओं का निर्देश विशेषाधिकार समिति को किया गया था और दिनांक ३० मार्च, १९६४ को उक्त निर्देश संशोधित किया गया था,

और चूंकि उपर्युक्त प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कोई समय नियत नहीं किया गया था और इसलिये विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देना था, और जिन पर प्रतिवेदन करने की अवधि समय-समय पर ३० अप्रैल, १९६५ तक बढ़ाई गयी थी, किन्तु समिति उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रश्नों पर विचार समाप्त नहीं कर सकी ।

अतः उक्त प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय ३१ जुलाई, १९६५ तक बढ़ा दिया जाय ।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह मियाद आखिरी बार बढ़ाई जा रही है या यह क्रम जारी रहेगा ? क्योंकि कई बार इसकी मियाद बढ़ाई जा चुकी है और २ अगस्त से असेम्बली बैठेगी लेकिन मियाद बढ़ाई जा रही है ३१ जुलाई तक । यह कैसे होगा ? फिर कायदे कानून के हिसाब से तो इसको लैप्स ही हो जाना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष--

यह क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह लैप्स होना चाहिये था, यह कैसे बढ़ता रहा है और कब तक बढ़ेगा और दो अगस्त को सेशन होगा तो उस समय फिर कहेंगे कि ३ मास और बढ़ाया जाय और तीसरी बात यह है कि जब उच्च न्यायालय की राय आ गई तो अच्छा हो कि यह मामला जल्द खत्म हो और इसे आगे न बढ़ावें। इस से तो और लोगों को मौका मिलेगा कि वह हाईकोर्ट में रिट करें और कुछ और प्रयत्न करें। इसलिये अब इसको जल्द खत्म कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मुमकिन है कि आपकी बात वह इन तीन मास में मान जायं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

यह समय ३० अगस्त तक कर दिया जाय, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

तो फिर आप इसको अनादि काल तक बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय सभापति, विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय ३१ जुलाई, सन् १९६५ तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## पाकिस्तान द्वारा भारत सीमा पर किये गये अतिक्रमण में हुए शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के सम्बन्ध में संकल्प

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, कल एक बात सदन में आई थी। उस समय उपनेता, सदन भी यहां मौजूद थे और उस समय उन्होंने यह कहा था कि मुख्य मंत्री महोदया कल आ जायंगी, उस समय इस पर विचार हो सकता है। अभी तक उस पर विचार नहीं हुआ है। आज देश पर पाकिस्तान का हमला हो रहा है, इसलिये उस के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिये और अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिये अवसर मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसके लिये आप सहमति दें और समय निश्चित करें।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास कल जो प्रस्ताव आया था संकल्प के रूप में, वह श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री भगवान सहाय, श्री नेकराम शर्मा, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री बलवानसिंह तथा श्री भानुप्रताप सिंह, आदि सभी नेताओं की ओर से आया था। उसको मैंने माननीय मुख्य मंत्री के पास भेजा था। उनकी तरफ से एक संकल्प आज मुझे मिला है। उसमें जो भावनायें आदरणीय सदस्यों ने कल व्यक्त की थीं वे पूरे तौर से, इस माननीय मुख्य मंत्री द्वारा भेजे गये प्रस्ताव से ढक जाती हैं। प्रस्ताव जो भेजा गया है वह इस तरह से है "भारत की नीति पाकिस्तान तथा अन्य पड़ोसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

देशों के साथ मैत्री तथा सद्भावना पर आधारित रही है और भारत ने सदा ही दूसरे देशों की स्वतंत्रता तथा उनकी एकता का आदर किया है परन्तु पाकिस्तान की नीति जन्म से ही भारत के प्रति विद्वेष, घृणा और शत्रुता की भावना से प्रेरित रही है और न ही पाकिस्तान ने भारत के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताओं का आदर किया है। कच्छ के रन में पाकिस्तानी सेनाओं का अकारण तथा बिना युद्ध की घोषणा किये हुये आक्रमण भारत की स्वतंत्रता तथा अखंडता को चुनौती है। पाकिस्तान सरकार का यह कार्य क्रूरता तथा बर्बरता पूर्ण है और युद्ध को आह्वान करने वाला है। भारतीय सेनाओं ने जिस साहस, दृढ़ता, शौर्य तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है उस पर समस्त राष्ट्र गौरव कर सकता है। भारत भूमि की रक्षा करते हुये जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुये हैं यह विधान सभा उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और भारत भूमि के रक्षार्थ उनके अदम्य साहस, वीरता और आत्मोसर्ग की सराहना करती है। यह विधान सभा भारत की अखंडता, एकता तथा मातृभूमि की रक्षा में एक स्वर से अपना विश्वास प्रकट करती है और मातृभूमि की रक्षा तथा स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये हर प्रकार का त्याग और बलिदान करने का संकल्प करती है। विधान सभा का यह भी निश्चित मत है कि एक-एक इंच भारत की भूमि को वापस लेने के लिये हर कदम उठाया जाना चाहिये और जब तक पाकिस्तान पूर्णतः न हट जाय उस समय तक किसी प्रकार समझौते की बात करना उचित नहीं होगा। यह विधान सभा संसार के सभी शान्तिप्रिय तथा स्वतंत्रताप्रिय राष्ट्रों से आशा करती है कि वे पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के संघर्ष में अपना नैतिक तथा सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे।"

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीया मुख्य मंत्री की ओर से आया है यह प्रस्ताव यदि विरोधी दलों के माननीय नेताओं की तरफ से प्रस्तुत हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। और उसमें यह भी जोड़ दिया जाय "विधान सभा एवं प्रदेश की जनता"।

श्री अध्यक्ष—

एक आवाज उठी और माननीय मुख्य मंत्री, जो सदन की नेता हैं और प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं, शोभा यही है कि उनसे शुरू हो। श्री रामसुन्दर पांडेय जी से प्रार्थना करूंगा कि जो उन्होंने संशोधन भेजा है....

श्री झारखण्डेराय—

क्या श्रीमन्, इस पर विवाद नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष—

अभी होगा।

अगर यह हमारी भावना होगी तो उसे कदाचित् लिखना मैं उचित नहीं समझता हूं। उसके दो कारण हैं।

माननीय रामसुन्दर पांडेय का संशोधन है कि प्रस्ताव के नीचे से पंक्ति ४ में "उचित नहीं होगा" के आगे निम्न वाक्य जोड़ दिया जाय—

> "और साथ ही साथ यह विधान सभा भारत सरकार से साग्रह निवेदन करती है कि यदि पाकिस्तान अपनी अशान्ति प्रिय नीति को नहीं छोड़ता और लड़ाई जारी रखता है तो उसे सोच देने के लिये पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करके कब्जा कर लेना चाहिये।"

यह बात, भावनाओं के अनुरूप होते हुये भी, मैं समझता हूं कि जो हमारी भावनायें हैं, इस प्रस्ताव में व्यक्त की हैं, उनको देखते हुये ठीक नहीं बैठेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस

संशोधन को वापस ले लें। ये शब्द शोभा नहीं देते कि "सीख देने के लिये हम आक्रमण करें"। एक बात है, एक संग्राम का प्रश्न है। हम आक्रमण करें पूर्वी पाकिस्तान पर या पश्चिमी पाकिस्तान पर, यह विषय ऐसा है, जो कि पूरे तथ्यों के आधार पर वही संस्था निश्चय कर सकती है जिसके पास सारे तथ्य मौजूद हों। चूंकि संग्राम और सुलह का विषय केन्द्रीय सरकार का है, इसलिये हमें यह नहीं कहना चाहिये। दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि प्रारम्भ में हमने कहा है कि हमारी नीति रही है कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते और अन्त में कहते हैं कि हम आक्रमण बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते। उसके बाद यह जोड़ना उचित नहीं होगा कि हम आक्रमण करेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

इस पर काफी लोगों की बोलने की इच्छा है। मैं समझता हूं कि इस पर अलग से समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि लोग बोल सकें।

श्री अध्यक्ष---

हमने सन् १९६२ में यही किया था। जहां तक मुझे याद है, विभिन्न दलों के नेता बोल लिये थे उस प्रस्ताव पर, जो माननीय गुप्ता जी ने रखा था और सब से बहस नहीं कराई थी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

इस प्रस्ताव में जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति की गयी है उनके साथ हम हैं और जो संशोधन आपने पढ़ा उसकी भी आवश्यकता हम नहीं समझते किन्तु सभी लोग कितने विक्षुब्ध हैं, कितना शोक का वातावरण है इसको देखते हुये इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि इस प्रस्ताव के लिये आप कम से कम तीन दिन का समय रखें।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

माननीय अध्यक्ष जी, जब से भारतवर्ष स्वाधीन हुआ है तब से हमारे दुर्भाग्य से भारत के तीन टुकड़े बने, तब भारत स्वाधीन बना। मुझे उन दिनों की बात याद आती है कि भारत के तीन टुकड़े बनने के लिये हम कैसे राजी हुये। यह समझ कर राजी हुये कि जो विक्षुब्ध वातावरण भारत में फैला हुआ था जो कि अमानुषिक था वह अमानुषिक वातावरण खत्म होगा और जो जिधर हैं उधर शान्ति से रहेंगा। इस अन्दाज से यह किया गया था और यह स्वाभाविक होता अगर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों मित्रता से चलते क्योंकि भारत पेनिनसुला के अलग-अलग टुकड़े बन गये हैं। विचारधारा एक, रहन-सहन एक, हम सब लोग एक साथ मिलकर प्रगति करते तो बड़ी भारी प्रगति दोनों देशों की होती। किन्तु मुझे बड़ा खेद है कि किन्हीं कारणों से शुरू दिन से पाकिस्तान ने अपना यह दृष्टिकोण अपनाया कि वह भारतवर्ष को सारे वक्त पिन प्रिक्स देता रहा, परेशान करता रहा और जब बटवारा हुआ उस समय लाखों, करोड़ों आदमी कुछ इधर से, कुछ उधर से गये। उस समय तो रोषपूर्ण वातावरण था। लेकिन उसके बाद भी हिन्दू जनता उधर से इधर आ रही है जिस से वातावरण बिगड़ता चला जा रहा है। हम लोग बर्दाश्त करते जा रहे थे जितना बर्दाश्त हो सकता था क्योंकि हमारे सामने दृष्टिकोण क्या था; हमारे सामने यह दृष्टिकोण है कि दुखी भारतवर्ष को बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, किसी तरह से प्रगति के पथ पर उसे ले जायं और पिछड़ापन उसका दूर करें। इसी भावना को ले कर हम भारत को प्रगति पथ पर लाने का प्रयास कर रहे थे और जितने प्रोवोकेशंस होते थे उनको बर्दाश्त करते थे। कुछ न कुछ प्रोवोकेशन्स हर वक्त होते रहते थे। मैं सारे इतिहास में जाना नहीं चाहती क्योंकि आज देश की परिस्थिति बड़ी विषम है। तीन साल पहले चीन का आक्रमण हुआ और उसके बाद चीन की पूरी तैयारी हमारी सरहद पर हुई। चीन का भय दूर हो गया कोई समझे तो वह बिलकुल गलतफहमी में है। वह भय दूर नहीं हुआ है। चीन का भय और भयानक रूप से हमारे सामने है। इस समय जब चीन का भय हमारे सामने है उस समय पाकिस्तान

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

ने चीन से समझौता करके हमारे उस टुकड़े पर जिस पर उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था उस टुकड़े के बारे में सरहद से सम्बन्धित फैसला चीन से किया। यह सारी बातें वह किये जा रहा था और कर रहा है और इस मुल्क में लोगों के बीच ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहा है जिससे हम लोग कमजोर हों, घबड़ायें और हम लोगों के अन्दर एक खराब वातावरण पैदा हो। लेकिन हम लोग धीरज से समझ-समझ कर चलें। भारतवर्ष शान्ति की नीति पर चलता है और चलना चाहता है। पाकिस्तान ने इस बीच आकर कच्छ-रन पर हमला कर दिया। कच्छ-रन की जमीन पर उसका कोई तरीके का हक बन ही नहीं सकता है। क्योंकि आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा कि कच्छ के महाराजा ने ऐलान किया है कि यह भूमि हमारे पास थी और जब भारत का बटवारा हुआ तो यह क्षेत्र पूरी तरह से हिन्दुस्तान में शामिल हो गया था। यह हिस्सा सदैव से हमारे देश के अन्दर रहा है। किन्तु पाकिस्तान की आदत है कि वह गल्ती पर गल्ती करता जाता है और हम पर गलत दबाव डालने की कोशिश करता है और अपनी गलत और बेबुनियाद बात, जिसका कोई मतलब नहीं हो सकता उसका प्रचार करने के लिये हो-हल्ला मचाता है और दूसरे देशों में झूठे और मनगढ़न्त प्रचार करता है। वह उल्टे भारत को ही दोषी बताने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी तरफ से गल्तियां हुई हैं, वह भारत के खिलाफ दुनिया के सामने प्रोपेगंडा करना चाहता है। कच्छ की तरफ उसका आक्रमण हुआ, यही नहीं पूर्व की तरफ, आसाम की तरफ वह भारी गड़बड़ियां कर रहा है, जिसकी खबरें बराबर आ रही हैं। इसलिये ऐसी हालत में हमें बहुत सम्भल कर, समझ कर बात करनी है।

यह बात ठीक है कि पाकिस्तान के नग्न आक्रमण से हरएक की अन्तरात्मा कितनी क्षुब्ध है, यह मैं समझ सकती हूं। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि को दुश्मनों के हाथों से बचा लें, लेकिन हमें बहुत सोच कर काम करना है, क्योंकि हमारे देश की तीनों ओर हमारे दुश्मन हैं और उनकी सेनायें खड़ी हैं। पूरब, पश्चिम और उत्तर में हमारी सीमाओं पर हमारा दुश्मन हमें ललकार रहा है और इन तीनों ताकतों ने भारत के विरुद्ध एक षड़यंत्र बना रखा है।

यहां बहुत ज्यादा भाषण हो, यह मैं अपने दिल से चाहूंगी नहीं। क्योंकि मैं जानती हूं कि सुरक्षा का भार केन्द्रीय सरकार का है, इसकी डिबेट असल में वहां पर होना चाहिये। किन्तु मैं यह कैसे कहूं कि देश की सुरक्षा का आपसे सम्बन्ध नहीं है, किन्तु यहां पर बहस जरा संयम के साथ और काफी सोच-विचार कर की जानी चाहिये। जिसके शरीर में खून है, जिसमें वीरता है वह सभी आज दुखी हैं, इसलिये आज इस मसले पर बहस जरूर होगी, किन्तु बातें संभल कर होनी चाहिये। कोई ऐसी बातें नहीं की जायं जिन से हमारे दुश्मन को बल मिले, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, खुद गल्तियां करता है, जबरदस्ती करता है और हमें दोषी बनाता है। इसलिये कोई ऐसी बात न हो कि वह हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा करे। इसलिये आवश्यक है कि हम सब एकत्र होकर रहें, संगठित हो कर रहें और देश की सुरक्षा के लिये हर समय तैयार रहें। भारत की नीति अशांति की नीति नहीं है, हमने खुल्लम-खुल्ला कहा है कि हम कहीं पर लड़ाई और अशांति नहीं चाहते हैं। इतने दिन तक पं० नेहरू के नेतृत्व में सदैव हमारा यही प्रयास रहा है, और दुनिया के किसी भी कोने में जब भी लड़ाई और अशान्ति हुई है, हमने उसे शान्ति से सुलझाने और हल करने का प्रयास किया है। हमारा मुल्क जो एक पिछड़ा हुआ मुल्क है, लड़ाई नहीं चाहता। अपना आर्थिक, सामाजिक और हर तरह का विकास करना चाहता है। लेकिन हम अपने दुश्मन और पड़ोसी देशों को बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष यह भी बरदाश्त नहीं करेगा कि कोई हमारे देश का हिस्सा इधर-उधर दबाता रहे।

(सदस्यों ने हर्षध्वनि के बीच मेंज थपथपाई।)

उसके विरुद्ध हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, अन्तिम सांस और खून की बूंद तक उसका मुकाबला करेंगे और एक-एक बच्चा जब तक रहेगा इस प्रकार की बातें बरदाश्त नहीं करेगा।

इसलिये जो मैं प्रस्ताव लाई हूं, मैं आशा करती हूं कि उसे सभी लोग सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे। मैं पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष--

पढ़ा तो जा चुका है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह प्रस्ताव मैं आपके सामने रखती हूं। आपने सुझाव दिया था कि कहीं पर "श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं" जोड़ दिया जाय, यह मुझे मंजूर है, वह जरूर बदल दिया जाये।। नेकराम जी ने कहा कि "विधान सभा और जनता" उसमें भी मुझे कतई ऐतराज नहीं है और मैं उसमें "जनता" शब्द भी लगाये देती हूं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

इस प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जो भावनायें माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यक्त की हैं, मैं भी सारे विरोधी दल को और अपने को उस से सम्बद्ध करता हूं।

एक बात श्रीमन्, अवश्य कहूंगा कि मैं ऐसा समझता हूं कि मेरा दल किसी से दूसरे नम्बर पर राष्ट्रभक्ति म नहीं है। इन सब प्रस्तावों पर विचार करते समय कभी-कभी श्रीमन्, हृदय में ऐसी बात उठती है कि हम पिछली बातों को याद करें और यदि हमारा हृदय दुखता है तो किसके सामने कहें ? यदि सरकार के सामने न कहें तो किससे कहें ? इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम सरकार क हृदय को किसी भी प्रकार दुखाना चाहते हैं। इसलिये हम पूरे संयम के साथ अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। इस सम्बन्ध में श्रीमन्, हमें याद आता है कि प्रारम्भ से ही सरकार ने अपनी भूल से, गलत नीतियों के कारण देश को खंडित किया। हमने अखंडता का नारा लगाया तो हमें साम्प्रदायिक कहा गया लेकिन पाकिस्तान की नींव ही द्वेष और घृणा पर आधारित है। हमने उसी वक्त आपको सजग किया था। हम अपनी सरकार से प्रार्थना करते रहे कि यह गलत नीति आपकी है। आपने कहा कि हम शान्ति के पुजारी हैं। हम भी शान्ति चाहते हैं। हम आप से कहते रहे कि शान्ति और शक्ति को समन्वित करो किन्तु आपने कभी शान्ति और शक्ति का समन्वय नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि हमें हमारे दुश्मनों ने कायर समझा और उसी समझ का परिणाम यह हुआ कि यद्यपि वे कहते हैं कि उन्होंने आक्रमण नहीं किया है और भारत ने आक्रमण किया है और हम उनको समझाते ही चले आ रहे हैं। माना हमारी सहिष्णुता और सहनशीलता हमारी शान्ति की नीति की द्योतक है, इस से हमारा आपका मतभेद नहीं है लेकिन हमारा अपना मत यह है कि शान्ति तब तक स्थापित हो नहीं सकती जब तक आप शक्ति का संचय और उसका वास्तविक प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम शान्ति की स्थापना भी शक्ति के द्वारा ही कर सकते हैं। आपने कौन सा ऐसा कार्य किया कि जिस से यह ज्ञात होता कि आपने शक्ति का संचय कर लिया है ? हमें दुख होता है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है और हमने इतने दिनों तक शान्ति का गलत उपयोग किया है। हम आरोप-पत्र और विरोधपत्र भेजते रहे। पाकिस्तान के भाई कुछ कहें लेकिन पाकिस्तान के साथ यह हुआ कि हमारी यही नीति सदा रही। सन् १९४७ से आज तक आप एक उदाहरण नहीं दे सकते हैं जब पाकिस्तान ने हमारे साथ सद्भावना दिखाई हो। हमने कहा तो हम पर साम्प्रदायिक होने का आरोप लगाया गया। उसे लगाया जाय, हमें कष्ट नहीं होता लेकिन यह भूमि हमारे लिये मातृभमि, हमारी पितृभूमि, हमारी देवभूमि, हमारी पुण्यभूमि और हमारी सर्वस्व यही है। हम अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर करेंगे और हमारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

दल जिस समय जब आपकी इच्छा हो आपकी आज्ञा होगी चाहे हमें अपने मस्तकों का बलिदान भी देना पड़ेगा, हम सब आगे-आगे चलेंगे ।

मैं एक बात कहूं कि आचार्य कृपालानी जी ने लोक सभा में कहा था कि १९५६ में ही पाकिस्तान ने कच्छ पर पुलिस कार्यवाही की थी। मैं पूछता हूं कि आपने आज तक क्या किया? हमें केवल दुख होता है, हम आपकी शिकायत नहीं करते, लेकिन हम किस से कहें? आपने कच्छ की सुरक्षा के लिये क्या किया? काश्मीर म जब हम आगे बढ़ते जा रहे थे आपने सेना को आगे जाने नहीं दिया, भूल की और कच्छ में भी आपने भूल की। हम कब तक धैर्य रखें? हम कहते हैं कि जब हम राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत हो कर जनता से कोई बात कहते हैं तो बसों में, सड़कों पर लोग हमसे सवाल करते हैं तो हम क्या उत्तर दें? वह हमसे कहते हैं कि तुमने काश्मीर के लिये भी वादा किया था कि हम एक-एक इंच भूमि छीन लेंगे तो तुमने क्या किया? तीन वर्ष हो गये चीन से तुम्हारा भू-भाग ले लिया तुमने क्या किया? अब कच्छ में कहते हो कि एक-एक इंच भूमि छीन लेंगे लेकिन वहां की स्थिति क्या है? हमें तो दुख होता है कि जब उसको आप बैरेन लैंड कहते हैं। श्रीमन्, आदमी के शरीर में मस्तिष्क भी होता है, नख, शिख भी होता है लेकिन नाखून काट कर फेंक दिया जाय तब तो बात अलग है, लेकिन जब तक शरीर पर वह नाखून भी रहता है तब तक उस पर जरा भी चोट लगती है तो सारे शरीर में पीड़ा होती है। तो हमारे हृदय में देश के प्रति अदम्य भावना है। उसके होते हुये भी हम जवाब इन बातों का नहीं दे पाते। आज भी हम कहते हैं कि हम समझौते की बात नहीं करेंगे लेकिन फिर झुक कर पाकितान से बातें करने लगते हैं। हमारे प्रधान मंत्री इसी तरह की बात करते हैं। यह लोगों की भावना है और उनको हम अपने सामने रखते हैं। अगर आज उनका मनोबल गिरता है तो उसका कारण यही है कि आप कोई कड़ा कदम नहीं उठाते। आपने आज तक कोई कड़ा कदम उठाया नहीं है। वह सड़कें बनाते जाते हैं, हमारे भू-भाग को लेते जाते हैं लेकिन हम विरोध-पत्र और आरोप-पत्र भेजते जाते हैं। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पाकिस्तान के साथ और संसार का कोई भी शत्रु जो हमारी भूमि पर दांत लगाये, उसके साथ दुर्बल नीति नहीं अपनाना चाहिये, साफ-साफ शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिये। बिना शक्ति के शान्ति की स्थापना नहीं है। हम आक्रमण नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी मातृभूमि में वह शक्ति पैदा करेंगे जब तक हम इस देश से विदेश के आक्रमण को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। ऐसा सामरिक नीति का तकाजा है। तो हम ऐसे पहलू बदलें कि जो हम डिफेन्सिव बैठे रहते हैं उस तरह से न बैठें रहें। डिफेन्सिव में बैठे रहने से सामरिक नीति पैदा नहीं हो सकती। एक समय आता है कि कुछ समय तक हम प्रतीक्षा कर सकते हैं लेकिन आज डिफेन्सिव की ऐसी नीति होनी चाहिये जो सामयिक हो। जो संग्राम के महारथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आज वे इस नीति को बदल दें और डिफेन्सिव न रह कर आफेन्सिव रहें क्योंकि यह आज की सामरिक नीति का तकाजा है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इसको दोहराता हूं कि आप हमारी इन भावनाओं को प्रधान मंत्री तक पहुंचाने की कृपा करें कि ढुलमुल की पालिसी, यह ढीलीढाली भाषा कि हम एक-एक इंच भूमि खाली करा लेंगे उसके बाद समझौता करेंगे, इस पर विचार करें। पाकिस्तान वही बात कह रहा है और उसी पर आप समझौता करने के लिए तैयार हैं। हमारे पड़ोसी देश क्या कहेंगे जिनको हम अपना मित्र समझते हैं। हमारे अगल बगल के राष्ट्र हैं, उनके नाम मैं उल्लेख नहीं करता लेकिन उनके दिल पर क्या असर पड़ेगा कि हम अपनी भूमि को भी बचा नहीं पाते, सुरक्षा नहीं कर पाते तो फिर अपने किसी मित्र राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास इसका क्या जवाब है? दुनिया को हम अपनी सामर्थ्य का क्या परिचय देंगे? और किस तरह से उनको विश्वास दिलायेंगे कि सारी जनता हमारे पीछे है। हम तो यह चाहते हैं कि मातृभूमि की रक्षा करने में यदि हमारा सर्वस्व भी मिट

जाय तो भी मातृभूमि की रक्षा होनी चाहिये। दुनिया के सामने इतिहास रहेगा कि हमने किसी पर अनाचार नहीं किया लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये हमने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दूसरे सिरे पर भी प्रयास हो रहा है। मेरा निवेदन है कि हमारे देश के सारे सिरे पर आज इस तरह का भय उपस्थित हो गया है। उन सिरों पर मुख्यतया रक्षा करना सेना का कर्तव्य है। वह रक्षा करेगी वहां पर लेकिन आन्तरिक स्थिति की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। सेना लड़ते हुये भी एक बार पीछे मुड़ कर देखती है कि देश में क्या स्थिति है ? उस आन्तरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि शासन की बागडोर आपके हाथ में है तो आप अपनी गुटबन्दी को समाप्त कर दीजिये और दुनिया के सामने यह बात आने दीजिये कि आप एक हो गये और हम सब एक हो गये। जब हम सब एक होंगे तो हमारे कदम साथ उठेंगे और हमारी पार्टी तो आपके साथ कदम उठाने के लिये तयार है। मेरी आत्मा में कष्ट है और बहुत आत्मिक कष्ट के साथ अपनी बातें ये आपके सम्मुख रख रहा हूं। यह हो सकता है कि आपका और हमारा राजनैतिक मतभेद हो लेकिन आपकी भावना के साथ मेरा मन है। देश के साथ मेरा स्नेह है तो उस भावना से मेरा मन भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आन्तरिक सुरक्षा का प्रश्न आता है तो सब से पहले हम सबको यह करना चाहिये कि अपने आन्तरिक मतभेद भुला कर एक हो जायं। इस आन्तरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में २, ३ बातें निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमन्, जो भी हुतात्मा हैं और देश के लिये प्राण दिये हैं उनके लिये मैं नतमस्तक हूं। लेकिन आन्तरिक सुरक्षा के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमको आन्तरिक सुरक्षा रखनी है और अपने सिपाही के हौसले को बढ़ाना है और उसके मनोबल को ऊंचा करना है तो जब वह हमारी ओर घूम कर देखें तो उसको देख कर हौसला बढ़ाना चाहिये। उसका हौसला देख कर तभी ऊंचा हो सकता है जब अपने देश के अन्दर हम शान्ति से एकता कायम रखें। वह यह समझे कि हमारा देश सुरक्षित है। अगर हमारे यहां खाने पीने की कमी है, जनता अशान्त है तो उनका विश्वास जनता के ऊपर नहीं रह सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश के अन्दर पंचमांगी हैं उनसे हमको सतर्क रहना चाहिये। यह बड़ी चीज है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के अन्दर पंचवांगियों का बाहुल्य है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जिस प्रकार का संकट इस समय देश के अन्दर है और जिस प्रकार का चीन और पाकिस्तान से इस समय खतरा उपस्थित है उसमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अधिक भावनाओं को प्रकट करने का यह समय नहीं है। हम सभी लोग इस समय अपने हृदय में दुखी हैं लेकिन हर एक कदम को सोच समझ कर उठाना चाहते हैं मगर फिर भी हमारे देश में जयचन्द और मीरजाफर ने जिस तरह से किया है वह इतिहास में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार चारों तरफ देख कर कदम उठावे और इस तरह के लोगों से देश को सावधान रखे। हम तो यह निवेदन करेंगे कि यदि किसी प्रकार से हमारी मातृभूमि की रक्षा में कोई भी किसी तरह से देश की भावाना के विपरीत काम करता है तो उसको हम सहन नहीं कर सकते। वह चाहे कोई भी हो, हिन्दू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो। कुछ हमारे भाई आज उस चीन की नीति के समर्थक हैं। मैं नहीं कहता कि हमारे सारे कम्युनिस्ट भाई ऐसे हैं लेकिन जो भी इस प्रकार की गतिविधि से सम्पर्क रखते हों कभी उनसे किसी प्रकार की सहृदयता या सम्पर्क न रखें। दूसरे जो पाकिस्तान समर्थक है उनसे हमारे मुसलमान भाई जिनके हृदय में यदि देश प्रेम है तो कोई किसी प्रकार सम्पर्क न रखें। साथ ही हमारी सरकार अगर ऐसा समझे कि यहां कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पंचमांगी तत्वों का काम करते हैं तो उनको चाहिए कि जितना बल सरकार का हो उसके द्वारा उन्हें कुचल दें, किसी भी प्रकार से वह सर न उठा पावें ! (तालियां) कभी भी वह ऐसे मामले में वोटों की चिन्ता न करें कि एक वर्ग खिलाफ हो जायगा---चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो। उनके सामने तो एक माप-दण्ड रहना चाहिए कि कौन देश-भक्त है। हजारों

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

वर्ष का इतिहास हमें क्या शिक्षा देता है। अगर हम बार.बार भी शिक्षा नहीं ले सकते तो इस बार हमारा मनोबल गिर जायगा। अगर हमने जरा सी ढिलाई की। आन्तरिक क्षेत्र में मैं मानता हूं कि अगर साम्प्रदायिकता बढ़े तो उसका सर कुचल दीजिये। मैं नहीं मानता कि साम्प्रदायिकता उभार करके हम देश का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी—

"जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी"

"वायस पालिये अति अनुरागा, होय निरामिष कबहुं कि कागा।"

इतिहास तो हमको यही बतलाता है, लेकिन फिर भी जिसके हृदय में वास्तव में देश प्रेम होगा वह उसका परिचय देगा क्रियात्मक रूप से। हम उसका विश्वास नहीं करेंगे जो उसका परिचय नहीं देता।

एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि हमारे यहां कुछ विघटनकारी शक्तियां ऐसी हैं जो तोड़-फोड़ करेंगी या मुनाफेखोरी और चोरबाजारी करेंगी, यह भी राष्ट्र-द्रोह समझना चाहिए और मेरा प्रस्ताव है कि इसको आप राष्ट्र-द्रोह समझें। गरीब जनता जिसको आज खाने के, मकान के लाले पड़े हैं, वह क्या साहस लेकर समझेंगे कि जिसके लिए हमने सर्वस्व अर्पण कर दिया है, जिसका हम अन्न जल खाते हैं, जिसमें हम पलते हैं, जहां हमारी देशभूमि है, मातृभूमि है, वहां के लोग ऐसे संकट के समय ऐसे कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम मुनाफाखोरी और चोर-बाजारी को भी देश-द्रोह समझें।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो प्रशासन-तंत्र है उसके व्यवहार से जनता दुखी है। मैं बहुत दिनों से बराबर सदन में सुनता आ रहा हूं। हमें उनकी भावना बदलनी है। उनका जो विचार है, जो रुख है जनता के प्रति, उसे हमें बदलना है। वह प्रशासन ऐसा रखें जिससे जनता का विश्वास जीत सकें। यदि जनता का सहयोग प्राप्त करना है तो जैसे कि हम राजनीतिज्ञों को चाहिए कि हम एक उदाहरण पेश करें कि नेता आगे और जनता पीछे, यह नहीं कि जनता आगे और हम पीछे। इस प्रकार से हम अपने नेतृत्व को जीवन में उतारें, उसी प्रकार से हमारे प्रशासकों को चाहिए कि शासन सम्बन्धी जितनी चीजें हैं उनमें से भ्रष्टाचार को दूर करें, स्वयं अपने में से और दूसरों में से निकालें, स्वार्थ की प्रवृत्ति का त्याग करें और सेवा की प्रवृत्ति को अपनायें। मैं तो समझता हूं कि भारतवर्ष में इससे बड़ा कभी संकट नहीं आया होगा कि इतनी बड़ी लम्बी-लम्बी सीमा हो और इतनी बड़ी सीमा कायम करके हमें दुश्मन का सब ओर सामना करना पड़ रहा हो। जब चीन का हमला हुआ तो कहा गया कि बड़ी भारी इमरजेंसी आ गयी, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि ने यही समझा कि इस समय जो संकट आया है उससे बड़ी समस्या नहीं आ सकती। जनता ने आज आगे बढ़ कर परिचय दिया है और त्याग का परिचय दिया। आप इस समय सही नेतृत्व और इसमें पूरा ध्यान दें, यदि आपने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जायगा, लोग उसमें विश्वास नहीं करेंगे। मैं पुनः दोहराता हूं कि मैं यह सद्भावनाएं इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि मेरा पहले तो विचार था कि ऐसी बातें न कहूं, लेकिन सामान्य समाज के सामने जब मैं जाता हूं तो जवाब नहीं दे पाता। मेरा हृदय दुखी था। आज अवसर मिला तो थोड़े शब्दों में अपने विचार व्यक्त किये।

एक बात और कहूंगा और तीसरी मर्तबा दोहराऊंगा कि आप इस पर ध्यान रखें, अवश्य ध्यान रखें कि इस बार यदि हमने अपने बल का परिचय नहीं दिया तो हमारा कदम, हमारा मनोबल डगमगायेगा। हम इसकी चिन्ता नहीं करते, कोई व्यक्ति किसी की कितनी नुक्ताचीनी करे. आज तो सारा विरोधी दल इस राजनीति के लेविल से ऊपर उठ कर एक है, कौन कम्युनिस्ट है, कौन प्रजा सोशलिस्ट है, कौन जनसंघ का है, कौन किस पार्टी का है, आज ऐसी भावनायें नहीं आनी चाहिये। ऐसे अवसर पर हम राजनीति को त्याग देंगे, श्रीमन्, ऐसे समय में हम सब एक हैं, हमको सबसे पहले अपना देश प्रिय है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं और आश्वासन दिलाता हूं माननीया मुख्य मंत्री को, अपनी सरकार को, आज मैं अपनी

ही सरकार कहता हूं, कि हम सब आपके साथ हैं ? एक निवेदन यह अवश्य है कि आप अपने टेरीटोरियल फोर्स को तथा सिविल डिफेन्स को जितना अच्छा हो सके, उसे मजबूत कीजिये, उस ओर भी ध्यान दीजिये, ताकि देश की आन्तरिक सुरक्षा भी मजबूत हो और हम अपने देश की हर तरह रक्षा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूं।

(श्री रामसुन्दर पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

आज तो भावना का सवाल है, सब को बोलने का अवसर मिलना चाहिये, यह नहीं कि पार्टी के नेता ही बोलें।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये, मैंने पांडेय जी को बुला लिया है।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, आज नेता, सदन ने जो प्रस्ताव रखा है, इसी तरह का एक प्रस्ताव, जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, उस समय भी यहां पास किया गया था, आज यह दूसरा उसी तरह का हम पास करने जा रहे हैं। मान्यवर, कोई भी आक्रमण हो, कोई कार्यवाही हो, उससे नसीहत हम लोगों को लेनी चाहिये..

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, कुछ लोग सदन से जा रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, उनको रोकिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं कैसे नसीहत दूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, चीन ने जिस प्रकार आक्रमण किया वह हमें मालूम है। हमारी लापरवाही के कारण लाखों वर्ग मील भूमि पर उसने कब्जा कर लिया। उससे कोई नसीहत हमारी सरकार और भारतवर्ष की सरकार नहीं ले सकी। पाकिस्तान ने भी आज हमला किया और उसकी बात, श्रीमन्, आपने अखबारों में पढ़ी भी होगी। इतना बड़ा हमारा देश है, जहां जन-जन में मातृभूमि की रक्षा का संकल्प हो, जो अपनी ऐतिहासिक परम्परा से भरा हो, उस विशाल देश की भूमि पर पाकिस्तान जैसा छोटा देश, जो हमारे देश के एक कोने के बराबर हो, कब्जा कर ले, सड़क बना ले, हमारी फौजों को पीछे हटना पड़े, और भारत सरकार चुपचाप देखती रहे, इससे हम नतमस्तक हो जाते हैं। हमारा मान मर्दन सारे देश में हो रहा है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव के साथ साथ कुछ नेक सलाह भी देना चाहता हूं। जो गलत तरीका आज अख्तियार किया है सारे देश में, उससे हमारा अपमान हो रहा है। एक छोटा सा देश जिसकी ताकत हमारे मुल्क की अपेक्षा नहीं के बराबर हो, वह हमारे ऊपर हमला करे, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं, माननीया सुचेता कृपालानी जी के जरिये, भारत सरकार से, और प्रधान मंत्री जी से, पूछना चाहता हूं कि जब १९५६ में पाकिस्तान ने दुन से लेकर मुरई तक पाकिस्तान ने सड़क बनायी, हमारी भारत सरकार ने क्या किया ? कंजरकोट पर कब्जा किया, सैकड़ों मील पक्की सड़क बनायी, हमारी सरकार ने क्या किया ? हमने जो संशोधन रखा है वह बहुत सोच समझ कर रखा है और मेरा निश्चित मत है कि अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर पाडेय]

भारत की पवित्र भूमि से हटाना, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा गांधी जी के शब्दों में, गांधी जी ने कहा था कि अगर हमको कोई थप्पड़ मारता है, हममें अगर बर्दाश्त करने की ताकत है तो बर्दाश्त कर जाइये। अगर सहन करने की ताकत नहीं है, इच्छा होती है मारने की तो वह कायरता की बात होगी कि उसको मारें। तो श्रीमन्, मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान ने नग्न आक्रमण किया है, ऐसी दशा में क्या शासन का यह कर्तव्य नहीं है कि उसका क्रियात्मक विरोध करें जब कि आपके दिल में दुःख है कि इस प्रकार का आक्रमण करके उसने हमारी शान्ति को भंग किया है। जो हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं उस नीति पर उसने आक्रमण किया है। पास्कितान ने यह आक्रमण किया है तो गांधी जी के शब्दों में आपको बदला लेना चाहिये। श्रीमन्, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की नीति ढुलमुल के कारण, कायरता को देखते हुए और देश के लिये जो राष्ट्रीय भावना होनी चाहिये, उसी की कमी के कारण ही हमारे देश पर पाकिस्तान जैसे छोटे से कमजोर देश ने आक्रमण कर दिया। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर, संधि करके हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे देश के कुछ हिस्से पर वे अपना स्थायित्व बनाये रखना चाहते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जब उस देश का सम्बन्ध चीन से है, श्रीमन्, उस वक्त भी हमारी ढुलमुल नीति चलती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में जब चीन के खिलाफ कोई बात आती है तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि चीन के समर्थन में बात करते हैं और जब पाकिस्तान की बात आती तो चीन। चाऊ-एन-लाई वियतनाम गये तो कलकत्ता से घूमते हुए गये। मैं सरकार का काहिल-पना और भद्दी नीति का ही इसको परिचायक मानता हूं कि जिस चीन देश ने भारत की पवित्र भूमि पर कब्जा किया हो उसको अपने देश के आसमान से गुजरने की इजाजत दी। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि इनकी विदेशी ढुलमुल नीति ने हमारे देश पर कलंक लगाया है और जो हमारे देशवासी मुकाबिला भी करना चाहते हैं उनके हौसले को पस्त किया है। केवल संकल्प कर लेने से कुछ नहीं होता है। यहां पर अनेकों बार संकल्प हुआ है। संकल्प के साथ-साथ उसके अनुसार कार्य भी होना चाहिये। आप कई बार कह चुके हैं कि आप दुश्मन का मुकाबिला करेंगे। विरोध प्रस्ताव देते देते भी पाकिस्तान ने हमारी पुनीत भूमि पर कब्जा कर लिया है तो इन संकल्पों या विरोध प्रस्तावों से कुछ नहीं होता है।

इस सम्बन्ध में मैं आप को बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने यह भी प्रस्ताव रक्खा था कि जहां पाकिस्तान बढ़ आया है वहां रोक कर उससे समझौता वार्ता चलाई जाय। श्रीमन्, मैं कहूंगा कि यह प्रस्ताव तो बहुत ही लचीला है। इसमें तो गर्व के वाक्य होने चाहियें। हम लोगों के जो प्रस्ताव आये हैं उनको देखिये और इनको देखिये। वहां पर बात करनी उचित नहीं होगी जहां पर पाकिस्तान ने हमारी पवित्र भूमि पर कब्जा कर लिया है वहां हमारे संकल्प के शब्द और सख्त और बलशाली होने चाहिये, वे ढुलमुल नहीं होने चाहिये।

श्रीमन्, मैं माननीया मुख्य मंत्री के जरिये अपना यह सन्देश भारत सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि मुझे जानकारी है कि चीन और पाकिस्तान की हमारे प्रदेश के ९ स्थानों पर लड़ाई जारी करने की योजना है और यदि ९ स्थानों पर लड़ाई शुरू हो जाय तो फिर हमारी भारत सरकार क्या करेगी? मैं जानता हूं कि मैं लड़ाई का माहिर नहीं हूं और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि लड़ाई के बारे में कोई स्पष्ट सुझाव दे सकूं लेकिन हमारे मन की भावना यह है कि हम चाहते हैं कि दुश्मन हमारी पवित्र भूमि से बाहर खदेड़े जा सकें और इसके लिये आप को चाहिये कि उसकी फौजी ताकत को कई हिस्सों में बांट कर बिखेर दिया जाय। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि उसकी फौजों का कई जगहों में फैलाव हो ताकि उसकी ताकत एक जगह इकट्ठा होने के बजाय कई जगह बिखरी रहे जिससे हम उसके ऊपर कब्जा पा सकें। आज पाकिस्तान ने कच्छ में भारतीय भूमि पर जो कब्जा कर लिया है, अगर आप उसको फिर अपने कब्जे में लेना चाहते हैं तो उसके लिये आप को उसके मुकाबले में दूसरी जगह कब्जा करना पड़ेगा। केवल

संकल्प पास कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। एक तरफ से पाकिस्तान कब्जा करे और दूसरी तरफ से चीन कब्जा करे और भारत सरकार शान्ति का नारा लगाती रहे और पीस मिशन भेजती रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि करोड़ों आदमियों का इससे मानमर्दन हुआ है। हमने आजादी अंग्रेजों से हासिल की है लेकिन मुझे दुख है कि भारत सरकार ने अंग्रेजों से नसीहत नहीं ली कि भले ही हमारा दुश्मन अंग्रेज विदेशी रहा फिर भी भारत की एक इंच भूमि भी उसने किसी विदेशी को नहीं दी। भारत सरकार आज अपने को जनता की सरकार कहती है लेकिन उसके दायें बायें बैठने वाले जो लोग हैं जिनके हाथों में आज हुकूमत की बागडोर है, उनके रहते हुए भी आज पाकिस्तान और चीन भारत की पवित्र भूमि पर कब्जा करते जा रहे हैं और हम लोग यहां चुपचाप बैठ कर प्रस्ताव पास करते हैं। इससे हमारी करोड़ों जनता की भावनाओं को राहत नहीं मिलने वाली है। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि इस संशोधन के जरिये भारत सरकार को सचेत करें और उसे अमल दें ताकि सही मंसूबे से हम पाकिस्तान की फौजों को अपने देश के बाहर हटा सकें।

श्रीमन्, यहां की आन्तरिक व्यवस्था के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में भुखमरी, भ्रष्टाचार और जोर जुल्म बढ़ा हुआ है। मैंने उस वक्त भी कहा था जब कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी प्रस्ताव लाये थे और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर सरकारी आफिसर घूस लेते रहेंगे और गरीब आदमियों को सही माने में सस्ता न्याय नहीं मिलेगा, गरीबी बढ़ती रहेगी, लूट खसोट जारी रहेगी और करोड़ों की संख्या में जनता का मरना देश में जारी रहेगा तो जनता सरकार के आह्वान पर और इस संकल्प के बाद भी हमारे पीछे नहीं होगी। आपको चाहिये कि इस तरह की चीजों को तुरन्त बन्द करें। मैं मानता हूं कि इसमें सरकार का करोड़ों रुपये खर्च होता है लेकिन अगर इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाय तो आपको मालूम होगा कि इसका जनता के ऊपर बड़ा ही मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। आपको याद होगा कि जब गांधी जी राउंडटेबिल कानफरेंस में लन्दन गये थे तो जाते समय लोगों ने कहा कि अगर आप इस वेशभूषा में जायेंगे तो इंगलैण्ड का राजा आपसे मिलेगा भी नहीं। इस पर गांधी जी ने कहा था कि हमारा देश गरीब है और गरीब लोगों की जो वेशभूषा है मैं उसी में रहूंगा। तो मैं कह रहा था कि अगर सरकार किसी काम पर एक पैसे की भी फजूलखर्ची करती है तो उसका मनोवैज्ञानिक असर देश की करोड़ों आम जनता पर पड़ता है, इसलिये आप फजूलखर्ची बन्द कीजिये। हम इस काम में आप के साथ हैं।

हमको चाहिये कि चीन और पाकिस्तान को भारत की पवित्र भूमि से हटाने के लिये अपने मतभेदों को दूर कर ऐसी ताकत पैदा करें कि अगर दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाये तो हम उसकी आंखें निकाल लेने के लिये हिम्मत करें, और इसके लिये ऐसा संगठन करके देश को मजबूत करें।

*श्री झारखण्डेराय—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री ने रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। हम अपनी स्वतंत्रता के जीवन काल में दूसरे राष्ट्रीय संकट से गुजर रहे हैं। पहला संकट हमारे देश पर उस समय आया जबकि चीन का ढाई साल पहले आक्रमण हुआ था। आज दूसरा आक्रमण हमारे देश पर हुआ है। वह पाकिस्तान की ओर से। हमारे देश की विदेशी नीति की दो आधारशिलायें रही हैं जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी और आज आजादी के बाद भी। पहली आधारशिला रही है शान्तिपूर्ण नीति अपने तमाम पड़ोसियों के प्रति, उनके साथ भाई चारा और सद्भाव, उनकी सर्वभौम सत्ता का आदर और अपनी सीमा के प्रति सजगता, और दूसरी आधार शिला रही है कि दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही हो तो उसके प्रति हमारे देश के राष्ट्रीय आन्दोलन ने हमेशा हमदर्दी जाहिर की और यथाशक्ति सबकी सहायता भी की। इन दो आधारशिलाओं का केन्द्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखण्डेराय]

बिन्दु यही रहा है---उपनिवेशवाद विरोधिता और साम्राज्यवाद विरोधिता । इसी मूल हित पर हमारे देश की विदेश नीति रही जब हम गुलाम थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहें थे तब भी और आजादी के बाद आज भी । मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का एक राष्ट्रीय लक्ष्य विकास हो गया । एक शब्द में जैसे पहले हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य था स्वतंत्रता, आजादी, उसी प्रकार आजादी के बाद हमारा लक्ष्य एक शब्द में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं उसको विकास पुनर्निमाण, मुल्क की तामीर और उसी में हमारा देश अपनी समझ से, अपने तरीके से अपनी शक्ति के साथ जुटा और आज भी जुटा हुआ है तथा आगे भी जुटा रहेगा । अब विकास का पथ कौन हो, कैसे किया जाय, यह विवाद का विषय है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा लेकिन विकास के लक्ष्य की ओर हमारा देश बढ़ा, इसमें कोई सन्देह नहीं । इस सम्बन्ध में हमारे देश की सरकार ने अपनी नीति पर चलते हुए, लड़ाई के सामान तैयार करने में और लड़ाई की तैयारी करने में उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि बहुत से उन मुल्कों ने दिया जिनका लक्ष्य लड़ाई था, जो संसार के लड़ाकू गुटों में शामिल थे जिनकी बदनीयती किसी अपने पड़ोसी के प्रति थी और जिनकी विद्वेषपूर्ण भावना थी । उनकी ओर हमारी नीतियों में एक मौलिक अन्तर रहा है और इसी स्थिति में हमारे ऊपर चीन का हमला हुआ और यह स्वीकार सरकार ने भी किया है, पूरे राष्ट्र ने भी किया है और वह तथ्य भी था । हम तैयार नहीं थे किसी भी प्रकार चीन के हमले का मुकाबिला करने के लिए, इसलिए नहीं कि हमारे मुल्क में आदमियों की कमी है या उनमें त्याग और बलिदान की कमी है या हमारे मुल्क के लोग मरना नहीं चाहते हैं बल्कि इसलिए कि हमारी सरकार को और जनता को भी इस बात पर विश्वास था कि चीन से हमारे ऊपर कभी भी ऐसा दगा और विश्वासघात नहीं होगा । यह कल्पनातीत बात थी, इसलिए यह एक जबर्दस्त धोखा, जबर्दस्त विश्वासघात हुआ । लेकिन उसके बाद तैयारी में कोई कमी नहीं रही ।

पाकिस्तान के प्रति वह बात हम नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान, जैसा कि प्रस्ताव में भी सुचेता जी ने कहा है, अपने जन्म से ही हमारे प्रति अपनी विद्वेषपूर्ण भावना रखता आया है और वह केवल मन में ही नहीं, जबान पर ही नहीं बल्कि काम में भी है । हमारे देश के टुकड़े, कश्मीर के एक तिहाई हिस्से पचास हजार वर्गमील पर उसनें १८ साल से कब्जा कर रखा है और कब्जा चला आ रहा है । हम बहुत सी उन बातों में जाना नहीं चाहते, थिमैया, करिअप्पा, मेनन या जवाहरलाल नेहरू वगैरह के बारे में, लेकिन इतनी बात हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रति हम सजग हैं, हमको रहना चाहिए था क्योंकि उसकी नीति खराब थी जन्म से ही । उसकी बातें खराब थीं, उसका काम खराब था । उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, तो फिर तक्ष से लेकर बंगाल की सीमा तक जो हमारी सीमाएं पाकिस्तान से मिली हैं, उनके बारे में कोई गफलत हम मान के चलें ऐसा नहीं होना चाहिए । चीन वाला मामला यहां नहीं कह सकते हैं । वह कहकर हम दुनिया को समझा सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं, बहुत गम्भीरता से, इस मामले पर सोचना चाहिए । जब हम पढ़ते थे तो चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तमाम जाल बिछा रखा है और हमारे यहां पगडंडियां भी नहीं हैं । हम समझते थे, धोखा हो गया । लेकिन जब आज पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछा है और हमारे यहां पगडंडी भी नहीं है, तथा हमारे यहां के सिपाही बालू पर चल रहे हैं, रास्ते में भटक रहे हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान से इतनें दिनों तक धोखाधड़ी होने के बाद भी इतनी गफलत क्यों की गई । इसका जवाब देश की जनता पूछेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जनता कभी माफ नहीं करेगी । मान्यवर, केवल फाइडेलिटी शो करने से काम नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष---

अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर भाषण नहीं होना चाहिए । जितना हमें दृढ़ता, विश्वास और आत्म संकल्प के बारे में तथा हमें क्या प्रतिज्ञा करनी है, उसी के ऊपर माननीय सदस्य भाषण करें, उसका अधिक विस्तृत विवरण नहीं होना चाहिए ।

श्री झारखण्डेराय---

चीन की लड़ाई आज बन्द है लेकिन सुलह नहीं है। निर्विवाद रूप से हमारे मुल्क की १४-१५ हजार वर्ग मील उनके कब्जे में है, जो हमारी है, और पाकिस्तान ने एक तिहाई काश्मीर पर कब्जा कर रखा है और उसने कंजरकोट ले लिया है, और हम पीछे हटे हैं। सिपाही जो मरे हैं, उनके प्रति श्रद्धांजली अर्पित करनी है लेकिन जो हम पीछे हटे हैं, उससे बड़ा धक्का लगता है कि पाकिस्तान के मुकाबिले पीछे हट रहे हैं। चीन के मुकाबिले में तो बात समझ में आती है क्योंकि ७० करोड़ का वह मुल्क है और जिसकी विशाल सेना है लेकिन पाकिस्तान के मुकाबिले में भी हम पीछे हट जांय, तो कष्ट होता है। कैसे तारीफ करें, अपनी पीठ कैसे ठोकें और ऐसे वक्त में चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, वह बहुत गम्भीर संकट का परिचय हमको देती है, और हम चाहते हैं कि हमारे देश की सरकार उसके प्रति जागरुक हो, लेकिन उस जागरुकता की कमी आज दिखाई पड़ती है।

अब आज से ३ साल पहले २० अक्तूबर को चीन का हमला हुआ था, तो सारे देश में एक बिजली सी दौड़ गई थी। सारा देश सिंह पुरुष की तरह से खड़ा हो गया, एक व्यक्ति के पीछे। पंडित नेहरू उस वक्त थे, लेकिन आज ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके पीछे जनता खड़ी हो सके। यह हमको नहीं भूलना चाहिए है। आज सरकार के अन्दर यदि सामूहिक नेतृत्व नहीं पैदा होगा, तो देश जहन्नुम में चला जायगा ऐसे वक्त में जब जनता देखती है कि शासक दल के लोग कुर्सियों के पीछे गिद्ध की तरह दौड़ रहे हैं, जब मिनिस्टर अपने बंगलों की सजावट में ३५-३५ हजार रुपया खर्च करते हैं तो हमको भी उत्साह नहीं होता है। जनता भी समझती है, किस लिए लड़ें। चाहे यह रहें या वह रहें। कोऊ नृप होय हमें का हानी। तो इस तरह की जो बैकवर्डनेस है, ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारी देश की सरकार को जागरुक होना पड़ेगा, और आदर्श उपस्थित करना होगा। व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, तब जाकर हम देश में वह भाव पैदा कर सकते हैं, जो चीन के हमले के समय हुआ था और जिसकी आज अपेक्षा है। इसमें आज कोई दो राय नहीं हैं कि देश हमारा है और देश की एक-एक इंच जमीन के लिए देश की जनता मेरी है, मरती रहेगी। आजादी हमने लड़कर ली है। हमारे जो भी शासक दल से राजनीतिक मतभेद हों, वह बाधक नहीं होने पायेंगे। सारा देश मिल करके रक्षा करेगा। लेकिन हम आज की जो अपेक्षाएं हैं, उनके प्रति अपने आखें मूंद नहीं सकते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि जनता के मनोबल को ऊंचा करने के लिए, वे तमाम कार्य किए जायं जिनकी आज अपेक्षा है और हम इस बात को साफ करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो तटस्थता की नीति है, वह एक निर्बल की, शांति और अहिंसा नहीं होना चाहिए। नपुंसक का ब्रह्मचर्य किसी काम का नहीं होता। ब्रह्मचर्य भीष्म का था। तो कमजोर की अहिंसा किसी काम की नहीं है। हम मजबूत हों। हम जब देखते थे, कि ख्रुश्चेव जैसा आदमी शांति की बात करता है तो लगता था, कि सचमुच उसके दिल में शांति है। हम चाहते हैं कि चीन के धक्के के बाद जो मुल्क में तैयारी हुई है, वह नाकाफी है, और उसको और तेजी से बढ़ना चाहिए। मुल्क की तैयारी पूरी तरह से मजबूत होनी चाहिए। और वह तैयारी केवल सेनाओं की नहीं बल्कि अपने यहां की डिफेंस इन्डस्ट्री की भी होनी चाहिए ताकि हम उस पर आत्मनिर्भरशील हो सकें। हमारे यहां जवानों की कमी नहीं। अगर हमारे पास हाथियार रहें तो हम एक-एक इंच जमीन के लिए मार सकते हैं। एक-एक गांव यहां का स्टेलिनग्राड बनेगा, इम्फाल बनेगा, झांसी की रानी का किला बनेगा।

जहां तक हमारी पार्टी का सम्बन्ध है मैं सफाई से कहना चाहता हूं कि पूरे राष्ट्र की जो नीति है, और जो लोक सभा द्वारा मान्यता प्राप्त हमारी राष्ट्रीय नीतियां हैं, उनके समर्थन में हम रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, लेकिन अगर हमारे मुल्क पर कहीं से हमला होगा तो हम उसका मुकाबला पूरी शक्ति से करेंगे, मिल कर करेंगे और करते रहेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

आज श्रीमन्, एक प्राइवेट रिजोलूशन है, यदि विरोधीदल के लोग मान जायं, तो उसको न लेकर जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस समय चल रहा है, इसी को चलने दिया जाय, ताकि सब लोग अपने विचार प्रकट कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं नेता दलों के भाषण दिला दूंगा और फिर अगर आप चाहेंगे कि सब बोलें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । हां, इस समय इसका कोई प्रश्न नहीं है ।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो प्रस्ताव इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उस पर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं । न बोलने का कारण यह नहीं है कि मैं उस प्रस्ताव की भावनाओं को स्वीकार नहीं करता हूं या मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं । मैं उन भावनाओं का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । परन्तु मुझे ऐसा लगता है, आप क्षमा करेंगे, कि मुझे इस प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है । क्या हमको प्रस्ताव पास करके अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने की आज आवश्यकता है ? क्या हमको आज इस बात की आवश्यकता है कि हम देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए तन-मन-धन सबका बलिदान करेंगे ? क्या आज हमको प्रस्ताव पास करके फिर कहना पड़ेगा कि जो हमारे सिपाही वीरगति को प्राप्त हुए हैं, हम उनकी सराहना करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ? मेरा तो कुछ ऐसा विचार है कि इन सारी बातों को मान ही लेना चाहिए कि किसी भी स्वतंत्र देश के नागरिक के लिए यह मान लिया जाता है कि वह देश से प्रेम करता है । यह भी मान लिया जाता है कि वह मातृभूमि के लिये तन, मन, धन सब अर्पित कर देगा, देश की स्वाधीनता की रक्षा करेगा, यह भी मान लिया जाता है कि जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं, देश उनका सदा सदा के लिए आभारी होगा । हां, प्रस्ताव में एक बात कही गई है, वही एक कहने वाली बात भी है । वह यह है कि जब तक हमारी सीमा को खाली करके पाकिस्तानी सैनिक पीछे नहीं हट जाते, तब तक किसी प्रकार की भी संधि वार्ता नहीं होनी चाहिये । केवल यह दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है । इसी की सबसे ज्यादा उपयोगिता भी प्रतीत होती है । उसके माने यह हैं कि उत्तर की साढ़े सात करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधान सभा दृढ़ संकल्प करती है कि उस समय तक हम कोई सुलह या समझौते की बात नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तानी हमारी सीमा से पीछे नहीं हट जाते हैं । लेकिन केवल भावना की प्रदर्शन करने से ही देश प्रेम नहीं हो जाता है । इस चीज को मैं अनावश्यक समझता हूं ।

मुझको इस बात पर और दुख हुआ है कि विरोधी पक्ष नेता ने यह कहा कि हमारा दल देश से प्रेम करने में किसी से पीछे नहीं है । अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई दल उनके दल से पीछे भी है या आगे है जो इस प्रकार की बात कहने की आवश्यकता पड़ी अथवा अपने में यह कमजोरी दिखाई पड़ी । उनके दिमाग में कुछ शुबहा अवश्य मालूम पड़ता है, तभी तो उन्होंने वह बात कही ।

श्री अध्यक्ष—

आप जिस हिस्से का समर्थन करना चाहते हैं, उसी के बारे में बोलें । और लोगों के क्या विचार हैं, वह कोई महत्व की बात नहीं है । आप इस पर बोलिए कि जब तक पाकिस्तान हमारी भूमि को खाली नहीं कर देता है, तक तक हम किसी प्रकार की सुलह करने को तैयार नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

देश प्रेम की बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको कार्यरूप में देखने की आवश्यकता है। अगर हम देश प्रेम को व्यवहार में नहीं उतारते हैं तो खाली देश प्रेम की बात कहना बेकार है। आप प्रेम किससे करते हैं? पहाड़ों से, नदियों से अथवा वृक्षों से या तालाबों से। जो व्यक्ति किसी देशवासी के प्रति प्रेम का भाव नहीं रख सकता, वह किस प्रकार से प्रेम कर सकता है? जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह देशप्रेमी नहीं है। जो देश के किसी भी वर्ग को शंका की दृष्टि से देखता है, उससे प्रेम नहीं करता है, उसको देश प्रेमी नहीं कहा जा सकता। आज हम देश प्रेम की बात करते हैं लेकिन हममें से कितने ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह बात बिलकुल असंगत है। यह इस विषय से संबंधित नहीं है। इस अवसर पर तो एक मत होकर इस संकल्प को हमें पास करना चाहिये और इस प्रकार से अपनी मातृभूमि की सेवा के लिये तत्पर रहना चाहिये। (व्यवधान)

श्री भानुप्रतापसिंह—

मैंने प्रारम्भ में ही प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था। मैं यह बता रहा था कि हम देश प्रेम को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। केवल प्रस्ताव पास करने से हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। देश प्रेम हमें अमल में दिखाना है और हमको ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहिये कि इस देश के नर नारी के अन्दर देश प्रेम की भावना जाग्रत हो। लेकिन जब किसी विशेष सम्प्रदाय को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मन में कभी देश प्रेम की भावना उदय हो सकती है? यह बात सही है कि देश में देश प्रेमी भी हैं और देशद्रोही भी हैं। लेकिन किसी वर्ग या सम्प्रदाय का मनोबल...

श्री अध्यक्ष—

यह कौन कह रहा है, यह सब कहने का यहां मौका कहां से है? इससे इसका ताल्लुक नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे, श्रीमन्, बड़ा दुख है कि पता नहीं किस भावना के विरोधी होकर, मैंने तो वर्ग की बात नहीं की, लेकिन उनके मन में कोई और बात है....।

श्री भानुप्रतापसिंह—

विरोधी दल के नेता ने कहा कि किसी दल को अपने आचरण से साबित करना पड़ेगा। इस बारे में.....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह कहा था कि चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो—तो आप बहस न करें।

श्री भानुप्रतापसिंह—

तो मैं अब इस विषय को छोड़ता हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यह स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो दुर्भाग्य उसको मानता हूं जब कोई दैवी विपत्ति आ जाय जैसे शीत लहरी आ गई, कोई और विपत्ति आ गई, लेकिन यह स्थिति तो सरकार की अदूरदर्शिता और गलत नीति का परिणाम है और इसको किसी तरह से दुर्भाग्य नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रस्ताव इस समय नहीं है, इस वक्त सवाल यह है कि क्या करना है ।

श्री भानुप्रतापसिंह--

आप मुझे यदि नहीं बोलने देना चाहते हैं तो मैं बैठ सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मुश्किल यह है कि आप प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं ।

श्री भानुप्रतापसिंह--

मैं बिलकुल प्रस्ताव पर बोल रहा हूं लेकिन आपके आदेश हों तो मैं न बोलूं ।

श्री अध्यक्ष--

जिस तरह से आप बोल रहे हैं वह असंगत है । यहां प्वाइंट यह नहीं है किसकी नीति गलत है, सवाल केवल यह है कि हमें क्या करना चाहिये, क्या संकल्प करना चाहिए, प्रतिज्ञा करना चाहिए, यही सब बातें माननीय नेता विरोधी दल ने भी कही हैं । आप संकल्प पर बोलें ।

श्री भानुप्रतापसिंह--

आपका कहना है कि मैं संकल्प पर आऊं इसलिये मैं अपनी वह बात छोड़ देता हूं और बिस्तार में नहीं जाता । इस देश में और यहां के लोगों में दृढ़ संकल्प और विश्वास की कमी नहीं है लेकिन जिस तरह कि गल्तियां यह सरकार करती चली आई है अगर उसने अपनी उन नीतियों को नहीं बदला और उस आक्रामक हालत को नहीं तोड़ा तो वह समय दूर नहीं जब इस देश की जनता उसमें अपने विश्वास को खो देगी और इतिहास बताता है जब-जब सरकारों ने ऐसी नीति अपनाई है तो संकट आया है और इस सरकार से काम नहीं चलने वाला है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें ।

श्री भानुप्रतापसिंह--

इन शब्दों के साथ, अन्त में, मैं चेतावनी देता हूं कि सरकार अपनी नीतियों को बदले ।

श्री नेकराम शर्मा---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । इससे पूर्व भी जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया था और जब श्री चन्द्रभानु गुप्त यहां के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और सदन ने सर्वसम्मति से उसको पारित किया था । आज फिर उसी तरह का यह प्रस्ताव आया है और आशा है कि यह भी सर्वसम्मति से पारित होगा । उस समय माननीय सदस्यों और जनता के हृदय में जो भावना थी, उसको खत्म करने में सरकार का हाथ रहा है । विरोधी दल के नेता ने कहा कि हमारे यहां कुछ मुसलमान और कुछ कम्युनिस्ट पंचमार्गी हैं....

श्री अध्यक्ष--

पंचमार्गी नहीं, पंचमांगी कहिये ।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा मतलब फिफ्थ कालमिस्ट्स से है, मुझे हिन्दी कम आती है, पंचमांगी ही सही । श्रीमन्, यदि इस देश में यदि कोई भी पंचमांगी है तो वह ट्रेडर है और सरकारी कर्मचारी है,

न कि कम्युनिस्ट और न मुसलमान। यदि रोज ही सारे मुसलमानों को पंचमांगी कहा जायगा तो इसका परिणाम श्रीमन्, क्या होगा, वह भविष्य बतलायेगा।

इसी सदन में माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने चीन की वस्तुएं दिखायीं, वे कहां से हमारे देश में आयीं? जो हमारे चैक पोस्ट पर कर्मचारी हैं उनकी कृपा से ही देश में आयी हैं। मान्यवर, जिस समय हमारे देश में चीन द्वारा हमला हुआ था आपने देखा होगा कि गरीब जनता ने और गरीब कर्मचारियों ने आजादी की रक्षा के लिये तन, मन और धन भी दिया और नेशनल डिफेन्स फंड में जो कुछ बना वह दिया।

उसी भावना को जागृत करने के लिये हम यह प्रस्ताव आज पास कर रहे हैं और इसीलिए यह संकल्प दुहराया है। आजादी के बाद ही सबसे बड़ी राष्ट्र को जो क्षति पहुंची वह यह हुई कि देश का बंटवारा हुआ, एक महान संकट आया। उसके बाद हमने अपने देश में योजनाओं को आरम्भ करने का विचार किया तो काश्मीर पर हमला हुआ। उस समय जबकि हमारी फौजें बढ़ रही थीं तो अमेरिका और इंगलैंड नें मिलकर सीज फायर करा दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारा बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद पाकिस्तान ने जान-बूझकर एक या दो लाख आदमियों को प्रतिवर्ष बाहर करना शुरू कर दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में ही ५० हजार पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से आये हैं, मौजूद हैं। अकेले शाहजहांपुर में ३ हजार पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो यह लड़ाई की भावना, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया आज से नहीं है बल्कि जन्म से है और उससे पूर्व से भी है। यह भावना के होते हुए उस समय भी और आज भी आपोजमेंट की पौलिसी है। अगर हम कोई प्रस्ताव ला रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या-क्या कमियां रहीं जिनकी वजह से यह सब चीजे हुई, उनका अवलोकन होना चाहिये। ५० हजार पाकिस्तानी यहां पर हैं जिन्हें प्रदेश के बाहर भेज नहीं सके हैं और लगातार लगभग ७ लाख हिन्दू या इससे आसपास फीगर हैं जो पाकिस्तान से अभी निकाल दिए गए हैं। यहां पर यह भी कहा गया है कि यहां के मुसलमान फिफ्थ कालमिस्ट हैं। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि ये ४ या ५ करोड़ मुसलमान सब ऐसे नहीं हो सकते हैं। यह मैं मानता कि कुछ लोग हो सकते ह पर सब नहीं हो सकते हैं। अगर फिफ्थ कालमिस्ट हैं तो वे हमारे ट्रेडर्स हो सकते हैं या वे आफिसर हो सकते हैं जो देश और अपने कर्तव्य के प्रति वफादार नहीं हैं। बिजनौर में एस० डी० एम० ने एक रिवाल्वर को जो उनको नेशनल डिफेन्स फंड में दिया गया था। तो उन्होंने ५ रुपये में नीलाम करा लिया था अपने नाम में। वहां के जनरलिस्ट ने उस बात को अखबार में प्रकाशित कर दिया। लेकिन उस जनरलिस्ट को किसी दूसरे केस में फंसा दिया। किसी तरह मुख्य मंत्री जी ने केस वापस कराया।

अगर यह प्रस्ताव आज स्वीकार होता है तो केवल प्रस्ताव पास करने से काम न चलेगा। जनता, अफसरों, मंत्रियों की भावना बदलनी चाहिये कि यह स्वयं देश के खतरे को महसूस करें। आज जो यह हमला हुआ है कच्छ में यह तो केवल डाइवर्सन है। असली हमला तो आसाम में होने वाला है जहां पर चाइनीज कन्सैंट्रेशन हो गया है। श्रीमन्, मेरी यह सूचना है और दिल्ली में एम० पीज० की भी भावना यही है। यह इसलिये हमला किया गया है कि आपकी शक्ति उधर कच्छ की तरफ लगी रहे और आसाम पर तीनों तरफ से आक्रमण हो सके। अतः सरकार संकट के तरफ सजग रहे कोरे प्रस्ताव पास करने से जनता का मनोबल न बढ़ेगा। मुसलमानों को, कम्युनिस्टों को पंचमांगी कहने से ही रक्षा देश की न होगी।

अब समय आ गया है कि सरकार तय करे कि उसको अमरीका और ब्रिटेन का मुंह देखना है अथवा अपनी शक्ति पर भरोसा है। आप को अपनी निश्चित पालिसी निर्धारित करनी चाहिये कि हमको पाकिस्तान, अमेरिका तथा यू० के० को अपोज करना है अथवा नहीं।

एक सदस्य—

यह हाउस कैसे करेगा?

श्री नेकराम शर्मा—

सही बात है, यह सदन तय नहीं कर सकता, लेकिन सदन की भावनायें केन्द्र को पहुंचायी जा सकती हैं। जिस वक्त जनता भूखों मर रही थी उस वक्त माननीय नेगी जी ने कहा था कि ट्रेडर्स पर गल्ला है, वे मुनाफाखोर हैं। लिहाजा वे पकड़े गये, गल्ला उनके पास से पकड़ा गया। लेकिन बाद में छूट गये और मूंछें ऊंची करके फिर वही काम करने लगे। तो ये ट्रेडर्स फिफ्थ कालमिस्ट हैं। यही ट्रेडर्स आक्रमण के समय धन अर्जन करते हैं और दुश्मन के हाथ मजबूत करते हैं। यदि आपने चोर बाजारी की भावना को नष्ट न किया तो आप विजय नहीं पा सकते।

एक अध्यक्ष—

जरा धीरे बोलिये।

श्री नेकराम शर्मा—

इस संकल्प की बड़ी महत्ता थी और इतना महत्वपूर्ण प्रश्न यह था किन्तु सरकारी पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य उठ कर चले गये जबकि जिस समय यहां पर इस पर विचार हो रहा था, यह है इज्जत उस प्रस्ताव की। आपको ज्ञात होगा कि रेडक्लिफ ने एक एवार्ड दिया था जो रेडक्लिफ एवार्ड कहा जाता है। फिरोजपुर में एक स्क्वायर माइल जमीन पुल तथा हेडवर्क की मरम्मत के लिए तथा उसके रिपेयर्स के लिए दी गयी लेकिन उसे भी धीरे-धीरे पाकिस्तानियों ने कब्जे में कर ली। लेकिन वह भूमि अब भी पाकिस्तान दबाये हुये हैं और आज वह आगे बढ़ता चला जा रहा है। चीन ने हमला किया और वह हमारी जमीन दबाये बैठा है। हम देखते हैं कि अमेरिका को चिट्ठी लिखी जा रही है कि पाकिस्तान आपके दिये हुये हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हम किसी दूकानदार से बुशशर्ट खरीदें फिर वह दूकानदार कहे कि इस बुशशर्ट को इस तरह पहनिये। यह कहां की बात है? अतः अमरीका ने जो हथियार दिये वह जान बूझ कर दिये हैं जिसमें भारत चैन से न बैठ सके। भारत के टुकड़े अंग्रेजों ने इसीलिए किये थे कि भारत कभी चैन से न रह सके? जो कुछ नीति केन्द्रीय सरकार की और प्रधान मन्त्री की है वह सही हो सकती है। बहुत सी बातें न हमको पता है, न सब माननीय सदस्यों को पता है कि दूसरे देशों की हालत क्या है? उनसे वही वाकिफ ह, जो नीति संचालन के कर्णधार हैं। उनकी नीति सही हो सकती है। लेकिन जिस ढंग से चीन के आक्रमण के बाद सरकारी कर्मचारियों को, अमीर लोगों को, और ट्रेडर्स को हमने देखा, वह हालत अगर ज्यों की त्यों बनी रही तो हम लोग जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, प्रस्ताव पास करके जो आब्जेक्टिव हासिल करना चहते हैं वह हासिल नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, इस तरह की बातें कहने से डिसइन्टेग्रेशन होता है और रिजोल्यूशन के जरिये से जो चाहते हैं उसको आप फेल कराना चाहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं लेकिन सरकार की दोषपूर्ण नीति के विषय में दो एक बात कहना जरूरी है। माननीय मुख्य मन्त्री केन्द्र में जायं और उनसे पूछें कि आप की निश्चित नीति क्या है, अपोजमेंट की पालिसी है या हम को लड़ाई की तैयारी करनी है? इमरजसी का आज मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस देश व प्रदेश में आज भी संकट हो इमरजेंसी हो, वहां नाच गाने होते हैं। यहां पर एक कमेटी बनती है संगीत और नृत्य की, बजाय इसके कि जनता का मनोबल बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर उसी पर आ गये।

श्री नेकराम शर्मा—

छोड़ दीजिये अगर आपको यह बात पसन्द नहीं है। तो मैं समाप्त करता हूं। संकट है तो हमको देश को तैयार करना है लड़ाई के लिए, सुरक्षा के लिए, और उसके लिए आपको ३, ४ ठोस कदम उठाने होंगे। ईमानदार आफिसर्स को, जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर के पोस्ट्स पर रखिये। दूसरे इन्टेलिजेंस इतनी रिसोर्सफुल हो कि रोजमर्रा की सही बातें आपके सामने आ जायं। यह तभी सम्भव हो सकता है जब इन्टेलिजेंस का एक आई० जी० हो और वह सीधे चीफ मिनिस्टर को रिस्पांसिबिल हो ताकि प्रदेश में जो कुछ हो उसकी सही खबर मालूम हो जाय। तीसरे पब्लिसिटी, रेडियो और प्रोपेगैन्डा ये तीन चीजें मनोबल को बड़ी बढ़ाने वाली हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी क्या कदम उठाने वाली हैं, जिससे हमारी ठीक पब्लिसिटी हो, प्रेस ठीक तरह से काम करे, प्रोपेगेन्डा ठीक तरह से हो सके? यह उन पर छोड़ता हूं।

तो अगर श्रीमन्, हमको संकट का सामना सही रूप से करना है तो नये ठोस क्रान्तिकारी प्रशासन को स्ट्रीम स्तर पर उठाना चाहिये। जो यह सिस्टम है, जो यह रेड टेपिज्म है, उसकी वजह से आपकी योजनायें जो जल्दी पूरी होनी चाहिये, नहीं हो पा रही हैं, उसमें रुकावट आती है। तो कहीं लाल फीताशाही रक्षा के लिए भी भारी बाधक होगी।

श्री अध्यक्ष—

यह बातें कहने का यह अवसर नहीं है, यह बातें तो आप बैठकर मुख्य मन्त्री जी से कह सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

इस इमरजेंसी के समय आप क्या करियेगा इस लिए यह आवश्यक है और मैं चाहता हूं—

(व्यवधान)

सरकार को अपनी पार्टी में यूनिटी लानी चाहिये यदि संकट है। नेशनल गवर्नमेंट आप यहां भी बनायें अगर विरोधीदल का आप वास्तव में सहयोग और कोआपरेशन चाहती हैं और जो प्रस्ताव आज पास करा रही हैं, उस प्रस्ताव को कार्य रूप में परणित करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा, ट्रेडर्स के खिलाफ और चोरबाजारी के खिलाफ और आफिसर्स के खिलाफ भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के होने से ही इस प्रस्ताव का कोई मतलब होगा, नहीं तो जैसे पहले एमरजेंसी घोषित हुई थी और उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, वैसी ही स्थिति चलती रहेगी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर जो चल रहा है, मुखालिफ पार्टियों के नेता इस पर बोल चुके हैं और अब यह बन्द होने जा रहा है। बदकिस्मती से इस सदन में कोई भी मुसलमान नहीं बोलने पाया। मेरे नजदीक इस प्रस्ताव के समर्थन में किसी मुसलमान का बोलना बहुत जरूरी है। खासतौर पर जब कि मुसलमानों पर यहां एक आरोप लगाया गया है— (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जियाउर्रहमान--

यह व्यवस्था आप दें कि मैं इस प्रस्ताव पर बोलूं? यहां पर मुसलमानों को कैसी-कैसी बातें कही गयीं। (व्यवधान)। मैं इस व्यवस्था के विरुद्ध सदन त्याग करता हूं।

(श्री जियाउर्रहमान ने सदन का परित्याग किया।)

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

(मुख्य मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर) मेरा भी एक व्यवस्था का सवाल है, श्रीमन्,। मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी तब बोलें जब विरोधी दल के शेष नेता लोग बोल लें। आपने रिपब्लिकन पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी के लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, क्या इस विषय पर बहस बन्द हो गयी है?

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मन्त्री जी की बात सुन लूं तो मालूम हो कि वह क्लोजर मूव करने वाली हैं या नहीं। तभी मालूम हो सकता है कि वह क्या चाहती हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

क्या सभी पार्टियों के नेता लोग नहीं बोल चुके हैं?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, अभी बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

कुंवर श्रीपालसिंह--

मैं इस प्रस्ताव का प्रस्तावक हूं, सबसे पहले मैंने प्रस्ताव किया है, मुझे बोलने का मौका अवश्य दिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

पहले सभी लोग कृपा करके बैठ जायं।

देखिये, जिस तरह की यहां आप लोग बहस कर रहे हैं, उस बहस से तो हमें मालूम पड़ता है कि आप इस प्रस्ताव को जान ले रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार होना चाहिये, लेकिन वह नहीं हुआ। जो बातें हो गयी हैं उन्हीं बातों को बार-बार दुहराया जा रहा है, जिससे इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आदरणीय नेता विरोधी दल सोच लें कि जितनी बातें होनी चाहिये वह सब हो गयी हैं। इसलिए अब इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुये हमें यह प्रस्ताव पास करना चाहिये।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामचन्द्र विकल—

यह सभा का प्रस्ताव है, जनता के नाम से भी आया है और सदन के नाम से भी आया है और उस पर मेम्बरों को बोलने न दिया जाये, इसका मैं विरोध करता हूं कि इस तरह से आप यहां पर कार्यवाही चला रहे हैं। आप यहां पर लोगों को बोलने नहीं देना चाहते हैं अतः इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रामचन्द्र विकल ने सदन का परित्याग किया।)

श्री बलवानसिंह—

मैं भी इस पर विरोध करता हूं और सदन का त्याग करता हूं, क्योंकि आपने मुखालिफ पार्टी के लोगों को नहीं सुना। ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सुने बिना बहस खत्म करा दी और प्रस्ताव स्वीकृत करा दिया।

अतः मैं इसका विरोध करता हूं और सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री बलवानसिंह ने सदन का परित्याग किया।)

*श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अध्यक्ष जी, जब मैंने यह प्रस्ताव रखा, मैंने इस उम्मीद से रखा था, हमारी दूसरे मेम्बरों से बात भी हो गयी थी, सब लोगों की सहमति से यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया था, क्योंकि यह मामला बड़ा गम्भीर है और इस मौके पर सब पार्टियों को अलग-अलग नहीं होना चाहिये। माननीय माधवप्रसाद जी ने इसी दृष्टिकोण से बातें कीं और मैं सोचती हूं कि दूसरे सदस्यों ने भी इसी दृष्टि से बातें कहीं चाहे बोलने में दूसरी झलक आ गयी हो। कई बातों पर यहां पर प्रश्न उठाये गये, मैं सबके बिस्तार में नहीं जाना चाहती। लेकिन मैं इतना जरूर समझती हूं कि जिस परिस्थिति में इस समय लोगों ने क्षोभ और उत्कंठा जाहिर की, पुरानी बातें दोहरायी गयीं, मैं समझती हूं कि यह गलत हुई हैं और उनके विरुद्ध कहना चाहती हूं। जो बातें यहां इस समय हुयीं, उन के लिए यह समय नहीं था कि पुरानी बातों के विश्लेषण में जाया जाये। इस समय प्रश्न यह था कि प्रस्तुत परिस्थिति में कैसे हम अपने देश को मजबूत बनायें, संगठित बनायें और कैसे देश के अन्दर आत्मबल जागृत कर परिस्थितियों का मुकाबला करें।

मैं समझती हूं कि सुरक्षा का भार केन्द्रीय सरकार का है किन्तु प्रदेशीय सरकार को भी आन्तरिक सुरक्षा के लिए काम करना ही है और उन के साथ पूरी ताकत से उनका सहयोग करना है। प्रदेश के लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि अमन चैन बना रहे और ऐन्टी सोशल एलिमेंट चाहे दूकानदार हो या और कोई हो उन्हें रोकना चाहिये।

कुछ बातें ऐसी कही गयीं कि जनता के साथ ऐसी व्यवस्था हो कि जो गरीब से गरीब जनता है वह भी हमारे साथ हो। यह सही बात है। जैसा मैंने पिछली बार कहा था, पिछली बार जब मैंने दौरा किया था, जो जो वहां हमने अपनी आंख से देखा और अनुभव किया उससे हमारे मन में सच यह बात उठी कि इस धरती का मालिक जो गरीब आदमी है, वही उसकी असली माने में जिम्मेदारी समझता है और वही अपना पूरा आंचल बढ़ाकर सर्वस्व देने को तैयार है। इसलिए हमें चाहिये कि हम उनका संगठन करें। उनकी आवश्यकतायें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

पूरी करें और यदि उनके साथ कोई बेइन्साफी, कोई अमानुषिक बात होती है तो उसे भी हम: दूर करें। गवर्नमेंट का काम भी ठीक चले। यह भी ऐसे समय में बहुत जरूरी है। इस में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि मेरे मन में इतनी तसल्ली जरूर है कि थोड़ा जरूर सुधार हुआ है, लेकिन अभी काफी होना बाकी है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा कहना है कि वह जनता के सेवक हैं और उन्हें इसी भावना से अपना काम करना चाहिये। रेड टेपिज्म बुरी चीज है और डिले के कारण चीजें बिगड़ती हैं। उसके लिए हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसमें मैं ज्यादा क्या कह सकती हूं, सिर्फ यही कह सकती हूं कि आप सब लोग हमारी मदद करें और एक होकर हर एक जो किसी न किसी इलाके से आया है। वहां जो गलत बातें होती हैं उनको पार्टीबाजी छोड़ करके सही-सही हमसे बतावें कि फलाने जगह फलां बात हो रही है तो जो कुछ गवर्नमेंट के पास ताकत है उससे उसको ठीक कराया जायगा। हम चाहते हैं कि किसी के मन में यह भावना न पैदा हो कि हमारे दुख दर्द में हमारे साथ कोई नहीं है। हम दुखी हैं और जब तक हम इस समय एकमत नहीं होंगे तब तक हम लोगों का संगठित कैसे कर पायेंगे? हमारे सामने बहुत समस्यायें आ सकती हैं, लड़ाई की समस्या सामने है, हो सकता है कि खाद्य की समस्या या और कोई समस्या भी आ जाय तो सब समस्याओं को मिल करके, देश में अमन चैन को रख करके हल करना है यह जरा मुश्किल काम है लेकिन वह भी हम कर सकते हैं जब हम सब मिल कर कोई बात करें। एक भाई ने कहा कि कांग्रेस में खुद ही पार्टीबन्दी है आपने जो समालोचना किया है उसे मुझे सर झुकाकर स्वीकार करना पड़ता है अगर आज यह न होता और यह होता कि हम में फूट नहीं है और हम लोग ठीक ढंग से गवर्नमेंट चला रहे हैं तो मुझ से ज्यादा खुशी किसी को न होती। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह सब बातें हैं। मैं आशा करती हूं कि इस वातावरण में हम संगठित हो जायं और हम लोग अपना घर संभाल कर रखें।

फिर और बहुत सी बातें कही गयीं। अब उन सबको नहीं कहना चाहती। एक सुझाव शायद रामसुन्दर जी पांडेय ने कहा कि दौरा नहीं करना चाहिये। फंक्शंस नहीं होने चाहिये। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। फंक्शंस में भी जब हम लोग जिले में जाते हैं तो जिले की परिस्थिति से अवगत होते हैं। अभी कल ही सारे दिन मैं गोंडा में थी और इधर सारे महीने में दो तीन बार मैं वहां गयी। कारण यह है कि वहां विकास का काम हो रहा है, नयी स्फूर्ति से लोग काम कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूं कि हमारे मिनिस्टर्स हद से ज्यादा दौरा करें, घूमें, इलाकों में जायं और परिस्थितियों से अपने को अवगत करायें। कहा गया है कि देश में पंचमांगी हैं अगर हम लोग लखनऊ में बैठे रहें तो सारी बातों से अवगत कैसे होंगे? हमें बार्डर पर घूमना चाहिये ताकि सब चीजों पर हमारा काबू रहे। हमारे झारखंडेराय जी ने खुले शब्दों में जो चाइनीज आक्रमण को कन्डेम किया है। उससे मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसी बातें कही जायेंगी और उन पर खुले दिल से काम किया जायगा तो लोगों के मन में जो शक है वह निकल सकता है। मैं चाहती हूं कि जो परिस्थितियां हैं उनमें हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिये। हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं कि इन्टरनेशनल लायलटी तक पहुंचें लेकिन हमें उसके ऊपर अपनी नेशनल लायलटी को लाना चाहिये। आज जब देश पर खतरा है तब वह पोलिटिकल पार्टी जिसकी नेशनल लायलटी पर किसी को शक हो जाय तो उसे साफ-साफ वह काम करना चाहिये जिससे नेशनल लायलटी पर शक न रह जाय। एक मुसलमान ने एक आवाज उठाई, मैं उनसे कहती हूं कि आज हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है। कोई भी आदमी चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, अगर वह देश के साथ गद्दारी करता है तो उसके साथ सख्ती से बरताव किया जायगा क्योंकि जो जासूस होता है, जो दूसरे मुल्क के पैसे लेकर देश के साथ गद्दारी करता है वह देश का दुश्मन है उसके साथ कोई दया का बर्ताव किया नहीं जा सकता। इसलिए हिन्दू मुस्लिम का सवाल नहीं है, किसी पोलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है सिर्फ सवाल है लायलटी टु दि कन्ट्री और लायलटी टु दि कन्ट्री को बढ़ाने के लिए हम लोगों को जो कुछ करना पड़ेगा वह सब कुछ हम करेंगे और ऐसा वातावरण पैदा करेंगे। हमारा और स्टेट का जो कर्त्तव्य है उसको एक साथ मिल

कर करें। कुछ लोगों ने कहा कि होम गार्ड और सिविल प्रोटेक्शन का काम आगे बढ़ाइये। वह काम बना था, आज भी है थोड़ा, उसमें भी कमी पड़ी थी अब उन सबमें नयी स्फूर्ति देकर उसको अच्छी तरह से संगठित करेंगे ताकि मुसीबत आने पर हम उनका मुकाबला कर सकें। मैं आप सब महानुभावों को चाहे वे किसी पोलिटिकल पार्टी के हों जिन्होंने इस प्रस्ताव में अपनी सहमति प्रकट की है धन्यवाद देना चाहती हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संकल्प जो नेता सदन द्वारा उपस्थित किया गया है, स्वीकार किया जाय :—

"भारत की नीति पाकिस्तान तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ मैत्री तथा सद्भावना पर आधारित रही है और भारत ने सदा ही दूसरे देशों की स्वतन्त्रता और उनकी एकता का आदर किया है। पाकिस्तान की नीति जन्म से ही भारत के प्रति विद्वेष, घृणा और शत्रुता की भावना से प्रेरित रही है और न ही पाकिस्तान ने भारत के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताओं का आदर किया है।

२—कच्छ के रन में पाकिस्तानी सेनाओं का अकारण तथा बिना युद्ध की घोषणा किये हुये आक्रमण भारत की स्वतन्त्रता तथा अखण्डता को चुनौती है। पाकिस्तान सरकार का यह कार्य क्रूरता तथा बर्बरतापूर्ण है और युद्ध का आह्वान करने वाला है। भारतीय सेनाओं ने जिस साहस, दृढ़ता, शौर्य, कर्त्तव्यपरायणता तथा साहस का परिचय दिया है उस पर समस्त राष्ट्र गौरव करता है। भारत भूमि की रक्षा करते हुये जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुये हैं यह विधान सभा तथा उत्तर प्रदेश की जनता उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और भारत भूमि के रक्षार्थ उनके अदम्य साहस, वीरता, और आत्मोत्सर्ग की सराहना करती है। यह विधान सभा तथा उत्तर प्रदेश की जनता भारत की अखंडता, एकता तथा मातृभूमि की रक्षा में एक स्वर से अपना विश्वास प्रकट करती है और मातृभूमि की रक्षा तथा स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए हर प्रकार का त्याग और बलिदान करने का संकल्प करती है। विधान सभा तथा उत्तर प्रदेश की जनता का यह भी निश्चित मत है कि एक-एक इंच भारत की भूमि को वापस लेने के लिए हर कदम उठाया जाना चाहिये और जब तक पाकिस्तान पूर्णतः न हट जाय उस समय तक किसी समझौते की बातचीत करना उचित नहीं होगा। यह विधान सभा तथा उत्तर प्रदेश की जनता संसार के सभी शान्तिप्रिय तथा स्वतन्त्रताप्रिय राष्ट्रों से आशा करती है कि वे पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा के संघर्ष में अपना नैतिक तथा सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं आपकी इस नीति का विरोध कर रहा हूं कि आप ने लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया और इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

## पंचवर्षीय योजनाओं से हुई प्रगति की जांच एवं सुझाव देने हेतु एक कमेटी की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत) †

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था...

(इस समय २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुये।)

उस सम्बन्ध में मैं प्रस्तुत प्रस्ताव पर पिछले दिन यह निवेदन कर रहा था कि पिछले १५ वर्ष से जो योजनायें चल रही हैं वे सारे देश के सम्बन्ध में हैं और उसी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में भी ये योजनायें चल रही हैं। मैंने यह भी निवेदन किया था कि पिछले १५ वर्ष के अनुभव से यह प्रकट हुआ है कि इस प्रदेश और देश की समस्याओं का समाधान कोई उचित रूप से नहीं कर पाये हैं बल्कि आर्थिक समस्यायें ऐसी पैदा हो गयी हैं जिसके कारण हमारे सामने और नयी समस्यायें पैदा हो गयी हैं। जहां हमने इस संकल्प में रखा है कि महंगाई, बेकारी, आवश्यक वस्तुओं के भाव, विदेशी कर्जा और अन्य समस्यायें पैदा हुई हैं वहां प्रस्ताव में हमने यह भी रखा है कि व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं और राज्य की आन्तरिक सुरक्षा एवं सामर्थ्य की गारन्टी देने में सफल हुई है या नहीं?

आज जिस पृष्ठभूमि में हम इस संकल्प पर विचार कर रहे हैं और जैसा मैंने विचार प्रकट किया था कि हमें नियोजन के अन्तर्गत जो देश में परम आवश्यक था कि हम आन्तरिक सुरक्षा के बारे में सजग होते हुये और सतर्क रहते तो आज हम इस स्थिति को पहुंच सकते कि हम, अगर हमारे देश के किसी खंड पर आंच आयेगी तो पूरे तरीके से उसको समाप्त कर सकते लेकिन आज जो स्थिति सामने है और जिस संकट से हम गुजर रहे हैं वह अभी तक हमारे सामने है। चीन ने आक्रमण किया तो उसके कारण हमारे देश में जैसा संकट चल रहा था वह हम देख रहे थे लेकिन पाकिस्तान की गतिविधियां हमारे विरोध में हैं इसको भी हम देख रहे हैं। इस पिछले इतिहास से हमने सबक नहीं लिया। आज जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो नियोजन के अन्दर जो सबसे आवश्यक काम था और जो किसी भी देश को अनुभव करना चाहिये, वह सुरक्षा थी लेकिन हमने कहा कि हम नियोजन करना चाहते हैं और देश का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे कई भाइयों ने कहा कि जब आर्थिक निर्माण में हम लगे थे तो सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे पाये। जिसके हाथ में शासन है और जिसने नियोजन की सारी स्थिति को समझा और जिन्होंने ३ योजनायें देश में चलाई। आज वह कहते हैं कि हमने सुरक्षा की तरफ पूरा ध्यान नहीं रखा। इससे यह साफ है कि हमने जो परमावश्यकता देश की थी उसकी तरफ उदासीनता बरती। उसी का नतीजा आज यह है कि आज देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है। हम आर्थिक निर्माण इस देश में करना चाहते हैं, समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं और देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं, कि जिसमें पिछड़ेपन को दूर कर सकें लेकिन जिस तरह के हम कार्य कर रहे हैं उसमें सुरक्षा के बारे में कोई लक्ष्य नहीं रखा। पिछले साल से विरोधी दल बराबर सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डाल रहा है। उनके सामने सुझाव रखे जा रहे हैं कि नियोजन के साथ-साथ सुरक्षा की सारी गारंटी हमें देनी चाहिये, सारे कदम उठाने चाहिए, ऐसी तैयारी करनी चाहिये कि हमारी गति पर किसी तरह से आंच न आ सके। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है कि हम पिछले दिनों में बहुत कुछ कहते रहे और यह भी कहा कि हमने तैयारी भी की है, लेकिन आज दूसरा जो झटका हुआ है उससे देश की भावनाओं को बहुत दुख हुआ।

---

†२३ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संकल्प हमने स्वीकार किया, लेकिन जो हम नियोजन के संबंध में आज देख रहे हैं, मैं अपनी भावना व्यक्त कर देना चाहता हूं कि हमें नियोजन के कार्य से संतोष नहीं है। जैसा कि हम दूसरों को कहते हैं कि वह हमारी एक-एक इंच भूमि छोड़ दें, लेकिन हमारी शक्ति इतनी होनी चाहिये कि वह स्वयं छोड़ दें। तो हमारी सारी योजनाएं इसी पृष्ठभूमि में चलनी चाहिए थीं और हम पर कोई आक्र ण करने को सोचता तो हम निवेदन करते कि आप हमारी भूमि छोड़ जायं, लेकिन उसका जबाब देने के लिये हममें पूरी शक्ति होनी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह का जो दुर्लक्ष्य हुआ है उसको पूरा करके सारी शक्ति समेट कर हम कोई ऐसी शक्ति पैदा करें जिसके आधार पर हम अपने देश के बारे में किसी को भी गलत निगाह से देखने का मौका न दें।

जहां तक आर्थिक दृष्टिकोण का सवाल है, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस समय दो प्रकार की बातें कही जा रही हैं। एक ओर तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर पूंजीवादी शक्तियां यहां जड़ जमाने की बात कर रही हैं, दूसरी ओर आज शोषण से व्यक्ति को बचाने के नाम पर, शोषण से साधारण जनता की रक्षा करने के नाम पर सरकार अपनी शक्तियों का विकास करते-करते एक ऐसी केन्द्रित आर्थिक शक्ति अपने हाथ में लेना चाहती है जिससे एक दूसरा खतरा पैदा होता चला जा रहा है। लेकिन आज हमें ऐसी कोई व्यवस्था चाहिए कि जिसमें एक ओर तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी हो और दूसरी ओर हम यह भी देखें कि सरकार के हाथ में इतनी आर्थिक शक्ति न पहुंच जाय कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाय और इसके लिये आवश्यकता यह है कि इन दोनों बातों की गारंटी देने के लिये आज एक विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था की आवश्यकता देश में है और इसलिये आज इस नियोजन में जो बड़ी-बड़ी आधारभूत योजनाएं चलायी जा रही हैं वहां यह भी देखे कि हमारी आर्थिक योजनाएं पूंजी प्रधान हैं, श्रम प्रधान नहीं है। लेकिन हमारे देश मे श्रम-शक्ति अधिक है और बिना उसका पूरी तरह से खयाल किये हुए हमने बड़ी-बड़ी योजनाएं अपने हाथ में ली है जिनको पूरा करने के लिये हमारे पास पर्याप्त पूंजी भी नहीं है। हमें पहले यह विचार करना है कि जब तक हम इस लायक न हो जायं तब तक विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था में आगे बढ़ने के लिये आवश्यक है कि छोटे-छोटे कारखाने छोटे छोटे गावों में चलाये जायं और उनको खेती के सामंजस्य से चलाया जाय। जितनी अर्थ योजनाएं चल रही हैं हम उनके विरुद्ध नहीं हैं। आज एक गलतफहमी यह लोगों को है कि हम बड़ी योजना नहीं चाहते। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर देश का पिछड़ापन खत्म करना है, अगर हमें आज प्रगति करनी है तो हमें वह साधन जुटाने होंगे। लेकिन जहां हम बड़ी-बड़ी योजनाएं चाहते हैं साथ में हमारा विश्वास यह है कि बड़ी योजनाएं छोटी इकाइयों की हं नी चाहिये, बड़ी इकाइयों की छोटी योजनाएं हम नहीं चाहते। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम पूंजी प्रधान योजनाएं न बनाये, श्रम प्रधान योजनाएं बनायें।

दूसरी बात हमें यह करनी है कि हम देश में आज स्वदेशी के अधार पर भी कार्य करना चाहते हैं। विदेशों से ऋण लेकर हम आज उन्हीं पर आधारित होते चले जाते हैं। वह हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं। कर्जा इतना बढ़ता चला जा रहा है कि साल में चौथी पंचवर्षीय योजना में उसकी किस्त और ब्याज देने में जितना हम निर्यात करेंगे, उसका एक तिहाई देना पड़ेगा। इसलिये हम चाहते हैं कि बाहरी ऋण पर हमारी योजनाएं आधारित न होकर हम अपने पैरों पर खड़े होकर योजनाएं बनायें। इसके साथ साथ आवश्यक है कि हम कृषि के संबंध में प्राथमिकता दें और वह वरीयताएं निश्चित करें जिनके आधार पर भविष्य में हम योजनाओं को चलाना चाहते हैं। जिन चीजों को हमें वरीयता देना है, वह लोगों को रोजगार देना और दैनिक आवश्यकताओं की चीजों को उत्पन्न करना है। हमें सबसे पहले यह प्रयत्न करना चाहिये कि हम प्रत्येक को रोजगार

[श्री शारदाभक्तसिंह]

दे सकें और दैनिक आवश्यकताओं की चीजों को उपलब्ध करा सकें। जो आज अविश्वास का वातावरण बन रहा है उसे दूर कर सकें। अन्त में मैं इतना और कहना चाहता हूं कि आज भी जो हमारा नियोजन चालू है उसके पीछे हमारा कोई आदर्श नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य समृद्धशाली हो, लोग कष्टों को झेलें, तो उनके सामने आपको ऐसा आदर्श रखना पड़ेगा जिससे जनता यह समझे कि जो योजना है वह जनता की ही है। जब वे ऐसा समझेंगे, तभी आपकी योजनायें भी सफल होंगी, और देश का भविष्य भी उज्ज्वल होगा। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, माननीय शारदाभक्तसिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें एक तरमीम पेश करता हूं। वह यह है कि संकल्प का खन्ड (३) निकाल दिया जाय।

मान्यवर, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, अगर इसमें यह खन्ड (३) रहने दिया जायेगा तो उससे इस प्रस्ताव की जान ही निकल जायगी और पूरा प्रस्ताव मुर्दे की शक्ल में हो जायेगा। मैं इस भावना का तो समर्थन करता हूं कि एक कमेटी या आयोग स्थापित किया जाय जो इस बात की जांच पड़ताल करे कि सचमुच तीनों योजनाओं में प्रदेश में कितनी-कितनी प्रगति हुई है। कितना सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है, प्रदेश की समस्याओं का समाधान करने में योजनायें कहां तक सफल हुई हैं। अगर खन्ड ३ को ऐसा ही रहने दिया जाता है तो इससे पूंजीवाद को प्राश्रय मिलेगा और पूंजीवाद के प्रति जो एक नियंत्रण लगाने का प्रयत्न सरकार कर रही है, वह भी समाप्त हो जायेगा क्योंकि प्रस्तावक महोदय को सरकार का यह नियंत्रण बुरा मालूम हो रहा है। प्रस्तावक महोदय को यह बात नागवार लग रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र क्यों बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव की जो मंशा है उससे केवल डिफेन्स इन्डस्ट्री को छोड़ कर सारा उद्योग पूंजीपतियों के हाथ में चला जायेगा। जो भी नियंत्रण आज पब्लिक सेक्टर के नाम पर सरकार लगा रही है वह समाप्त हो जायेगा। स्वतंत्रता के बाद हमारा लक्ष्य चतुर्मुखी विकास का रहा है और उस ओर मौजूदा सरकार अपने ढंग से बढ़ रही है। लेकिन अगर हम दुनिया की पृष्ठभूमि में इस बात को देखें तो हमें यह बात भलीभांति मालूम हो जायेगी कि आज संसार में दो व्यवस्थायें आमने सामने खड़ी हैं। एक पूंजीवादी व्यवस्था है और दूसरी समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था जो लगभग दुनिया के दो तिहाई हिस्से में फैली हुई है और संसार का एक तिहाई भाग समाजवाद के झंडे के नीचे आ चुका है। अब इस समय दोनों व्यवस्थायें आमने सामने खड़ी हैं और समस्त संसार की मानवता के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित है कि वह इस बात को तय करे कि उनके अन्तिम भविष्य के लिये कौन सा रास्ता अच्छा है, पूंजीवाद का या समाजवाद का। इस बात को तय करने के लिये कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है या बुरी है, इसके भी दो मार्ग दुनिया में दिखाई पड़ रहे हैं। एक मार्ग यह है कि हथियार की ताकत से हम सिद्ध करेंगे कि हम अच्छे हैं और फलां बुरा है। फोर्स आव् एक्जाम्पुल अर्थात् उदाहरण की शक्ति से संसार इस बात को सीखेगा कि कौन सा रास्ता अच्छा समाजवाद या पूंजीवाद। हम जब संसार की अच्छाई की बात करते हैं तो किसी भी देश के मुट्ठीभर लोगों की भलाई के लिये नहीं बल्कि समस्त मानवता के हित के लिये देखते हैं। इसलिये मान्यवर, आज समाजवादी देश जो हैं वहां नहीं बल्कि समाजवादी देशों के क्षेत्रों के बाहर पूंजीवाद जो कहा जाता है उनमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी समाजवाद का विचार, उसकी विचारधारा और उसके सिद्धान्त फैलाते और बलवान होते चले जा रहे हैं और इसलिये सही माने में सोशलिज्म ही एक सही फैक्टर है। दुनिया के ५० के लगभग नये देश आज आजाद हो चुके हैं। आज गुलामी का युग नहीं है। स्वतंत्रता का युग है। कोई मुल्क आज किसी देश का गुलाम नहीं बन सकता है। जब छोटे-छोटे मुल्क गुलामी की बहुत दिनों की जंजीरों को तोड़कर आजाद हो चुके हैं तो सिद्ध है कि वे पूंजीवाद को नष्ट करके इस तरह से समाजवाद की ओर ही बढ़ रहे हैं।

हमारे देश की मौजूदा शासक पार्टी कांग्रेस सरकार ने भी समाजवाद के लक्ष्य को अपनाया है। यह एक अच्छी बात रही है। हमने इसका स्वागत किया है। दूसरे जो आजाद देश हैं, जैसे सीरिया है, इजिप्ट है, वर्मा है, लंका है, हिन्द एशिया है, इन्होंने भी अपने समाजवाद के लक्ष्य को ही घोषित किया है। वे सोचते हैं कि उनकी बहुत सी जनसंख्या का भविष्य इसी समाजवाद पर ही निर्भर करता है। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे देश में जितना हस्तक्षेप होना चाहिये वह नहीं है। मैं तो समझता हूं कि हस्तक्षेप नहीं के बराबर है। अगर परसेन्टेज देखा जाय तो पब्लिक सैक्टर की मात्रा आज भी प्राइवेट सैक्टर के परिमाण से बहुत कम है। दूसरे प्राइवेट सेक्टर में खुद ही बहुत पूंजी लगी हुई है। बहुत से उद्योग-धन्धे विदेशी पूंजी के नियंत्रण में हैं। वे कुल मिलाकर पहिले से ही उनके भाग है। हमें नये कारखाने और उद्योग-धन्धे पब्लिक सैक्टर में खोलने हैं और उनकी व्यापकता बढ़ानी है। लेकिन साथ-साथ जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको भी हमें धीरे-धीरे राष्ट्र के महत्तर हित को देखते हुए राष्ट्र में लाना होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे देश में मुख्यतया पूंजीवाद का विकास हो रहा है। समाजवाद का विकास नहीं हो रहा है। आज हमारे बीच में पंडित जवाहरलाल जी नहीं हैं। वह समाजवाद की बात किया करते थे। लेकिन आज हम अपने देश में देखते हैं कि पूंजीपतियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इससे हमको चिन्ता होती है। हमारे धेवर भाई जिनको कोई नहीं कह सकता कि वह समाजवादी हैं या कम्युनिस्ट हैं, वह गांधीवादी विचारधारा के हैं और इससे वह गर्व भी करते हैं। उन्होंने भी चन्डीगढ़ में मुख्य मंत्री रामकृष्ण की मौजूदगी में कहा था कि आज राजाओं और महाराजाओं की शक्ति कम हो रही है, नेताओं की ताकत कम हो रही है और आज ताकत पूंजीपतियों की बढ़ रही है। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से, गांधी स्मारक निधि और खादी कमीशन के अध्यक्ष की हैसियत से पूरे देश के भ्रमण के बाद यह कहा है। यह बहुत गम्भीर बात है और शासक पार्टी को विशेषतौर से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिये। बिड़ला जी जो नेता नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं, भाषण भी अधिक नहीं करते हैं उनकी आदत भी ऐसी नहीं है कि अधिक भाषण करें लेकिन मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी में श्रीमान् पाटिल साहब की मौजूदगी में जो भाषण उन्होंने दिया, वह चेतावनी है। मैं कहता हूं कि सरकार इसको सोचे कि उन्होंने जो कहा उसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा था कि अगर हिन्दुस्तान के उद्योगपतियों का अपमान जारी रहा तो नेताओं की खोपड़ियां मैदान में लुढ़कती हुई दिखलाई पड़ेंगी। मेरे पास कोटेशन है....

अनेक सदस्य—

बिलकुल गलत, ऐसा नहीं कहा था।

श्री झारखण्डेराय—

मैं कटिंग दिखला दूंगा। मेरे पास कोटेशन्स हैं। पाटिल साहब बजाय इसके कि वह वाकआउट करते और उसका बहिष्कार करते उन्होंने एक तरह से उसका समर्थन सा किया कि हां, ऐसा नहीं होना चाहिये। आगे कहा कि उद्योगपति हमेशा कांग्रेस को

[श्री झारखण्डेराय]

अपनी पार्टी समझते रहे हैं। उन्होंने आंकड़े भी दे डाले। उन्होंने कहा कि आजादी की पूरी लड़ाई में, लड़ाई के जमाने में कांग्रेस को कुल १० करोड़ रुपया चन्दा दिया होगा। उन्होंने कहा था कि कुल चन्दा १० करोड़ मिला होगा, जिसमें से ९० फीसदी यानी करीब ९ करोड़ रुपया, हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों ने दिया है और वे हमेशा उसे अपनी पार्टी समझते रहे हैं। इस तरह की पूंजीपतियों की भक्ति, चापलूसी, मैं समझता हूं बिलकुल समाजवाद नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद यह भाषण ऐसा लगता है कि जिससे आशंका उत्पन्न होती है और ऐसा चिन्ह है जिसकी तरफ हमको ध्यान देना होगा।

मान्यवर, हमारे देश में जो भी विकास हुआ है, आजादी के बाद तीनों योजनाओं में जो धन व्यय हुआ है, और सारे विकास से जो ७० फीसदी राष्ट्रीय आय बढ़ी है—आज भी अखबार की खबर है कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई है जिसका हम सबको गर्व है, लेकिन उस बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय के बारे में महालानोविस कमेटी ने जो कुछ कहा है वह हमारे लिये एक चेतावनी है कि उसका ७० फीसदी हिस्सा मुट्ठीभर पूंजीपतियों के हाथ में है।

श्री कृष्णानन्द राय—

अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये मेरा निवेदन है कि १५ मिनट की रोक न लगावें।

श्री अधिष्ठाता—

उसके लिये नियम बने हुए हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

लेकिन आप उस नियम को निरस्त भी तो कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा, मेरे विवेक पर छोड़ दें।

अनेक सदस्य—

हां, यह ठीक है।

श्री झारखण्डेराय—

मैं यह कह रहा था कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय का ७० फीसदी हिस्सा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में गया है। आज हमारे देश की आय का १/३ हिस्सा चन्द हाथों में जमा हो गया है। हमारे देश के कुछ थोड़े से पूंजीपतियों ने उद्योग को मोनोपोलाइज किया हुआ है। यह बहुत गम्भीर बात है। हमारे पूंजीपतियों का गठबन्धन बाहर के विदेशी पूंजीपतियों से है और इसने हमारे आर्थिक ढांचे को खतरा पैदा कर दिया है। विदेशी पूंजी हमेशा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष गुलामी को अपने साथ ले आती है। विदेशी पूंजी का और हमारे पूंजीपतियों का मेलजोल एक ऐसा खतरा है जिसे हमें तोड़ना पड़ेगा। यह पहले आर्थिक हमला है जो बाद में चलकर नये उपनिवेशवाद को जन्म देता है। हमें इसे रोकना है। इसलिये इस बात की जरूरत है कि सही माने में हम समाजवाद की ओर बढ़ें और समाजवाद की ओर बढ़ने के लिये आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर का फैलाव अधिक न हो। इसके लिये हिन्दुस्तान में पहला कदम सरकार का यह होना चाहिये और यू० पी० सरकार को चाहिये कि वह भारत सरकार से इसकी सिफारिश करे कि हम सब आपके साथ हैं और हमारा प्रस्ताव उस दिशा में उनके लिये सहायक होगा वह बैन्कों का राष्ट्रीयकरण कर दें ताकि बैंकों की तमाम पूंजी का एकत्रीकरण हो सके। हमारे देश में कुल ३०४

बैंक्स हैं जिनमें २६ बड़े बैन्क हैं और १७ बहुत बड़े बैन्क हैं। कुल बैन्कों में जमा पूंजी का ८५ प्रतिशत इन २६ बैन्कों में जमा है और १५ बैन्कों में जो ६ महान बैन्क हैं हिन्दुस्तान के, वे इस देश के ९ कैपिटलिस्ट आदमियों के हाथों में है। इस तरीके से हम अगर उनका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं तो करीब ७५ करोड़ रुपये की सालाना आमदनी प्राइवेट सेक्टर से हटकर गवर्नमेन्ट सेक्टर में होने लगेगी और अपना विकास करने के लिये हमें जनता पर नये टैक्स लगाने की जरूरत भी न पड़ेगी।

इसी प्रकार से आयल इन्डस्ट्री, फारेन ट्रेड, शुगर इन्डस्ट्री, सीमेन्ट इन्डस्ट्री, लोहे और कोयले की खानें हैं, ये जो बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं जिनके दाम बढ़ने से जनता पर बहुत असर पड़ता है, और आप हम सभी परेशान होते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करना बहुत ही जरूरी है। अगर इनका राष्ट्रीयकरण हो गया तो बगैर टैक्सेशन किये हुए ही देश का विकास व देश की सुरक्षा हो सकती है। जब जनता के ऊपर कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा तो मंहगाई भी नहीं बढ़ेगी और इसकी वजह से ब्लैक मारकेटिंग करप्शन आदि में भी कमी होगी। आज मंहगाई की वजह से जनता में बड़े पैमाने पर करप्शन है और इस बात को सभी मानते हैं कि करप्शन की वजह से जनता का मनोबल नीचे गिरता है और जब जनता का मनोबल नीचे गिरता है तो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिये हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रीयकरण करके पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र को बढ़ावें और तभी हम समाजवाद की ओर एक ठोस कदम उठा सकते हैं।

श्रीमन्, मैं इस सदन में रूस, चीन या कम्युनिस्ट देशों की बातें न कह कर सीरिया, घाना, वर्मा, ईजिप्ट, लंका, जैसे पूंजीवादी राष्ट्रों का नाम लेता हूं जिन्होंने राष्ट्रीयकरण की तरफ कदम उठाये हैं। लंका की भूतपूर्व प्रधान मंत्री एक महिला थी जिन्होंने लंका में बैन्कों का राष्ट्रीयकरण किया, फारेन ट्रेड को नेशनलाइज किया। वर्मा जो हमारे देश के एक सूबे के बराबर है, और जहां सन् १९४७ से लेकर आज तक सिविल वार चल रही है, जब कि हमारे यहां एक ही नागा प्रावलम है, वहां ५-५ नागा प्रावलम्स हैं लेकिन उसने भी अपने यहां बैन्कों का तथा फोरेन ट्रेड का राष्ट्रीयकरण किया।

सीरिया और इजिप्ट जैसे पूंजीवादी देश जब अपने यहां की इस तरह की इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं तो हिन्दुस्तान जैसा मुल्क जो अपने को समाजवादी कहता है, वह इस नीति को क्यों नहीं अपनाता। क्यों नहीं वह प्राइवेट सेक्टर को संकुचित व सीमित करके पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र को बढ़ाता ताकि सही माने में समाजवाद की ओर हम आगे बढ़ सकें और देश के तमाम बड़े बड़े उद्योग धंधों पर समाज का स्वामित्व हो जाय ?

*श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने प्रस्तुत संल्कप को बड़े गौर से पढ़ा और यह जानने की कोशिश की कि जो संकल्प है वह सही रूप में रखा गया है या नहीं। मैं उसके विचार और भावनाओं की कदर करता हूं परन्तु जिस तरीके से यह संकल्प रखा गया है वह मुझे ठीक नहीं जंचता। होना यह चाहिए था कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस बात की जांच करने के लिये एक कमेटी बैठायी जाय जो यह देखे कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनायें :

(१) अब तक राज्य के सामान्य जन के जीवन स्तर में वृद्धि करने, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती हुई विषमता, बेकारी और केन्द्रीयकरण को रोकने,

(२) अभाव और महंगाई, कर और कर्जा परावलम्बन और परानुकरण की भावना को कम करने,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

(३) अधिकाधिक क्षेत्र पर राज्य के बढ़ते हुए स्वामित्व और नियंत्रण की दृष्टि से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेरणा पर अनूकूल परिणाम डालने,

(४) व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं और राज्य की आन्तरिक सुरक्षा एवं सामर्थ्य की गारन्टी देने में कहां तक सफल हुई है और जो ऐसे व्यावहारिक सुझाव भी दे जिससे कि नियोजन द्वारा राज्य के सीमित साधनों को न्यूनतम काल में अधिकतम लाभ के लिये प्रयुक्त कर समाज की स्थायी निष्ठाओं एवं मर्यादाओं की ठीक भूमिका पर राज्य में सुख और समृद्ध का निर्माण शीघ्र किया जा सके।

विचार तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो हमारा गत वर्षों का अनुभव है, हमारे मुल्क में केवल सेन्टर की सरकार ही नहीं, बल्कि हर स्टेट की सरकार ने बहुत सी इस प्रकार की समितियां जांच के लिये अप्वाइन्ट कीं परन्तु जो उनका नतीजा रहा है मैं समझता हूं उससे हमारे मुल्क की कोई भी मदद नहीं हो सकी और सारा रुपया उन कमेटियों में जाया हुआ क्योंकि बड़े-बड़े पोथे लिखे गए और उन पोथों के अन्दर अगर तथ्य ढूढने की कोशिश की जाय तो हमारा मुल्क वहीं पर रह जाता है जहां कि पहले था। मैं समझता हूं इस प्रकार की जांच से कोई फायदा नहीं होता है। मैं इसलिये इसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि यह प्रस्ताव शारदा भक्त सिंह जी की तरफ से आया है। परन्तु गत वर्षों के अनुभव और तजुर्बे से अगर मुल्क वाले कोई फायदा न उठायें तो यह बड़ी नादानी होगी क्योंकि हमने बड़े-बड़े कमीशन और कमेटियों के बड़े-बड़े पोथों को देखा है जैसा कि एजूकेशन पर हाई कोर्ट के जजेज और बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोगों की कमेटी बैठी, उनका जो पोथा है वह कतई हमारे मुल्क के विकास के लिये नाकामयाब है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जांच कमेटी अप्वाइन्ट करके मुल्क का धन और दौलत को जाया करना मुल्क के लिये कोई फायदेमन्द चीज नहीं है। उससे नुकसान पहुंचता है। मुल्क के अन्दर एक तरह का डिसअप्वाइन्टमेन्ट फैलता है। हमारा मुल्क बावजूद १७ साल के विकास के प्रयास के, आज तक भी कोई एप्रीशियेबिल इम्प्रूवमेन्ट जनजीवन को सुधारने में नहीं कर पाया। यह संकल्प जिस रूप में है वह इतना विस्तृत है कि वह जन जीवन के हर क्षेत्र को छूता है और इस प्रकार की जांच अगर सही तरीके से करनी पड़े तो मैं समझता हूं कि इसमें कई वर्षों के काम की जरूरत है जब कि आजकल के द्रुतगामी साइंटिफिक और टेकनिकल ऐडवांसमेंट को देखते हुए जनजीवन और उसके दिल दिमाग पर जो जो इम्पैक्ट उसका हो रहा है वह पांच साल और दस साल में मुल्क के और सारे संसार के चेहरे को बदलने वाला होता है। इसलिये इतना विस्तृत दायरा जो इस संकल्प में रखा गया है मैं समझता हूं यह कोई डिजायरेबिल बात नहीं है क्योंकि इसको स्टडी करने के लिये अगर यह बात है कि कुछ चन्द लोगों को रोटी देना है और चाय पानी का हिसाब किताब करने के लिये यह सरकार कमेटी रखती है तो मैं भी उसका वेलकम कर सकता हूं क्योंकि चन्द लोगों को जो बेकार बैठे हैं उनकी दाल रोटी का इन्तजाम करना है।

तो जिस प्रकार की कमेटियां आज तक बैठाई गई हैं, और आज भी बैठाई जा रही हैं, वैसी बैठाई जा सकती हैं। लेकिन अगर कमेटी का मतलब यह है कि आप मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके नतीजे से मुल्क को कोई खास फायदा पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि इसका दायरा काफी विस्तृत है जो किसी कमेटी की जांच के बाहर है। यह प्रस्ताव अनलिमिटेड है। इसका स्कोप अनडिफाइंड है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—

यह ठीक है कि जब गैर सरकारी प्रस्ताव पेश हो तो विरोधी दल का यह कर्तव्य है कि कोरम को देखें ।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

एक ओर से आवाज आती है कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूं जैसे कि मुर्दे सुन रहे हों, वह बिल्कुल सही और सच कहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप यह क्यों मानते हैं कि वह सदन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । आप अपने लिये कर रहे हैं ।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मैं यह कहने को तैयार हूं कि यह संकल्प सुपरफ्लुअस है । सरकार की ऐक्टीविटीज को असिस्ट करने के लिये एक बार नहीं कई बार इवैलूयेशन कमेटी बैठी हैं और आपने देखा है कि हर डिवीजन के अन्दर इवैलूयेशन कमेटी प्रदेश की सरकार की तरफ से काम कर रही हैं । आज ही एक मेम्बर कह रहे थे कि नैनीताल में उनकी इवैलूयेशन कमेटी की मीटिंग है । मैं समझता हूं कमेटी का निर्माण करना अपने डेवलपमेंट के इवैलूयेशन के लिये बुद्धिमता की बात नहीं होगी । हमको देखना चाहिये कि पब्लिक इक्सचेकर पर इस प्रकार की कमेटी का क्या इम्पैक्ट होता है । वह मुल्क के फायदे के लिये होता है या उससे छीजन होती है । मुझे इस संकल्प से कोई प्रसन्नता नहीं हुई । अगर इस संकल्प का यह मतलब है कि पब्लिक सेक्टर इस देश में कहां तक कामयाब हुआ और उसका इम्पैक्ट लोगों की बढ़ती हुई व्यवस्था पर क्या हुआ तो इसको प्लेन भाषा में आना चाहिये था । वह एक सक्सेन्टिव इनक्वायरी होती । परन्तु इस भाषा के अन्दर तोड़ मरोड़ कर उसकी सारी आत्मा को कलुषित कर देना ठीक नहीं है । मैं समझता हूं उनके दिमाग में भय है और जिस दिमाग में भय होता है, जिसके दिल और दिमाग में संशय होता है, उसका विनाश होता है । वह विचार और ताकत जो सशंकित होती हैं उसके अन्दर मारल फोर्स दुनियां के अन्दर खड़े रहने का नहीं होता । प्रस्तावक महोदय इसको साफ करें कि अगर वह इस बात की जानकारी चाहते हैं और मुल्क के सामने हमारे नतीजों को सही रूप में पेश करना चाहते हैं, हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, जो मैं समझता हूं उनके दिमाग में विचार है कि वह टोटल फेल्योर है, अगर उसकी जांच करना चाहते हैं, तो उनको साफ भाषा में प्रस्ताव रखना चाहिये था । लेकिन जिस रूप में है, उस से आपका कोई मतलब हल नहीं होता । और जो आपका मकसद है, उसको हल करने के लिये कोई मार्ग प्रशस्त नहीं करता है, इसलिये इस नुक्ते नजर से भी इस संकल्प को देखा जाय, तो मैं समझता हूं यह संकल्प बिलकुल नाकामयाब है ।

जहां तक योजनाओं की बात है आप लोग अपने ब्लाकों में देखते हैं और नतीजे हमारे सामने हैं, इस सदन के सामने एक बार नहीं हजार बार उसी बात को रिपीट किया जाता है । हम उन फेल्योर्स की एक लिस्ट फिर बनाना चाहते हैं । यह क्या बुद्धिमत्ता है । वह तो बड़े-बड़े पोथों में अधिकारियों ने बना दिये हैं, जो हमारे सामने प्रस्तुत किये जा चुके हैं जिनमें से आप लोग उद्धरण पेश करते हैं । जब एक नतीजा हमारे सामने बिलकुल साफ है और हम जानते हैं कि इन ब्लाकों से जनता की आय जहां तक बढ़नी चाहिये थी, वह नहीं बढी, बड़ा डिसएप्वाइंटमेंट हमें है । इसके लिये फिर से रुपया खर्च किया जाय सरकारी नौकरों को कमेटी के सामने बुलाया जाय, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है । अगर ये फेल्योर्स का कैटलाग फिर से बनाना चाहते हैं, जो पहले भी सैकड़ों दफे बनाया जा चुका है तो यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है । इट हैज बीन अनहैपिली वर्डेड एन्ड इट्स स्पिरिट हैज नाट बीन रिफलेक्टेड । जिन सदस्यों में इस संकल्प

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

को आना चाहिये था, उन शब्दों में न तो इसकी स्पिरिट अंकित होती है और न प्रतिबिम्बित होती है। आपकी भाषा उपयुक्त नहीं है। वह उस तस्वीर को नहीं खींचती है, जिस तस्वीर को हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिये यह संकल्प इन्कम्पीटेंट है, उस बात को जाहिर करने के लिये जो कि आप चाहते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष की ओर से जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सदन का यह रवैया हो गया है कि विपक्ष की तरफ से चाहे कोई कितना ही अच्छा प्रस्ताव क्यों न प्रस्तुत किया गया हो, उस तरफ के बैठने वाले लोगों ने उसकी अच्छाई को छोड़ कर उसके विरोध करने का नियम ही बना रखा है। जब उधर से कोई बात आती है तो इधर से भी विरोध किया जा सकता है और किया जाता है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई किसी भी दल का सदस्य क्यों न हो उसकी बात देश व प्रदेश के हित में ही होना आवश्यक है।

मैं अब इस संकल्प के सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करूंगा और अपने विचार प्रकट करूंगा। अपने-अपने विचार प्रकट करते हुये माननीय सदस्यों ने अपने देश की सुरक्षा की बात भी कही। आज देश की सुरक्षा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले एक प्रस्ताव पास किया गया। बहुत से माननीय सदस्य उस पर विचार प्रकट करना चाहते थे लेकिन विचार प्रकट नहीं कर सके।

मैं सत्ताधारी दल से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक नहीं है कि इस देश पर पाकिस्तानी हमला किसी भी क्षण हो सकता है, बड़े पैमाने पर हो सकता है। चीन किसी भी समय हमारे देश की आजादी को खत्म करने के लिये टक्कर ले सकता है। सत्ताधारी दल एक तरफ तो देश की सुरक्षा की बात कहता है और मानव समाज को जीवित रखने के लिये कहा जाता है लेकिन दूसरी ओर कोई व्यवहारिक बात दिखाई नहीं पड़ती। यह बात सही है कि ऐसे संकट के समय जो भी आदमी या दल किसी दूसरी पार्टीबन्दी की बात करता है, धर्म के नाम पर समाज को गुमराह करता है उससे बड़ा और कोई देशद्रोही हो नहीं सकता। जब देश पर खतरा हो तो पार्टीबन्दी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जाति और मजहब की ऐसे समय में दुहाई देता है, वह देश की रक्षा कभी नहीं कर सकता।

एक बात यह है कि मान लीजिये कि पाकिस्तान का बड़ा हमला हो जाय लेकिन आपने उसका इलाज क्या किया है? आपने अपने देश में बन्दूक के लाइसेंस दे रखे हैं उनके लिये जो कारतूस आते हैं, उनका क्या दर है। वह ५००–६०० रुपया प्रति सैकड़ा ब्लैक में बिकते हैं। अपनी इस कमजोरी का इलाज करें। भला इतने मंहगे कारतूस कौन खरीद सकता है। दूसरी बात यह है कि यह जो आपका देशी कारतूस आया है प्वाइंट टू-टू, वह राइफिल की बैरिल में फंस जाता है। अभी हाल में झांसी में मिलटरी ने राइफल क्लब को जो कारतूस शूटिंग के लिये दिये वे भारत के बने हुये थे। लेकिन उन कारतूसों में १० में से दो ऐसे थे जो चले ही नहीं। १० में से दो कारतूस मिस हो जाते थे। जब मोर्चे के ऊपर जवानों को ऐसे कारतूस दिये जायेंगे तो फिर बताइये आप कामयाब होंगे या दुश्मन।

इसी प्रकार से आपने प्रदेश की सुरक्षा के लिये होम गार्ड्स और राइफिल क्लब की स्थापना की और उसमें शामिल होने के लिये देश के जवानों का आह्वाहन किया और उसके लिये आपने प्रदेश के जिलों के अन्दर उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की। अब जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है वे अगर प्वाइंट टू-टू राइफिल भी खरीदना चाहें और उसके लिये बाजार जायें तो आज वह भी ६००–७०० रुपये की मिलती है। कौन ऐसा परिवार होगा जो इतनी कीमत की बन्दूक खरीद सकेगा। आप बात तो देश की सुरक्षा की कहते हैं लेकिन क्या आपने इस बात को भी सोचा है कि समाज की, शहर की और मोहल्ले की सुरक्षा का भी आपने प्रबन्ध कर लिया है।

शहर और गांवों की हिफाजत के लिये, हत्यारों और डकैतों, लुटेरों से रक्षा के लिये आप सुविधा दें, आज ६-६ और ७-७ सौ रुपये में जो मामूली बन्दूक मिलती वह कौन खरीद सकता है। मैंने पहले जब माननीय चन्द्रभानु जी मुख्य मंत्री थे तो उनके सामने अपना यह सुझाव रखा था उस पर उन्होंने उस समय कहा भी था कि सुझाव देश के हित में बहुत ही अच्छा है और हम इस पर विचार करेंगे लेकिन मेरा विश्वास है कि कागज की रद्दी की टोकरी में पहुंच कर उसकी खूबसूरती को वह बढ़ाता होगा।

मुझे बहुत ही अधिक दुख है कि जब देश में आप स्वयं ही महसूस करते हैं कि संकट है, परेशानी है तो आपके सामने यदि विरोधी पक्ष के कोई सज्जन कोई प्रस्ताव पेश करते हैं और यदि वह देश के हित में होता है तो उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। और शिरोधार्य करना चाहिये न कि यह कि दिलचस्पी के नाम पर उसको ठुकरा दें क्योंकि वह विरोधी दल की ओर से आया है। यह बहुत ही गरीब देश है उसके उत्थान की उसका स्तर उठाने की सरकार को योजना बनाना चाहिये। लेकिन मैं सत्ताधारी दल के कर्णधारों से पूछना चाहता हूं कि आप पहाड़ों पर तफरीह के लिये और बड़े शहरों में तो जाते हैं लेकिन गरीब हरिजनों की गन्दी बस्तियों में भी कभी आप जाते हैं जिनकी झोपड़ी में पूज्य महात्मा गांधी जा कर ठहरते थे और उनके दुख दर्द को समझते थे। आप देखें कि आज जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग होता है, किस तरह से वह इस सरकार के मंत्रियों के द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है। मैं आपको मिसाल बता दूं कि हमारे स्वायत्त शासन मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा अभी थोड़े दिन पहले झांसी में एक व्यक्ति के निजी प्रेस का उद्घाटन करने गये, एक कांग्रेसी ने निजी होटल खोला, और उसके उद्घाटन के लिये माननीय राममूर्ति जी चले गये। आज हालत यह है कि एक आइना लगा कर कोई भी जरा सी पान की दुकान रख ले और आसानी से मंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा सकते हैं। यह हालत उस वक्त है जब कि संकट की स्थिति है और देश पर खतरा है, विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। उनका ध्येय तो यह है कि किसी तरह से जनता में जब वह जायं तो उनका स्वागत होना चाहिये और इसी से वह समझते हैं कि हम देश के प्रति वफादार हो गये और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई व जनता सुखी है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वाकई उनको देश से प्यार है और उन्हें उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना है जिसकी आज के युग में जरूरत है तो सबसे पहले इस सरकार को पार्टीबन्दी को खत्म करना चाहिये और कोशिश इस बात की करें कि वह जब भी बाहर जायं तो गरीब बस्ती में, मजदूरों में, बाजारों में जायं और जनता के वास्तविक दुखदर्द का देखें और सुनें कि लोगों की क्या तखलीफ हैं।

मैं मजबूर हूं यह भी कहने के लिये कि हमारे मंत्रीगण जब दौरे पर जाते हैं तो एक खूबसूरत बीबी की तरह कार में और पर्दे में जाते हैं और कांग्रेसी भाई उनको स्टेशन से ही सीधे सरकिट हाउस में ले जाते हैं और उनकी बढ़िया लम्बी चौड़ी दावत पार्टी होती है। आज देश पर चीन का और अब पाकिस्तान का हमला है। आज मजदूर तबका, किसान तबका, मिडिल क्लास का तबका और चतुर्थ श्रेणी के और यहां के सरकारी कर्मचारी सब देश के लिये सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं। और वह मुल्क के प्रति वफादार हैं लेकिन कितने बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने सहयोग दिया है, उन्होंने कितने जवान दिये हैं, किसने धन दिया है, किसने समझा है कि देश को बचाना है। जब यहां के सत्ताधारी लोग रोजाना पार्टी और सीटों के लिए लड़ें तो फिर देश की बात कौन सोचे? इसका असर सूबे के सारे समाज पर पड़ेगा, जब देश पर पाकिस्तान और चीन का हमला होने का खतरा है तो उनको अपनी आपस की लड़ाई से फुर्सत नहीं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया है कि दलबन्दी है लेकिन यह देखना है कि हम कितना काम उस हालत में कर सकते हैं। अभी दस दिन पहले इनके चुनाव हुये, कौन से तरीके उसमें इस्तेमाल नहीं हुए। जब कि सूबे की जनता रोटी, कपड़े, रोजी, के लिये परेशान है तो इस तरह से यहां लाखों रुपया बरबाद किया जा सकता है, मालूम होता है कि जनता से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं। कभी आप ने गौर किया कि आपकी नीति से आज न किसान खुश हैं, न मजदूर खुश हैं, न अध्यापक खुश हैं, न कर्मचारी खुश हैं? यह खुश कैसे रह सकते हैं? मैं नाम

[श्री लखपतराम शर्मा]

नहीं लूंगा, एक मंत्री जी के यहां सुबह साढ़े सात बजे गया तो जो एक चपरासी बाहर था उस से मैंने पूछा कि अब तो तुम यहां बड़े खुश होगे, मैंने सोचा कि मंत्री जी अभी मालिश करा रहे हैं इसी से बात की जाय। जब माननीय मंत्री जी मालिश करवा रहे थे तो जो चपरासी बाहर खड़ा था उससे पूछा कि भाई अब तो तुम्हारी हालत अच्छी हो गयी होगी तो उसने कहा कि हालांकि आप का लक्ष्य समाजवाद का है पर जितने हम लोग खुशहाल हैं, हम ही जानते हैं (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता---

सदन के कुछ माननीय सदस्य बहुत बातें कर रहे हैं और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कृपया वे शांत रहें।

श्री लखपतराम शर्मा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था .....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय लखपतराम शर्मा, कृपया आप बैठिए। कोरम पूरा नहीं है। मैं आशा करता हूं कि अगर यह असरकारी वाद-विवाद चलाना है तो विरोधी दलों के माननीय सदस्य भी इस बात को देखें कि कोरम बना रहे।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय लखपतराम जी, आप कृपया माइक पर बोलें। जो आप बोलते हैं वह समझ में नहीं आता है।

श्री लखपतराम शर्मा---

श्रीमन्, मेरी आवाज यूंही बहुत है अगर मैं माइक पर बोलता हूं तो और भी जोर से निकलेगी।

श्री अधिष्ठाता---

आप की स्पीच लिखी भी जा रही है? कृपया आप माइक पर ही बोलें।

श्री लखपतराम शर्मा---

श्रीमन्, रिपोर्टर सब लिख लेते हैं। तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि चपरासी ने बताया कि अगर मैं कभी दो रोटी भी ज्यादा खाने के लिये मांग लेता हूं तो मुझे कहा जाता है कि यह बहुत रोटी खाता है। तो जिसको सूखा खाना मिलता है अगर वह दो रोटी भी ज्यादा मांगलेते हैं तो कहा जाता है कि यह तो बहुत रोटी खाता है। यह नहीं, श्रीमन्, अगर कभी माननीय मंत्री जी बीमार पड़ते हैं तो उनको इतनी पतली सूई लगाई जाती है जिससे उन्हें बिलकुल भी तकलीफ न हो लेकिन इन बेचारे चपरासियों को बीमारी के वक्त मोटी से मोटी सूई लगाई जाती है चूंकि वे गरीब हैं। उनके विचार में उनके खून और उनकी जिन्दगी की कोई कीमत नहीं है। जब लोग इतने खुशहाल हैं तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि इस प्रदेश में क्या होने वाला है? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

सदन में बहुत बातें हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य कुछ कम बातें करें।

श्री लखपतराम शर्मा--

इन १६-१७ साल में आप ने इनकी तरफ भी देखा है? यह भी तो आपकी ही तरह मनुष्य हैं। आपके दिल में भी रहम हो सकता है लेकिन पार्टीबन्दी में आप लोग इतने घिर गये हैं कि आप को एक मिनट का समय नहीं मिलता कि देश के गरीबों और दुखियों की हालत को देख सकें। आप आये दिन गरीबों पर टैक्स लगाते चले जा रहे हैं और जिन्होंने आजादी की लड़ाई के समय भी आपका साथ नहीं दिया था आज आप उनका साथ दे रहे हैं। इसलिये कि जब चुनाव का समय आता है तो उनकी थैलियों और मोटरों का आप इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से आपकी आत्मा इतनी कमजोर हो गयी है कि आज खतरे के वक्त भी और मुसीबत के वक्त भी आप उनको दबा नहीं सकते। चुनाव के समय वे आपको लम्बी-लम्बी थैलियां देते हैं। अगर आपका उनको इतना खयाल है तो गद्दी से हट कर देखिये और फिर ५ हजार रुपये की थैली देने को कहिये तो १०० रुपये की थैली भी वे आप को नहीं देंगे। जब तक स्वार्थ है तब तक वह देते हैं वर्ना नहीं देंगे। आज देश को जरूरत है सुभाषचन्द्र बोस की, सरदार पटेल की, और नेहरू जैसी हस्तियों की, न कि ऐसे लोगों की जिनको पार्टीबन्दी और आपसी झगड़ों से फुर्सत नहीं है।

इस प्रदेश के अन्दर इतनी भुखमरी, बेकारी और गरीबी फैल रही है, व खुल कर ब्लैक हो रहा है और अगर इसको आपने नहीं रोका व बढ़ती हुई कीमतों को नहीं रोका तो उस दशा में चीन और पाकिस्तान से उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि इन सब चीजों से होगा। जब बुरा वक्त आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात चरितार्थ होती है। अनेक माननीय सदस्य भी झूठ बोल सकते हैं, व माननीय सदस्य अपनी बात की कीमत नहीं समझते तो ऐसे लोग देश को खतरे से कैसे बचा सकते हैं? चीन और पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा मीर जाफर तथा जयचन्द जैसे लोगों से है। देश की इज्जत को कायम रखना है तो उसके लिये एक मिसाल मुझे याद आती है जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। देश की रक्षा की जिम्मेदारी केवल पैसे वालों की ही नहीं होती। आजादी की रक्षा में गरीब और अमीर का सवाल नहीं होता है। इतिहास की एक मिसाल मैं देता हूं। जिस समय झांसी की रानी पर हमला हुआ उस समय झांसी की रानी को अंग्रेज की मार से सुरक्षा दिलाने वाली कौन थी? वह थी शहीद झलकारी कोरिन, एक गरीब औरत। उसने स्वयं झांसी की रानी बन कर अंग्रेजों से मुकाबला किया और झांसी की रानी को सही सलामत निकाल लिया। लिहाजा देश का प्यार हर एक में हो सकता है। गरीब, अमीर और जाति बिरादरी का कोई भी असर उस पर नहीं होता। एक दूसरी मिसाल भी मैं आपको देता हूं। जब चन्देरी के राजा पर बाबर ने हमला किया तो राणा अपनी खूब सूरत बीबी के प्रेम पाश में फंसा हुआ था। रानी ने राजा से कहा कि चन्देरी की लाज के लिये सब कुछ करो लेकिन राजा उसके प्रेम के चक्कर में पड़ा रहा। बाबर ने शहर को घेर लिया फिर मालूम हुआ कि शहर में प्रवेश कर गया। राजा बहादुरी से बाबर का मुकाबला करने गया लेकिन राजा रानी की मुहब्बत में था और वह खूबसूरत चेहरा उसके सामने घूमता था। रानी ने देखा कि उसका पति उसकी मुहब्बत में डूबा हुआ है, गिरफ्तार है कि वह युद्ध के मैदान में पराजित हो जायगा। रानी ने स्वयं अपनी बांदी को बुलाया और कहा कि तूने इस राज्य का नमक खाया है। चन्देरी की स्वतंत्रता खतरे में है। जो कहूं तू उसका पालन कर। एक सिपाही को बुला कर मेरे सर को कटवा दे और एक खूबसूरत थाल में रख कर मेरे पति के पास लड़ाई के मैदान में भेज दे और उनसे कहना कि आपकी जो सबसे खूबसूरत और प्यार की चीज थी वह भेंट रानी देना भूल गयी थीं। तो वह वीर सैनिक महारानी का कटा हुआ सिर थाल में सुन्दर कपड़े में लिपटा हुआ लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा तुम इसमें क्या लाये हो, तुम यहां इस समय कैसे आये? क्या किले में विरोधी सैनिक घुस आये हैं या हमारी हार हो गयी? इस पर उसने राजा को बताया कि महाराज जिस वस्तु को आप सब से प्रिय समझते थे वही खूबसूरत चीज मैं आपके पास तोहफे में लाया हूं। राजा ने उस थाल का कपड़ा हटा कर देखा तो

[श्री लखपतराम शर्मा]

वह देख कर दंग रह गया। उसने कहा जिस चीज को आप संसार में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जिसे सबसे खूबसूरत समझते थे वही चीज महारानी ने आपको भेंट करने के लिये भेज दी है। इस दृश्य से वह स्त्री प्रिय राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और उसके हृदय में सोया हुआ मातृप्रेम जागृत हो गया और आपको ताज्जुब होगा रानी ने सैनिक से यह भी कहा था कि उनसे जाकर कह देना कि एक रानी तो क्या चन्देरी की स्वतंत्रता के लिये करोड़ों रानियां बलिदान की जा सकती हैं।

(इस समय ३ बजार २६ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

तो ऐसी एक नहीं कई घटनायें हमारे इतिहास में हुई हैं और इनका इतिहास हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में भरा पड़ा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के समय में आप भी पार्टीबन्दी खत्म कर दें। देश के अन्दर हिन्दू मुसलमान का भी भेद खत्म कर दें। ऐसी भावना पैदा करें कि देश पर मर मिटने की धुन में लोग अपना मजहब भूल जायें और जब लड़ाई लड़ें तो दुश्मन पहचान न सके कि कौन हिन्दू है और कौन मुसलमान है इस तरह सब लोग देश प्रेम में रंग जायें। यदि आप लड़ते रहे पार्टीबाजी के पचड़े में पड़े रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिये गरीबी को मिटाने के लिये, मुल्क को सुधारने के लिये आज के संकटकालीन स्थिति में मेरा निवेदन यह है कि आप लोग सही तरीके से एक दूसरे को पहचाने, सहयोग करें। यह भी समझें कि देश के प्रति जितना वफादार आप अपने को समझते हैं उतने ही हम लोग जो इधर बैठते हैं चाहे जिस पार्टी के हों, चाहे जिस धर्म के हों, देश भक्ति में हम लोग भी आपसे कम नहीं हैं। आवश्यक है कि इस समय रचनात्मक और संगठात्मक काम देश को मजबूत बनाने के लिये किये जायं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा और इस गल्ती के लिये इतिहास आपको कभी भी क्षमा नहीं करेगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, उसके संबंध में.....

मुख्य मंत्री के सभा सचिव श्री (बंशीधर पाण्डेय)—

नहीं, उधर से पेश किया गया है।

श्री जे० पी० मिश्र—

अच्छा तो मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ही समझ रहा था, इस पर नहीं बोलना है।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन एक कविता द्वारा करूंगा, सदन के समक्ष एक नई योजना प्रस्तुत करूंगा।

कोई कहे आयोजना, कोई कहे परियोजना।
है मूर्ति पूर्ति प्रयोजनों की यह तुम्हारी योजना।।१।।

सत्य हैं मैं हूं विरोधी आज के इतिहास में।
पर सौ कदम आगे मिलूंगा राष्ट्र के विश्वास में।।
मैं न संकट काल में करता कड़ी आलोचना,
जिसमें न कोई तथ्य हो उसका भला क्या कोसना।।

कोई जिये या मत जिये जुग-जुग पर योजना।
है मूर्ति पूर्ति प्रयोजनों की यह तुम्हारी योजना।। २।।

विषमतायें चढ़ रही हैं, बढ़ रही है भुखमरी,
गूंजती है ध्वनि चतुर्दिक में मरा हा में मरी।
हा हन्त अपनी भाग्य नौका, शैल से टकरा रही,
सच भारतीय स्वतंत्रता तो गाय-सी डकरा रही।।

बन न जाये साथियो ? परियोजना पर योजना।
है मूर्ति पूर्ति प्रयोजनों की यह तुम्हारी योजना ।। ३ ।।

लखनऊ में आज सब ही बन रहे बाजिद अली,
आदर्श जनखों की कहानी फिर यहीं फूली फली।
अश्लीलता का तो यहां रहता खुला बाजार है,
वह कौन है जिसको नजाकत का नहीं आजार है।

विख्यात हैं नवयुवक तो, प्रख्यात हैं नवयौवना।
है मूर्ति पूर्ति प्रयोजनों की यह तुम्हारी योजना ।। ४ ।।

यह शस्त्र पूजन का समय है शास्त्र शास्त्री छोड़ दो,
सर्वत्र बम बम बोलकर चिर शान्ति बमव्रत तोड़ दो।
फिर वीर अर्जुन से कहो, रण की करे प्रस्थापना,
शस्त्र द्वारा ही उसे है शत्रु का बल मापना।

अब ताख में रखनी पड़ेगी पंचवर्षीय योजना।
है मूर्ति पूर्ति प्रयोजनों की यह तुम्हारी योजना ।। ५ ।।

अब तप्त शोणित चाहती है रक्त प्यासी कालिका,
त्राहि त्राहि पुकारती है राष्ट्र श्री नवबालिका।
देश रक्षा के लिये हे शूरवीरो ? प्राण दो,
भव्य भारत की धरा को त्राण दो परित्राण दो।

प्राणपण से ही बनाओ आज की परियोजना।
है मूर्ति पूर्ति प्रयोजनों की यह तुम्हारी योजना ।। ६ ।।

वीर कारण बन न जाना राष्ट्र के परिहास के,
पृष्ठ काले कर न जाना आज के इतिहास के।
विश्व में बलिदान से ऊंचा न कोई दान है,
आज जो चूका वही सब से बड़ा नादान है।

योजना पूर्वक हमें अब मृत्यु ही है खोजना।
है मूर्ति पूर्ति प्रयोजनों की यह तुम्हारी योजना ।। ७ ।।

कच्छ की तो वक्ष पर है दाल दुश्मन दल रहा,
पर यहां कब्बालियों का दौर, नूतन चल रहा।
कच्छ का प्रत्यक्ष संकट आज क्यों दुर्लक्ष है,
शूर क्यों सजते नहीं, जब शुद्ध युद्ध प्रत्यक्ष है।

वैर शोधन की बना डालो त्वरित आयोजना।
है मूर्ति पूर्ति प्रयोजनों की यह तुम्हारी योजना ।।८।।

[श्री लोकपालसिंह]

अब नाटकों में नाचना इस दुस्समय में छोड़ दो,
और पापी पामरों का शक्ति से मुख तोड़ दो।
दुख है, कवीन्द्र रवीन्द्र की यह देन बहुत विचित्र है,
जो संस्कृति के नाम को करती महा अपवित्र है।

अति ही अमंगल कारिणी है आज यह परियोजना।
है मूर्ति पूर्ति प्रयोजना की यह तुम्हारी योजना ।।९।।

मान लो बन भी गया यदि स्वर्ग भारतवर्ष तो,
उठ भी गया यदि बहुत ऊंचा देश का आदर्श तो।
किन्तु रक्षा के बिना निस्सार अब अभियान है,
यह कर चुके, अब यह करेंगे, व्यर्थ का अभिमान है।

आसक्ति जाये, शक्ति आये, हो वही आयोजना।
है मूर्ति पूर्ति प्रयोजनों की यह तुम्हारी योजना ।।१०।।

कब तक पड़ा पर्दा रहेगा अब तुम्हारी अक्ल पर,
कब तक रहेगी थूकती दुनिया तुम्हारी शक्ल पर।
अब तो समय की मांग है, रण द्वारा प्यारे खोल दे,
अति शीघ्र कंजरकोट में खंजर दुधारा तोल दे।

इससे नहीं बढ़ कर मिलेगी और कोई योजना।
ऐसी बने आयोजना, ऐसी बने परियोजना ।।
है मूर्ति पूर्ति प्रयोजनों की यह तुम्हारी योजना ।।११।।

*श्री ब्रह्मदत्त सायर (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प आज सदन के सामने प्रस्तुत है उसके अनुमोदन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आज देश और प्रदेश की जो हालत है उसे देखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि चीन और पाकिस्तान को जो यह साहस आया या दुस्साहस आया उसका एक मात्र कारण हमारी सरकार है। जिस देश की सरकार अपने पांव पर मजबूती से खड़ी न हो, जिस देश की सरकार अपने देशावासियों के लिये अच्छा जनजीवन, अच्छा रहन-सहन, मकान और खाने-पीने का इंतिजाम न कर सके वह फेल होगी। किन्हीं कारणों से कुर्सी पर विराजमान हो जायं लेकिन आम जनता का भरोसा हासिल कर सकें यह मुश्किल है। श्रीमन्, आपने देखा कि बावजूद इसके कि १५, १६ वर्ष आजादी को बीते, इसी देश के अन्दर जिन लोगों ने एक पार्टी का समर्थन किया हमेशा और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे और ऐसा समय आया कि अंग्रेज इस हिन्दुस्तान को छोड़ कर चले गये और जिनको इसी कारण से देश के अन्दर सत्ता प्राप्त हुई, उनका व्यवहार सन् १९४७ के पहले ऐसा था जिससे आम जनता उनके प्रति एक उत्साह रखती थी। अब उसके दिल और दिमाग के अन्दर अन्तर पैदा हो गया है। अंग्रेजों के चले जाने के बाद वह यह आशा करते थे कि इस देश में अपना राज्य कायम होगा जिसमें लोगों को हर प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और देश दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करेगा वह उनकी आशा साल-ब-साल खत्म होती चली गई और एक ऐसा दिन आया सन् १९६२ में कि हमारी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए चीन ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह हिम्मत की कि उसने हमारे हिमालय पर हमला करके देश के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जिससे हमारी आर्थिक स्थिति पर संकट आया। लेकिन बावजूद तमाम कमजोरियों के यहां की जनता ने एक ऐसी आवाज सरकार के साथ उठाई और ऐसी यूनिटी स्थापित की कि चारों तरफ से ऐसा मालूम होने लगा कि देश के अन्दर रहने वाले छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एकबारगी चीन के खिलाफ खड़ा हो गया लेकिन हमारी सरकार ने हमारे नेताओं ने उस ताकत का फायदा नहीं उठाया।

श्रीमन्, यह तो आप जानते हैं कि आम जनता कांग्रेस नेताओं में विश्वास रखती है और कांग्रेस के प्रति उसके दिल में एक श्रद्धा है लेकिन हमारे नेताओं ने १७, १६ साल के व्यवहार से यह साबित कर दिया कि वह हमारी श्रद्धा की पात्र नहीं है। यह ठीक है कि हमारे देश के अन्दर पार्टी इतनी ज्यादा है कि जिसके कारण जनता यह निर्णय नहीं कर पाती कि कांग्रेस को छोड़कर दूसरी किस पार्टी के हाथ में सत्ती दी जाय। मैं यह कहने का साहस करूंगा कि कांग्रेस नेताओं की यह जिम्मेदारी थी कि वह इस देश के अन्दर एक ऐसा मनोबल पैदा करते, ऐसी हिम्मत पैदा करते जिससे देश ऊंचा उठता लेकिन जितनी भिन्न-भिन्न पार्टियां है देश के अन्दर उन पार्टियों के अन्दर भी हम जितने नेता पैदा कर पाये वह भी देश के सामने कोई अच्छा नक्शा पैदा नहीं कर सकते। वह बट गये आपस में छोटे-छोटे ग्रुप में। सभी कहते हैं और सब का उद्देश्य है कि समाजवाद की स्थापना हो। लेकिन जब समाजवाद का नक्शा लेकर जनता के सामने जाते हैं तो न तो हम उसको जनता को बता पाते हैं और न उधर के बैठने वाले जिनके हाथ में सत्ता है वे बता पाते हैं। वह भी सही नक्शा गरीबों के घर तक नहीं पहुंचा पाये, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस रास्ते से वह जाना चाहते हैं, उसका सही नक्शा नहीं है। सिर्फ रेजोल्यूशन पास कर देने से समाजवाद नहीं आ सकता। न उससे चायना पीछे हट सकता है और न बार-बार प्रोटेस्ट करने से पाकिस्तान पीछे हट सकता है। आज आवश्यकता है कि देश में ऐसा मनोबल और ऐसी ताकत पैदा हो जिसके अन्दर देश का एक-एक व्यक्ति यह महसूस करे कि यह राज्य हमारा है, देश हमारा है, यह कौम हमारी है। जब तक यह भावना पैदा नहीं होती तब तक हमारे लिये कोई नक्शा सामने नजर नहीं आता कि हम तरक्की करेंगे।

एक सदस्य--

समाजवाद कैसे आयेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

समाजवाद त्याग से आता है। श्रीमन्, हमने सन् १९४७, के बाद सीखा कि जो ऊंची ताकत रखते हैं, जिनके हाथ में कुर्सी आ जाती है वह उसके पुजारी बन जाते हैं। हमने कुर्सी को हमेशा ताकत का मम्बा समझा, त्याग को नहीं समझा। गांधी जी के साथ कोई व्यक्ति नहीं था जब वह भारत में अफ्रीका से आये, जोकि असल मानों में उनका सहयोगी समझा जाता हो। पहली लड़ाई के अन्दर अंग्रेज का साथ देने के लिये जब उन्होंने कहा तो लोगों ने उसे अच्छा नहीं समझा। भर्ती होने के लिये लड़ाई में जब उन्होंने कहा तो भगवान तिलक ने भी उसक विरोध किया और कहा कि हम अंग्रेजी राज के खिलाफ हैं। लेकिन गांधी जी का रास्ता दूसरा था। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि गांधी जी ने सब को अपने पीछे कर लिया और उस समय से लेकर सन् १९४७ तक गांधी जी के नक्शे कदम पर जनता चली गयी। वह त्याग और तपस्या की भावना थी कि गांधी जी ने जिस कंकर पर हाथ रख दिया, जिस बुरे से बुरे व्यक्ति पर हाथ रखा उसे ऊंचा उठा दिया, उस कंकर को हीरा बना दिया। संसार की हिस्ट्री में एक समय में इतने बड़े-बड़े नेता एक जगह इकट्ठे नहीं हुए जितने कि हमारे यहां हुए और गांधी

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

जी के नेतृत्व में हुए। सन् १९४७ के बाद उस सूर्य के अस्त हो जाने के बाद हमारे देश में जितने तेजस्वी और महान् नेता थे वह एक के बाद एक छूटते चले गये और हम उनका रिप्लेसमेन्ट नहीं कर पाये। सरदार पटेल गये। वह एक महान शक्ति थी। उनके बाद रफी साहब गये। उसके बाद मौलाना आजाद गये। इस तरह से जो महान् शक्तियां हमारे देश की थीं जो कि देश के लिये महान श्रद्धा की पात्र थी वह चली गयीं और आखिर में पं० नेहरू हमसे जुदा हो गये। बावजूद इसके कि उन्होंने कभी यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है, मैं यह महसूस करता हूं कि अगर चीन का हमला न होता तो वह इससे कहीं महान् नेता के रूप में मरते और १०-५ साल और जीते। उन्हें इतना धक्का पहुंचा कि उनका जीवन इतना छोटा हो गया उसके बाद।

इन तमाम चीजों के होते हुए भी अगर आज के नेता यह नहीं सोच पाते कि देश को कहां ले जाना है, देश कहां जा रहा है, कितनी मुसीबतें हमारे सामने आ रही हैं तो उनके लिये क्या कहा जाय? यह हमारी सरकार के कारण ही है कि आज हमारा संसार के अन्दर कोई दोस्त नहीं रहा, हम आज किसी के साथी नहीं बन पाये। चायना हमसे नाराज, पाकिस्तान कभी दोस्त हो नहीं सकता जिसने बटवारा किया भारतमाता का। बर्मा हमसे नाराज, सीलोन हमसे नाराज है एक-एक करके सब हमसे अलहदा होते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि कमजोर का कोई साथी नहीं होता, ताकतवर के सब साथी हुआ करते हैं। जिस भारत के अन्दर ताकत की जरूरत थी, मजबूती की जरूरत थी वह लाना हमारे कांग्रेसी नेताओं का फर्ज था, इन लोगों का काम था। लेकिन, श्रीमन्, ये जिन हालात में अपने आपको देख रहे हैं और जिन चीजों में ये फंस कर रह गये उनके लिये मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करके नरम शब्दों में ही कहूंगा कि इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। इससे देश का मनोबल नहीं बढ़ेगा। आपने देखा सन् ६२ में, एक अरब रुपया इकट्ठा हो गया था, वैसे एक अरब रुपया क्या चीज है, पर श्रीमन्, देखना यह है कि उससे देश का कितना मनोबल बढ़ा है। गरीब ने एक पैसा ही दिया उसने समझा कि मैंने भी देश में एक आहुति दी है। फ्रंट पर लड़ने वालों के लिये यह एक हौसला था। उनके लिये कोई चने देता था, कोई रोटी देता और कोई कुछ ही देता था। लड़ने वाले सिपाही भी समझते थे कि हम मरने जा रहे हैं पर वे अपने मन में यह भी समझते थे कि जनता की सद्भावनायें हमारे साथ हैं।

श्रीमन्, आपने देखा अब ८ तारीख को हमला हुआ। पाकिस्तान ने, जिसकी आबादी केवल ९-१० करोड़ की है, ४४ करोड़ की आबादी वाले हमारे मुल्क पर हमला करने की हिम्मत की। वे जानते हैं कि हमारे अन्दर कितनी कमजोरियां हैं। हमारे नेताओं ने जनता के मनोबल को ऊंचा उठाने के बजाय नीचा ही किया है। आप देख रहे हैं श्रीमन् कि जनता आज दुखी है। पाकिस्तान आगे बढ़ता चला जा रहा है, पर जनता सरकार पर विश्वास नहीं कर रही है। श्रीमन्, आपने देखा कि दो वर्ष या तीन वर्ष पहिले सन् ६२ में क्यों इकट्ठा तूफान उठा था चीन के खिलाफ। आज वह तूफान देश के अन्दर नजर नहीं आ रहा, आज वह उत्साह नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस वक्त लोग अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं तो वे दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे देश का क्या होगा। लेकिन उनकी मजबूरियां ऐसी हैं कि अगर वे कुछ कहते हैं तो देशद्रोह सिद्ध होता है। कहें तो भी किससे। वे जानते हैं और समझते हैं कि जिन नेताओं के कारण हमारे देश की यह दुर्दशा हुई है उन पर कितने दिन और विश्वास किया जाय, जनता यही पूछना चाहती है। इन तमाम चीजों का कारण क्या है? जब तक पंडित नेहरू रहे, उन पर जनता को श्रद्धा थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद हमारे सामने कोई नेता बाकी नहीं बच गया कि जिन पर श्रद्धा की जाय। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि एक होटल का उद्घाटन करने के लिये दो अढ़ाई लाख रुपया खर्चा हो जाता है। तमाम पुलिस पीछे लग जाती है। श्रीमन्, अभी इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य माननीय ए० पी० जैन, केरल के गवर्नर बन गये हैं। एक तरफ देश पर हमला हो रहा है और वहां दावतें उनके

लिये बड़े ठाठ-बाट से होती हैं । दूसरी तरफ देखिये, कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन है, सिर फुटौव्वल होता है लेकिन उसके बाद दावतें होती हैं । देश की हालत यह है कि पाकिस्तान हमला किये हुये हैं । जनता कैसे विश्वास कर ले । लोग भूखों मर रहे हैं, ब्लेक मारकेटियर्स ब्लैक मारकेटिंग कर रहे हैं, उनके लिये तो कोई डी० आई० आर० नहीं है, लेकिन श्रीमन्, आपने बिजनौर का किस्सा सुना कि वहां एक व्यक्ति ने देश प्रेम में उत्साहित होकर अपना एक कीमती रिवाल्वर देश के लिये दान कर दिया जिसे वहां के एस० डी० एम० ने अपने लिये ५०० रु० में खरीद लिया । जब उसकी शिकायत हुई तो उस आफिसर को पकड़ कर डी० आई० आर० में बन्द कर देना चाहिये था लेकिन यह नहीं किया गया । लेकिन जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी उसको रेंट कंट्रोल आर्डर को लेकर बन्द कर दिया गया । ऐसी हालत में जनता किस तरह से आपका साथ दे सकती है और आपका विश्वास कर सकती है, श्रीमन्, आप यहां सदन में देखते ही हैं कि माननीय गृह मंत्री किस तरह से प्रश्नों का जवाब दिया करते हैं । जनता का इस सदन के ऊपर लाखों रुपया खर्च होता है और वह यहां से कुछ कुछ उम्मीद लगाये बैठी रहती है लेकिन जिस तरह से यहां जवाब दिया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए हम जनता से कैसे कहें कि वह आपका साथ दे । लेकिन इसके बावजूद भी जनता भारतवर्ष को अपनी मातृभूमि समझती है और उसके लिये वह कट मरने को तैयार है और जब मौका आयेगा तो वह उसी रास्ते पर चलेगी, उससे पीछे कभी नहीं हटेगी ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शारदा भक्त सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके अन्दर जो उनकी भावना है उसका मैं स्वागत करता हूं । मान्यवर, वैसे मेरा कोई विचार इस विवाद में पड़ने का नहीं था मगर मैं बड़ा परेशान था जब कि मैंने माननीय मायर जी के भाषण को सुना कि क्या प्रस्ताव था और क्या उनका भाषण था । उनका प्रस्ताव यह है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो इनवेस्टमेंट हुआ उस इनवेस्टमेंट के मुकाबले जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया है उसके मूल्यांकन के लिये एक कमेटी बैठायी जाय । इस संबंध में यह सुझाव देने की बात थी कि जो हमारे सीमित साधन हैं उनका अधिक से अधिक फायदा उठा कर हम जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये देश के अन्दर ऐसे काम करें जिससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत हो सके । लेकिन उन्होंने चीन और पाकिस्तान के हमले का जिक्र किया और सीलोन और बर्मा की नाराजगी की बात भी कह डाली । मैं नहीं समझ सका कि सीलोन और बर्मा की नाराजगी का इस प्रस्ताव से क्या संबंध था । मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता लेकिन अगर इस बात को मान भी लिया जाय कि बर्मा और सीलोन को हमसे नाराजगी थी और उसका कारण हमारी सरकार की विदेश नीति है, तो अगर विदेश नीति में कोई त्रुटि भी हो तो उसके विवाद के लिये यहां कोई स्थान न होकर पार्लियामेंट में है । उनके कहने के अनुसार मालूम होता है कि पाकिस्तान ने इसीलिये हमारे ऊपर हमला किया कि हमारी सही योजना नहीं थी । मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान ने यू० पी० की पंचवर्षीय योजना को इतनी माइनुटली पढ़ा और नाराजगी की वजह के बजाय यू० पी० के उसने कच्छ के ऊपर हमला कर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि आदमी को जो कोई बात कहनी हो तो मानसिक संतुलन को कायम रख कर ही कहना ठीक होता है । मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि इस विषय का प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं था फिर भी उन्होंने कच्छ आदि का जिक्र किया । चीन के हमले की बात भी उन्होंने कही जो बहुत पुरानी पड़ गयी, यद्यपि आगे उसका खतरा है । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी बनाये रखनी चाहिये और जनता के मनोबल को नहीं गिरने देना चाहिये । क्योंकि अगर जनता में मनोबल नहीं होगा तो राष्ट्र कभी खड़ा नहीं हो सकता । ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं । जबकि पाकिस्तान ने हमारे देश की दो चौकियों पर कब्जा कर लिया है । जबकि आज आवश्यकता इस बात की है, कि मान लीजिए हममें कमजोरियां हैं, हजार कमियां हैं, लेकिन यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सारे देश और राष्ट्र का सवाल है और आज तमाम पोलिटिकल पार्टीज का फर्ज है कि कोई आपसी मतभेद भी

[श्री नवलकिशोर]

है तो उसको भुला कर एक ही बात का एलान करें और एक ही बात सोचें कि किस प्रकार राष्ट्र को मजबूत रखा जाय और मुझे खुशी है कि एक प्रस्ताव आज इस प्रकार का पास हुआ भी है इस सदन में।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आज आवश्यकता इस बात की है कि सब लोग इसका एलान करें और हम तमाम कमजोरियों के बावजूद भी जो भी सीमित साधन हमारे पास हैं चाहे प्रदेशीय, चाहे केन्द्र के अन्दर, हम सब ४४ करोड़ इन्सान जो हमला पाकिस्तान से हुआ है और जो आगे चल कर और भी गम्भीर रूप धारण कर सकता है, उसका कोई अन्दाजा हमको नहीं है, उसका मुकाबिला करें। ऐसे समय में यह कहना कि हम बड़े कमजोर हैं, हम इतने नीचे गिर गये हैं क्योंकि माननीय मायर साहब मानेंगे कि यह मीटिंग कोई कैमरा में तो हो नहीं रही है, तो वैसे मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं लेकिन जो भाषण उन्होंने दिया वह कोई जनता के मनोबल को ऊंचा करने वाला नहीं है। कभी-कभी राष्ट्र में ऐसा समय आता है जब सभी पार्टियां अपने आपसी विरोधों को भुला कर देश के हित में एक ही आवाज उठाती हैं। आज वह वक्त आ गया है। आज पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर हमला किया है, जो चीन की फौजों का जमाव बढ़ता जाता है, आसाम के अन्दर पाकिस्तानियों की घुसपैठ चल रही है, नागालैंड में जो स्थिति है वियतनाम में जो स्थिति है, यह सब इस बात के लक्षण हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्थिति काफी संगीन है, गम्भीर है और भयंकर है। ऐसी स्थिति के अन्दर जिस प्रकार का विचार हमको रखना चाहिए, मुझे इस बात का दुख है, मैं आक्षेप उन पर नहीं करता, इस प्रकार के विचार हमारे सामने नहीं आये। मान्यवर, इससे ज्यादा मैं इस प्रश्न पर नहीं कहूंगा।

अब जो शारदाभक्त सिंह जी का प्रस्ताव है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुछ भाइयों ने इस बात को साबित करने की कोशिश की, यद्यपि उनके प्रस्ताव में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यह साबित करना चाहा कि इन पन्द्रह सालों में हमने कुछ किया ही नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। दो तीन तरीके हैं इसको देखने के। अगर आप ५१ से लें तो मैं इस बात को मान लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम कम से कम नहीं बढ़ी जब कि हिन्दुस्तान में ऐज ए होल में बढ़ी है। यह बात सही है और उसके मैं कारण भी बताऊंगा लेकिन अगर आप नेशनल इनकम देखें तो १९५०-५१ में वह १ ४६८ करोड़ थी, १९५६ में १ ६१५ करोड़ हो गई। १९६०-६१ में १ ७१० करोड़ हो गई और १९६५-६६ के अन्त तक वह २ १०१ करोड़ तक पहुंच जायगी। यह इस बात को साबित करता है कि नेशनल इनकम बढ़ी है लेकिन आबादी भी बढ़ गई लिहाजा फी व्यक्ति की इनकम अपनी जगह पर स्टैटिक हो गई। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है वैसे क्योंकि २३२ से बढ़कर २५५ हो गई। लेकिन यह बढ़ोत्तरी कोई ज्यादा खुशी की बात नहीं है। (व्यवधान) वह कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ गई तो वह तो दूसरा ईश्यू हो गया। इसके दो तीन कारण हैं। एक तो यह कि जैसा मैंने कहा कि आबादी भी उसी अनुपात में बढ़ी। यद्यपि आबादी का अनुपात सारे हिन्दुस्तान में हमारे अनुपात से ज्यादा है लेकिन फिर भी उन लोनों ने प्रोग्रेस किया है। एक वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में ८७ प्रतिशत आदमी देहातों में रहते हैं और खेती के ऊपर उनका सारा दारोमदार है। सारे हिन्दुस्तान का एवरेज ७० फीसदी है और उत्तर प्रदेश का मान्यवर, ७४.२ परसेंट है और यह मोटी बात है कि जिस प्रदेश में जितनी ही अधिक आबादी कृषि के ऊपर अवलम्बित होगी उतनी ही उस प्रदेश की परकैपिटा इनकम कम होगी। समृद्धि में वह आगे बढ़ नहीं पायेगा। उसके लिए एक ही तरीका है कि वहां उद्योग धंधों का और कल कारखानों का विकास किया जाय। उसी से हम

आगे बढ़ सकेंगे और यह बात सही है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो हम इन उद्योगों के बारे में कुछ कर ही नहीं सके, दूसरी में शुरुआत की ओर तीसरी में जरूर कुछ कदम आगे बढ़ाया है।

दूसरी बात मैं इन्वेस्टमेंट की कहता हूं पब्लिक सेक्टर में उत्तर प्रदेश में ४२४ करोड़ था फर्स्ट प्लान में और थर्ड प्लान में ६२० करोड़ है सेकेन्ड प्लान की मेरे पास फीगर्स नहीं हैं और प्राइवेट सेक्टर में ३०० करोड़ और ३८० करोड़ इन्वेस्टमेंट रहा है। यह भी साबित करता है इस बात को कि इसमें बढ़ोत्तरी हुई है। यद्यपि इस प्रदेश की जो बढ़ी हुई आबादी है, उसके अनुपात में यह नहीं बढ़ा है। परकैपिटा इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, फर्स्ट प्लान में, सारे सूबों का ४० रु० फी आदमी था। उत्तर प्रदेश का २४ था। दूसरी योजना में जहां सारी स्टेट्स का ५२ था, वहां उत्तर प्रदेश में ३४ था और तीसरी योजना में और स्टेट्स का अब ९२ है, तो उत्तर प्रदेश में ६८ है।

एक सदस्य—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, मैं परकैपिटा इन्वेस्टमेंट बता रहा था। उत्तर प्रदेश का परकैपिटा डेवलपमेंट इक्सपेंडीचर जहां ५१-५२ में ५.८२ पर कैपिटा था, वह ६५-६६ में ३३.५२ हो गया है और फर्स्ट प्लान का अगर टोटल लें, तो ४३.५९ था और दूसरी योजना में ७२.५१ तथा तीसरी योजना में १३६.८ हो जाने की उम्मीद है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि प्रगति हुई है। माननीय मायर साहब किसी क्षेत्र को ले लें, शिक्षा में स्कूलों की तादाद बढ़ी है, चाहे वह हायर सेकेंडरी स्कूल हों, कालेजेज, डिग्री कालेजेज या विश्वविद्यालय हों। लड़कियों की शिक्षा भी बढ़ी है। तकनीकी शिक्षा का भी यही हाल है। माननीय मायर साहब ने टीचर की बात छेड़ दी। यह बात मैं मान लूं कि टीचर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी वे उम्मीद करते हैं, मगर यह बात भी सही है कि पिछले सालों में निरन्तर उनकी स्थिति सुधारने की चेष्टा की गई है। उन्होंने कहा साइंस टीचर्स नहीं हैं। हमने साइंस की मान्यता में ढील दे दी है ताकि अधिक से अधिक साइंस के अध्यापक मिलें। एच० टी० सी० और जे० टी० सी० इन्स्टीट्यूट्स की तादाद बढ़ रही है। यह बात सही है कि जब इतनी बड़ी तादाद में स्कूल्स खुलेंगे, तो टीचर्स की भी कमी होगी। इसलिये यह कहना कि कुछ नहीं हुआ सही नहीं है। ट्यूबवेल्स को लें या सिंचाई के अन्य साधनों को लें, उन सब में प्रगति हुई है। एक बात आप कह सकते हैं कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके अनुरूप हल प्राप्त हुआ है या नहीं, इस पर दो रायें हो सकती हैं। मैं मानता हूं कि कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अनुरूप हमें प्राप्तियां नहीं हुई हैं और यही एक वजह है, जो इन्फ्लेशन होता है। अगर हम जितना इन्वेस्टमेंट करें, उतना ही प्रोडक्शन हो जाय तो इन्फ्लेशन नहीं होता है। इन्फ्लेशन तभी होता है, जब प्रोडक्शन कम होता है और मारकेट में पैसा ज्यादा होता है।

यह बात कही गई कि इसका मूल्यांकन नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है। मूल्यांकन हुआ है और मुझे याद है कि जब तीसरी योजना का ड्राफ्ट सदन में पेश हुआ था, तो उसके दूसरे और तीसरे चैप्टर्स में पहली और दूसरी योजना का कम्पलीट इवैल्यूशन करके यहां पेश किया गया था और मैं समझता हूं शायद उससे ज्यादा ईमानदाराना इवैल्यूशन कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी, जिसने अपने अचीवमेंट्स और फेल्योर्स को यहां पेश कर दिया। एक बात अपनी जगह सही है कि केन्द्र से पहली प्लान में जितना हमको पैसा मिला वह बहुत कम था, दूसरे प्लान में भी काफी कम था। यह सही है कि तीसरे प्लान में काफी पैसा मिला। लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है कि यदि इसकी

[श्री नवलकिशोर]

प्रगति को बढ़ाना चाहते हैं, तो जब तक पापुलेशन को बेस बनाकर केन्द्र से सहायता नहीं मिलेगी, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। केन्द्र का कहना है कि आपने कुछ नहीं किया और दूसरी स्टेट्स आप से आगे बढ़ गईं, इसलिये जिन्होंने जितने साधन प्राप्त किये हैं, उनको उतना ज्यादा देते हैं। तो यह एक कोढ़-सी बन गई है। जब हम एक दफा पिछड़ गये हैं, तो पिछड़ते जाते हैं।

प्रस्तावक महोदय का कहना है कि एक कमेटी बनाई जाय। बहुत दिनों से यह मांग थी कि प्रदेश में एक प्लानिंग कमीशन बन जाय जिसका मैं भी समर्थक हूं। यों तो हमारे स्टडी ग्रुप्स हैं, जिन्होंने अपनी सिफारिशें दी हैं और उन सबको एक जगह कम्पाइल करके प्लान बना देते हैं मगर मेरा मतलब प्लानिंग कमीशन से यह है कि उसके दो हिस्से हों, एक तो प्लान बनाये और दूसरा हिस्सा प्लान का इवैल्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन को साथ-साथ देखता रहे। मैं जानता हूं कि प्रदेश में एक डाइरेक्टरेट आफ इवैल्यूशन बनाया गया है, जो हमारी प्राप्तियों का मूल्यांकन करता रहे। मगर फिर भी मान्यवर, जिस प्रकार से नेशनल प्लानिंग कमीशन काम करता है देहली के अन्दर उसका एक तरीका है, उसमें नान-आफिशियल्स भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं और यह दोनों मिलकर देखते हैं कि देश की क्या आवश्यकता है, विशेषज्ञों की क्या राय है, इस तरह उनका एक सामंजस्य हो जाता है। और उसी आधार पर काम होता है। इसी तरह से प्रदेश में भी एक प्लानिंग कमीशन बनना चाहिये जिसमें नान-आफिशियल्स और इक्सपर्ट्स हों। यों तो प्रदेश की आवश्यकता के हिसाब से प्लान आज भी बनता है मगर एक कांस्टेंट वाच के साथ जो निरीक्षण होना चाहिये वह अभी नहीं है। यह चीज प्लानिंग कमीशन द्वारा ही हो सकती है। माननीय शारदा बक्श सिंह के प्रस्ताव की यही मंशा थी, इसमें यह सवाल नहीं था कि हमने ज्यादा किया या कम किया, वह चाहते हैं कि जो कुछ हमने किया है उसका इवैल्यूशन हो, मेरी समझ में यह बहुत ही इन्नोसेंट बात है। यह बात सही है कि सरकार ने एक डाइरेक्ट्रेट आफ इवैलूयेशन बना दिया है मगर मैं फिर भी कह सकता हूं कि केवल सरकारी कर्मचारियों से ही आप इवैलूयेशन कराना चाहते हैं, तो अच्छी तस्वीर हमारे सामने नहीं आने वाली है। मैं चाहता हूं नान-आफिशियल एलीमेंट भी हो और जो विशेषज्ञ, प्रोफेसर्स या रिसर्च स्कालर्स हैं, वे लोग भी अपना काम करें जिससे योजना बनाने में और उसको कार्यान्वित करने में सुविधा रहे। बहुत सी बातें और कही गईं, जिनसे इसका संबंध नहीं था।

मैं केवल एक बात मायर साहब के लिये कहना चाहता हूं, जहां तक प्रस्ताव है मैंने खुद कहा, इसके अन्दर कोई ऐसी बात नहीं दिखाई पड़ती, जिसमें कोई बहुत बड़े मतभेद की बात हो। कमेटी बन जाय, कमीशन बन जाय। सरकार कहेगी कि हमने डायरेक्टर बना दिया है। लेकिन यह बात अपनी जगह पर सही है कि जो भी कुछ आपने किया है, उसका मूल्यांकन होना चाहिये। सही स्थिति का ज्ञान होना चाहिये। अंधेरे में रहने से काम नहीं चल सकता। लेकिन उधर से पार्टी के चुनाव की बात कही गई, श्री जैन की दावत की बात कही गयी, मगर ये कोई गंभीर और गहरे तर्क नहीं हुये। हां, यह चीज प्रशंसनीय होती अगर आज ही मायर साहब इस बात का ऐलान करते कि वे आज से किसी दावत में ना जायेंगे और किसी मीटिंग में भी अगर चाय आयेगी भी तो आप उसको न पियेंगे। लेकिन मेरी नजर में इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। इंगलैंड में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी लेकिन कभी इस बात पर नहीं लड़े कि एक कप चाय पी जाये या नहीं।

चीन का जब हमला हुआ तो हम उस संकट के समय में जाग गये थे, बीच में कुछ शिथिल हो गये थे अब फिर इस हमले ने हमको जगा दिया है। लेकिन मेरी समझ में वह मायूसी की बात नहीं आयी, जो माननीय सदस्यों में से किसी किसी के भाषण से मुझे सुनने को मिली। अमेरिका ने पाकिस्तान से कह दिया है कि आपको जो हथियार दिये हैं वे कच्छ की खाड़ी में जो लड़ाई हो रही है वह आत्मरक्षा की डैफीनीशन में नहीं आती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि हम एक इंच जमीन न छोड़ेंगे और यह संघर्ष तभी खत्म होगा जब कि

पाकिस्तान एग्रेशन को कप्लीटली वैकेट कर देगा। हिन्दुस्तान की फौजों ने भी बड़ी वीरता का परिचय दिया है। पाकिस्तान के टैंकों को नष्ट कर दिया है, दुश्मन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। मैं तो यह समझता हूं कि इस समय अपोजीशन पार्टीज को अपोजीशन छोड़ कर एक नेशनल पार्टी बनाना चाहिये, और सब को मिल कर एक होकर खड़े हो जाना चाहिये। अपोजीशन पार्टी को नुक्ताचीनी छोड़ कर और इस चीज को छोड़ कर कि फला गवर्नमेंट या पार्टी निकम्मी है, राष्ट्रीय एकता कायम करने में सहायक होनी चाहिये। देश बचता है तो सब बचते हैं और अगर देश नहीं बचता है तो कोई नहीं बचेगा। विरोधी पक्ष को, जो काम अच्छा हुआ है, उसकी ईमानदारी के साथ सराहना करनी चाहिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

उनको आगे ले चल सकने की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री नवलकिशोर---

जब किसी गांव में आग लगती है कोई नहीं पूछता कि पानी लाने की किसकी जिम्मेदारी है। सब दौड़ पड़ते हैं। इसी प्रकार यद्यपि सरकार की जिम्मेदारी तो है ही लेकिन विरोधी पक्ष वालों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। इसलिये मैं एक बार फिर यह चाहूंगा कि तमाम विरोधी पार्टियां कंधे से कंधा मिला कर सरकार के साथ खड़ी हो जायं और मतभेदों को भुलाकर संकट का सामना करें। अतः हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ खड़े होकर काम करना चाहिये।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शारदाभक्तसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने और योजनाओं की विफलताओं और उन विफलताओं के कारणों पर प्रकाश डालने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहिले कि मैं कुछ बात कहूं, मैं आपकी अनुमति से केवल इस सदन के माननीय सदस्यों की यादगार ताजा करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के हमारे क्या लक्ष्य हैं, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि :

"To secure rapid economic growth and extension of employment reduction of disparities in income and wealth, prev.ntion of, concontration of economic power and creation of the values and attitudes of a free and eq al society,"

मैंने इसको इसलिये भी पढ़ा कि इससे अच्छे लक्ष्य लिखे नहीं जा सकते किसी योजना के और जब हम या हमारा दल योजना का विरोध करता है तो हम इन लक्ष्यों का विरोध बिलकुल नहीं करते और अगर उनसे हम शतप्रतिशत सहमत हैं और हमारी यह शिकायत नहीं है कि लक्ष्य गलत निर्धारित किये गये हैं। हमारा कहना यह है कि लक्ष्यों की ओर जिस तेजी से बढ़ना चाहिये था, हम नहीं बढ़ सके। जिस रास्ते को अपनाया गया है उसको अपना कर वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। यह जो लक्ष्य अभी बताये गये कि राष्ट्र की आय की वृद्धि, बेरोजगारी का दूर होना, असमानताओं का कम होना इनमें से एक-एक को लेकर मैं जो उनके नतीजे हैं वह मैं सदन के सामने रखूंगा।

माननीय नवलकिशोर जी ने बड़ी चतुराई के साथ राष्ट्रीय आय के आंकड़े पढ़े लेकिन हमारे जो स्थिर मूल्य हैं उन पर राष्ट्रीय आय के आंकड़े नहीं दिये। बढ़ते हुये मूल्य पर से ही दिये। मेरा निवेदन केवल यह है कि जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है वह बहुत कम है, धीमी है, असन्तोषजनक है। मैं आपकी अनुमति से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित अविकसित देशों की किस गति से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, वह बताना चाहता हूं। ईराक ११.१ प्रतिशत, तुर्की ७.८ प्रतिशत, ग्रीस ६.९ प्रतिशत, फिलिपाइन ६.७ प्रतिशत, बर्मा ५.६ प्रतिशत,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

मेक्सिको ५.५ प्रतिशत, थाइलैंड ५.० प्रतिशत, ब्राजील ४.८ प्रतिशत, पुर्तगाल ३.९ प्रतिशत, घाना ३.८, मिश्र ३.३, भारत ३.३ और लंका २.८ प्रतिशत। इन सारे अविकसित देशों में भारत की आर्थिक प्रगति केवल एक लंका को छोड़ कर सबसे धीमी रही है। मुझे से पहले माननीय झारखंडेराय जो यहां बोल रहे थे और उन्होंने लंका देश का अनुकरण करने का इस सरकार को सुझाव दिया था क्योंकि शायद वह समाजवाद की दिशा में आगे हैं और इस देश में वह समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं इसके लिये उन्होंने सरकार को सहायता दी कि वह उस रास्ते पर चले जिस पर लंका चल रहा है। लेकिन जिस रास्ते पर लंका चला है उसका फल यह है कि संसार की आर्थिक प्रगति की दौड़ में लंका सबसे पीछे है और भारत दूसरे नम्बर पर सब से पीछे है। विदेशों से ही इस स्थिति की तुलना नहीं बल्कि मैं यह भी कहूंगा कि ज्यों-ज्यों हमने समाजवाद को ज्यादा अपनाया है त्यों-त्यों नतीजे खराब सामने आये हैं। मैं पहली, दूसरी और तीसरी योजना के तुलनात्मक आंकड़े सदन के सामने रखूंगा। पहली योजना जो वास्तव में एक योजना नहीं थी बल्कि बृटिश काल के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिये कुछ स्कीमों को एकत्र करके चला गया था और उसको पहली योजना का नाम दिया गया था और उस वक्त समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य नहीं था लेकिन बावजूद इसके कि उस पर धन कम व्यय हुआ लेकिन उसके नतीजे अच्छे आये। राष्ट्रीय आय में १२ प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य था लेकिन उसके मुकाबले में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना में उससे कहीं अधिक ज्यादा धन व्यय किया गया। इस योजना में हमारा लक्ष्य ३० प्रतिशत का था राष्ट्रीय आय में वृद्धि का किन्तु केवल १८ प्रतिशत की वृद्धि ही हो पायी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो पहली योजनाओं में हमने व्यय किया था उससे भी ज्यादा व्यय किया जा रहा है लेकिन लक्ष्य से और भी दूर हो गये, ३० प्रतिशत से १८ प्रतिशत पर आ गये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३० प्रतिशत रखी गयी थी। पहले ३ वर्षों में केवल १० प्रतिशत से कम आय में वृद्धि हुयी है। अगर अगले २ वर्षों की भी १० प्रतिशत मान लें तो ३० प्रतिशत के लक्ष्य में २० प्रतिशत बहुत मुश्किलातों से पहुंच पायेंगे। ज्यों ज्यों हम समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं त्यों-त्यों विफलताएं हमारे सामने आती हैं। इसका मतलब यह है कि मैं समाजवाद की क्या परिभाषा है यह तो नहीं जानता, लेकिन कोई योजना कितना समाजवादी है, इसको मालूम करने का एक ही सीधा साधा रास्ता है और वह यह है कि पूरी योजनाओं पर जितना धन व्यय होने वाला है वह कितने प्रतिशत में पब्लिक सैक्टर में खर्च होगा। जितना अधिक योजनाओं में खर्च होगा उतना ही अधिक समाजवाद कहा जा सकता है। पहली योजना में ४५ प्रतिशत पब्लिक सैक्टर में व्यय हुआ, दूसरी योजना में ५४ प्रतिशत खर्च हुआ और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६० प्रतिशत से ऊपर व्यय होने वाला है। ज्यों-ज्यों पब्लिक सैक्टर में अनुपात बढ़ता गया त्यों-त्यों हमारी योजनाएं विफल होती रहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

हिटलर के समाजवाद में भी सभी व्यय पब्लिक सैक्टर में ही होता था।

श्री भानुप्रतापसिंह--

लेकिन जिस समाजवाद का मैं विरोध करता हूं वह राज्यवाद है। समाजवाद में से अगर राज्यवाद निकाल दिया तो मैं निन्दा करने को तैयार नहीं हूं।

आप राष्ट्रीकरण की बातें कर रहे हैं। इस देश में गलत रास्ते बना रखे हैं। श्रीमन्, यह तो राष्ट्रीय आय की बात है। मैं समझता हूं कि इस बात के काफी प्रमाण हैं कि जिस रास्ते पर, जिन नीतियों पर यह देश चल रहा है उनके कारण यह अविकसित देशों की तुलना में भी सबसे पीछे रह गया है।

बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में ५० लाख बेरोजगार थे। दूसरी योजना के अन्त में उनकी संख्या ९० लाख हो गयी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के

अन्त में यह अनुमान है कि १ करोड़, २० लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे। ज्यों-ज्यों योजनाओं पर अधिक धन व्यय होता है त्यों-त्यों बेरोजगारी इस देश में बढ़ती जाती है। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि यह बेरोजगारी आबादी बढ़ने के कारण ज्यादा होती है। आबादी केवल हिन्दुस्तान की ही नहीं बढ़ी है दुनिया के सभी देशों की बढ़ी है। हिन्दुस्तान की आबादी तेजी से नहीं बढ़ गयी। जो संसार का औसत है उसी हिसाब से यहां की भी आबादी बढ़ी है। यदि देश की सीमित पूंजी का सही उपयोग हो तो बेरोजगारी नहीं बढ़ सकती है। वह एक फारमूला बतलाते हैं जिससे आबादी बढ़ रही है। यदि उसका ४ गुना राष्ट्रीय आय की बचत योजनाओं, में, नये नये कामों में लगाते रहें तो देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ सकती है। हमारी आबादी २.२ प्रतिशत के बीच में बढ़ी ५१-६१ के बीच में। इसका मतलब यह हुआ कि २.२ का चौगुना ८.८ राष्ट्रीय आय का बचत के रूप में हम अपनी योजनाओं में लगायें तो बेरोजगारी नहीं बढ़ सकती है। यह माना जाना सिद्धान्त है। लेकिन इस ८.८ प्रतिशत आय को लगाने की तुलना में हमने १२.६ प्रतिशत लगाई, डयोढ़े से ज्यादा हमने बचत पूंजी लगाई, लेकिन हमारी बेरोजगारी घटने के बजाय निरन्तर बढ़ती जा रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि जो सीमित पूंजी देश के पास है उसका दुरुपयोग हो रहा है। संभव है, उधर के बैठने वाले कुछ मित्र दावा करें कि हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं कर पाये, हम बेरोजगारी दूर नहीं कर पाये परन्तु हमने गरीब और अमीर का अन्तर कम किया और हमने सामाजिक न्याय इस प्रदेश में स्थापित किया। मैं एक बात फिर दोहरा देना चाहता हूं कि अगर इसमें भी हम सफल हुए होते तो इनकी सारी त्रुटियों को क्षमा किया जा सकता था लेकिन इन योजनाओं के फलस्वरूप जिन्हें समाजवादी योजनायें कहा जाता है गरीब और अमीर का अन्तर कम नहीं हुआ है, बढ़ा है इसको मैं साबित कर सकता हूं। इस विषय में एक कमेटी नियुक्त हुई थी, महालनवीस कमेटी। वह तथ्यों को सामने रखने का साहस नहीं कर सकी। कमेटी के सदस्यों में झगड़ा हो जाता है क्या प्रकाशित किया जाय, क्या न प्रकाशित किया जाय? इस प्रकार से हमारे पास कोई अधिकृत आंकड़े नहीं है लेकिन मैं कुछ ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं की खपत के आंकड़े उपस्थित करना चाहता हूं जिससे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि गरीबों की इस देश में दशा सुधरी नहीं है। यह सभी को मालूम है कि इस देश के औसत नागरिक को भरपेट भोजन नहीं मिलता और जब भोजन भर पेट नहीं मिलता तो नतीजा यह निकलता है कि अगर आमदनी बढ़ी होती तो भोजन पर ज्यादा खर्च किया जाता और ज्यादा भोजन मिलता। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिये १९ औंस अन्न आवश्यक बतलाया जाता है। जेल का राशन भी १६ औंस पर निश्चित किया गया है लेकिन हमारे देश के औसत नागरिकों को जो विदेशों से गल्ला आता है उसे भी मिला कर पिछले दस वर्षों में जो अन्न मिला है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

| | |
|---|---|
| १९५५ में १५.६ औंस | १९६० में १५.८ औंस |
| १९५६ में १५.२ औंस | १९६१ में १६.४ औंस |
| १९५७ में १५.७ औंस | १९६२ में १६.३ औंस |
| १९५८ में १४.४ औंस | १९६३ में १५.२ औंस |
| १९५९ में १६.४ औंस | १९६४ में १५.७ औंस |

इन १० वर्षों के अन्दर अधिकतर हमारे नागरिकों को राशन जेल के कैदियों से भी कम मिला है और उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। यदि जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा होता तो उसका पहला प्रमाण था कि अन्न की अधिक खपत हमारे सामने आती लेकिन ऐसा नहीं हुआ। १९५५ में वह १५.६ औंस थी १९६४ में वह १५.७ औंस ही रह गयी।

जीवन की दूसरी सबसे आवश्यक वस्तु वस्त्र है। यदि वस्त्र की खपत बढ़ती तो भी मैं समझता कि जनसाधारण का जीवन स्तर कुछ ऊपर उठा है लेकिन उसके भी आंकड़े आपकी

[श्री भानुप्रतापसिंह]

अनुमति से प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् ५५ में प्रति व्यक्ति १४.६३ मीटर खपत थी वहां ६३ में भी वह उतनी ही रह गयी। प्वाइंट एक मीटर की भी वृद्धि नहीं हुई। अन्न, कपड़े के आंकड़े देकर मैं साबित यह बात कर सकता हूं कि जीवन स्तर ऊंचा नहीं हुआ पिछले १० सालों में। निवास की तीसरी आवश्यकता है। उसके आंकड़े मैं नहीं दे सकता लेकिन मैं जानता हूं कि प्रत्येक सदस्य इसको स्वीकार करेगा कि निवास की स्थिति जो आज है वह पहले जैसी अच्छी नहीं है, बदतर ही हुई है। अब इसकी तुलना में आप देखें कि उन चीजों की खपत जिनको सम्पन्न व्यक्ति व्यवहार करते हैं, किस तेजी से बढ़ी है। पिछले १० वर्ष में बिजली के लैम्पों का उत्पादन २.९ गुना बढ़ा, बिजली के पखों का उत्पादन ५.१ गुना बढ़ा, रेडियो का ५.९ गुना बढ़ा, सिलाई मशीनों का ९.६ गुना बढ़ा और रियान तागे का १९ गुना बढ़ा है। उत्पादन और खपत में कई गुना की वृद्धि हुई है। मोटर गाड़ियों की स्थिति तो यह है कि देश में जितने कारखाने हैं और जितनी मोटर गाड़ियां वह अगले ५ वर्षों में बनायेंगे उसके लिये भी रजिस्ट्रेशन अभी से हो जाता है। लोग मोटर गाड़ी खरीदने के लिये इतना लालायित हैं कि पहले से ही अपने नाम गाड़ी रजिस्ट्रर्ड करवा लेते हैं। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं, ऐसे गरीब देश में जहां भरपेट भोजन न मिलता हो, तन ढ़कने को कपड़ा न मिलता हो, उस देश में अगर अन्न और कपड़े की खपत न बढ़कर मोटरों, रेडियों और रैफ्रीजेटरों की खपत बढ़ती है तो उसका एक ही नतीजा निकाला जा सकता है कि गरीबों की हालत नहीं सुधरी है। जो कुछ भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है वह कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में सिमिट कर रह गयी है।

जो यह दावा करते हैं कि हमने अमीर और गरीब का अन्तर दूर किया है वह सर्वथा निर्मूल है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। अब प्रश्न है कि यह सब क्यों? श्रीमन्, हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि आप कोई उपाय बताओ, लेकिन यह हमारी बात तो मानेंगे नहीं, किन्तु जब देश के लोग मानेंगे तो उनको भी मानना पड़ेगा। सभी योजनाओं के पीछे जो चीज है, जो स्ट्रेटेजी है, उसी का यह नतीजा है कि गलत परिणाम हमारे सामने आये हैं। स्ट्रेटेजी किस प्रकार से गलत है, इसको बताने से पहले मैं एक बुनियादी बात निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि केवल पूंजी लगाने पर निर्भर नहीं करती। इस सदन में बार बार यह कहा जाता है कि हमको टैक्स लगाने दो, किसी प्रकार से धन एकत्रित करने दो तो यह दावा हमेशा होता है कि यदि हमें जनता से टैक्स आदि रूप में धन प्राप्त हो जाय तो हमारा विकास बड़ी तेजी से हो सकता है। माननीय नवलकिशोर जी ने भी यही रोना रोया कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के लिए हमें केन्द्रीय सरकार से वांछित और हमारी मांग का धन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम विकास नहीं कर सके। मैं कहता हूं कि यह बात मिथ्या है। विकास के लिए पूंजी चाहिए, लेकिन केवल उसी के ऊपर हमारा विकास निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि पूंजी का उपयोग किस प्रकार हुआ। जिन कामों में पूंजी लगाई गयी है, उसकी उत्पादकता क्या है, इसे देखना है। उत्पादकता उस अनुपात को कहते हैं, जो पूंजी लगायी गयी उससे कितनी निकासी हुई यानी वार्षिक आय में वृद्धि कितनी हुई। इन दोनों के बीच जो अनुपात होता है, उसे उत्पादकता कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी कार्य में ३ रुपये की पूंजी लगायी गयी और उससे निकासी यानी वार्षिक आय में वृद्धि १ रुपया प्राप्त की जाय तो उस कार्य के लिए पूंजी की उत्पादकता १/३ कही जायगी। श्रीमन्, राष्ट्रीय आय में वृद्धि वास्तव में लगाई जाने वाली पूंजी का उत्पादकता से गुणा किया जाय तो उसका नतीजा निकल आता है। तो उत्पादकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कांसिड्रेशन होना चाहिए। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों इन प्लान की स्ट्रेटेजी गलत है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो धन विभिन्न कार्यों में लगाया गया, उनकी उत्पादकता के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। श्रीमन्, और चीजों के विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूं केवल कृषि और बड़े उद्योगों की उत्पादकता और उनके फलस्वरूप जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, उसको बताना चाहता हूं। पहली योजना में हमारा

कृषि पर पूंजी विनियोग १,२०० करोड़ रुपये था, जिससे प्वायन्ट ८६ उत्पादकता हुई और राष्ट्रीय आय में १,०३७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। उसी प्रकार से बड़े उद्योग क्षेत्र में जिसमें सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों सम्मिलित हैं १,९९५ करोड़ की पूंजी पर ३६७ करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई और इस प्रकार इसमें ५ प्वायन्ट १८ की उत्पादकता हुई। और उसकी उत्पादकता कितनी थी .१८ कृषि के ६.१ मुकाबले में। इसके बावजूद आप देखें कि राष्ट्रीय आय में कुल ३३७ करोड़ की वृद्धि हुई। समय की कमी है इसलिए मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि अगर प्राथमिकता जल्दी दी गयी होती जैसा कि कृषि प्रधान देश के लिए आवश्यक था और जितना उद्योग पर खर्च किया गया वह कृषि पर और जो कृषि पर हुआ वह उद्योग पर खर्च होता, यद्यपि मैं इससे इन्कार नहीं करता कि उद्योगों की उपयोगिता नहीं है, वह भी है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से कृषि की अधिक है और यदि इस प्रकार से प्राथमिकता को बदल दिया जाय तो क्या नतीजा आता वह भी मैंने जोड़ा है। कृषि पर १९६५ करोड़ का खर्च होता तो १६ करोड़ की आमदनी में लाभ होता और उद्योग में उस तरह से २१६ करोड़ की और अन्त में नतीजा यह निकलता कि आज जो वृद्धि हुई है उससे ५२८ करोड़ की राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि होती। हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सके होते और खाद्यान्नों में आत्म निर्भर बना सके होते।

श्रीमन्, एक बात और कही जाती है कि महंगाई जो आयी है वह इसलिए कि हमारा देश विकासमान है। विकास का क्या अर्थ है? इस विकास का अर्थ यह है कि हमारे विकास विभाग की वृद्धि हो रही है, कार्यकर्त्ताओं की वृद्धि हो रही है तब तो हम भी कहेंगे कि आज हमारा देश विकासमान है। लेकिन वास्तव में विकास का अर्थ यह है कि जितनी आवश्यकता की चीजें हैं उनके उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो और जब उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होगी तो कभी भी महंगाई नहीं आ सकती है। हमारे देश में तो बहुत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। जर्मनी में १२.३ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है, जापान में १२ / १३ प्रतिशत, इटली में ८ / ९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इतनी तेजी से वृद्धि होने पर जो विकास के लक्षण हैं वहां की कीमतों में १ या २ फीसदी से ज्यादा की वृद्धि नहीं हुई है और कुछ देशों में तो गिरावट भी आयी है। श्रीमन्, हमारे नवलकिशोर जी ने कहा कि यह विरोधी दल के लोग कहते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जरूर कुछ किया है। जो थोड़ी बहुत प्रगति हुई है वह किस मूल्य पर हुई है वह भी मैं बतला देना चाहता हूं। आज यह देश संसार में सबसे अधिक टैक्सों से बोझिल देश है। पहली योजना काल में केवल २,३३७ करोड़ रुपए का टैक्स इस देश में ५ वर्षों के अन्दर वसूल हुआ था लेकिन केवल १९६५ में १ वर्ष के अन्दर २,३५३ करोड़ रुपये वसूल होने वाला है, यानी जो पहली योजना काल में टैक्स का बोझ था उसके पांच गुने से ज्यादा अब हो गया है। दूसरा कमाल जो इसने कर दिखाया है वह यह था कि सन् १९४७ में यह देश महाजन देश था और आज वह सबसे बड़ा ऋणी देश है। ३१ मार्च, ६६ में भारत पर ७,८४१ करोड़ रुपये का कर्ज हो जायगा जिसमें से ५ हजार करोड़ तो देश के अन्दर का है और २७ या २८ सौ करोड़ रुपये का कर्जा विदेशों का है। इस पर सूद और इसके भुगतान में जो रकम देना पड़ी वह इतनी तेजी से बढ़ रही है कि समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से यह देश उससे मुक्ति पा सकेगा। मैं समझता हूं मैंने काफी प्रमाण उपस्थित कर दिए कि जिन लक्ष्यों को लेकर यह योजनायें बनाई गई थीं वह सफल नहीं हुई हैं।

अन्त में माननीय नवलकिशोर जी ने जो अपील की है कि देश पर संकट है और उसमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, मैं उससे सहमत हूं और मैं यह भी कहता हूं कि इस संकटकाल में हम सब को मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं इसका भी हामी नहीं हूं कि देश की योजनाओं से जो गलत नतीजा निकला या जो देश में दुर्व्यवस्था फैली हुई है उसके लिए केवल सत्तारूढ़ दल ही जिम्मेदार है। वैसे जिम्मेदार तो जरूर है लेकन जरा इधर बैठने वाले, विरोधीपक्ष में बैठने वालें भी अपने दिलों को टटोलें कि क्या उनके वहां पर बैठने के लिए आप नहीं जिम्मेदार

हैं ? यदि आप में योग्यता होती, आप में सूझबूझ होती तो वहां वह बैठ नहीं सकते थे। यदि आज देश की हालत बिगड़ी हुई है तो इस कारण से बिगड़ी हुई है कि हम सब मिलजुल कर इस देश को एक अच्छा शासन न दे सके और अच्छा शासन देने की जिम्मेदारी न केवल सतारूढ़ दल पर है बल्कि विरोधीदल के ऊपर भी है। विरोधीदल यदि योग्य होगा और कार्यकुशल होगा तो वह अच्छा संगठन कर सकेगा और तब निस्संदेह वह ऐसी निकम्मी सरकार को निकाल सकता है। इन शब्दों के साथ में पुनः इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शारदाभक्तसिंह जी, जहां तक मेरा विश्वास है वह योजनाओं में बिलकुल विश्वास करते ही नहीं और उनका जो दल है उसने सारे देश में एक आन्दोलन चला रखा है कि हमारे देश में जो यह योजनायें चल रही हैं वह इतनी निकम्मी हैं कि उनमें बिलकुल प्रगति नहीं हो रही है। उनमें केवल कर का भार है, उनमें भ्रष्टाचार है यानी मोटे तौर पर जितनी शिकायतें होती हैं वे सब इन योजनाओं में इन स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के लोगों को दिखाई पड़ती हैं।

श्रीमन्, असल प्रवृत्ति यह है कि कोई भी आर्थिक योजना हो, उसमें यह चीज निहित होती है कि राज्य का नियंत्रण धीमे-धीमे आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता जाता है। कोई भी योजना बनायी जाय, उसका ध्यय होता है कि देश की आर्थिक प्रगति स्वतंत्ररूप से जब चल पाने में असमर्थ दिखाई पड़ती है तो सरकार उसको योजना बद्ध करती है, साधनों पर नियंत्रण करती है और सीमित साधनों से थोड़े समय में नियंत्रण आदि के माध्यम से तमाम देश को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाती है। लेकिन जैसे ही सरकार इस प्रगति की ओर अग्रसर होती है, जो लोग स्वतंत्र व्यवसाय, स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था आदि में विश्वास करते हैं उनको एक बौखलाहट सी मचती है और वह यह स्पष्ट शब्दों में नहीं कह पाते कि नहीं, यह राज्य आर्थिक क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है और आर्थिक क्षेत्र में साधनों पर नियंत्रण करने जा रहा है। इसके हम विरोधी है। स्पष्टतया यह न कह कर यह कहना शुरू कर देते हैं कि सारी आर्थिक कमजोरियों की जड़, विषमताओं की जड़ योजनाएं होती हैं। भानुप्रतापसिंह जी और सभी लोग जो विरोधी हैं वह एक तर्क देते हैं कि योजनाओं से वृद्धि नहीं हुई है राष्ट्रीय आय में और जनता का जीवन स्तर प्रगति की ओर नहीं बढ़ा है। मैं थोड़ी देर के लिए उनके तर्क को मान लेता हूं कि देश में राष्ट्रीय आय या जीवन स्तर में जिस वृद्धि की वह कल्पना करते थे योजनाओं के माध्यम से वह नहीं हुई है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह थोड़ी ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें कि अगर योजनायें बिलकुल ही न हुई होती तो पिछले १०–१५ सालों में जो करोड़ों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जो आर्थिक पेचीदगियां पैदा होती चली गयी हैं, जो युद्ध के वातावरण में हम रह रहे हैं और आर्थिक व्यवस्था वहीं पर रही होती जो सन् १९४५ और ४७ में थी तो देश की जनता का जीवन स्तर या उनकी आर्थिक स्थिति क्या वह रह पाती ? जिस देश में निरन्तर जनसंख्या की वृद्धि हो रही हो, निरन्तर दुनिया भर की राजनीतिक, अन्तर्राष्ट्रीय और भीतरी राष्ट्रीय पेंचीदगियां पैदा होती रही हों, उसकी हवा देश में आ रही हो उसमें अगर विकास का कार्यक्रम बन्द कर दिया जाय तो क्या आप समझते हैं कि इन परिस्थितियों में जनता को वह सूखी रोटियां या आपके कहने के अनुसार टूटे-फूटे घर मिल पा रहे हैं, क्या वह रह सकेंगे ?

श्रीमन्, यह सही है कि कोई भी इस पक्ष का बैठने वाला यह कहने का साहस नहीं करेगा और इमानदारी से कहना भी नहीं चाहता कि जितनी योजनाएं इस देश में चल रही हैं या चलाई गयी हैं उनसे जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि हुई है और सभी लोग बहुत ही सुख के जीवन में पदार्पण कर गये हैं, और न इस प्रकार का कोई दावा किया जाता है। केवल कहा जाता है कि इन आर्थिक योजनाओं के माध्यम से जो कुछ भी हमारी स्थिति है उसमें हम दिन प्रतिदिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रगति करते जा रहे हैं। यह अवश्य है कि उससे संभव है कि जीनव स्तर में जिस प्रकार की आप कल्पना करते हैं वह न हो पायी हो।

मेरे पास कुछ प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो उत्पादन में वृद्धि हुई, राष्ट्रीय आय में राज्य की, उसके सबस लेटेस्ट आंकड़े मौजूद हैं जो कि माननीय सदस्यों को अभी किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। मैं उनके सम्मुख उन आंकड़ों को उपस्थित करना चाहता हूं। भानुप्रताप जी भी नोट कर लेंगे, क्योंकि इनमें कृषि और उद्योग के भी आंकड़े हैं—ये लेटेस्ट हैं।

राज्य की राष्ट्रीय आय में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमश २०.६ तथा ८.९ की वृद्धि हुई है। तीसरी योजना के अन्दर अब तक १८ प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। १८ प्रतिशत राज्य की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने जा रही है। पहली पंचवर्षीय योजना में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य की राष्ट्रीय आय में ही वृद्धि हुई लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई, इसमें योजनाओं की त्रुटियां देखना ठीक नहीं है। योजना की त्रुटियों से ऐसा नहीं हुआ है। पहली योजना में कृषि में ३७.०९ करोड़ रुपया का प्राविधान था जिसमें २७.०१ करोड़ रुपया व्यय हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४४.७३ करोड़ का प्राविधान था और खर्चा ३६.०८ करोड़ का रहा और इसी प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में ८५.८२ करोड़ रुपये का प्राविधान और ११०.१९ रुपये का व्यय हुआ। श्री भानुप्रतापसिंह जी का यह कहना कि योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं, ठीक नहीं है। नहरें बनीं, ट्यूबवैल्स बने, कुंओं का निर्माण हुआ है, इलेक्ट्रिकल डेवलेपमेंट्स भी हुए हैं। यह बुनियाद हो रही है जिससे धीरे-धीरे यहां की जनता प्रगति के पथ पर बढ़ सकेगी। मैं, श्रीमन्, तीनों योजनाओं के आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि श्री भानुप्रतापसिंह जी ने तीनों योजनाओं पर आक्रमण किया है। उद्योग धंधों पर खर्च का प्राविधान और खर्च रुपये का विवरण यह है—

| | | प्राविधान (करोड़ में) | खर्च (करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| प्रथम पंचवर्षीय योजना | .. | ६.३७ | ६.३७ |
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना | .. | १३.१ | १३.६२ |
| तृतीय पंचवर्षीय योजना | .. | ३०.१७ | ३४.८६ |

इसी प्रकार श्रीमन्, तीसरी योजना में ३,७०० फैक्टरियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या ये फैक्ट्रियां निक्कमी हैं, क्या इनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है? भानुप्रतापसिंह जी की कल्पना निराधार है। इसी प्रकार श्रीमन्, कृषि के उत्पादन के आंकड़े भी आप योजनावार देख लें—

| | | लाख टन में | |
|---|---|---|---|
| प्रथम पंचवर्षीय योजना | .. | ११५.८९ | |
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना | .. | १४२.५७ | |
| तृतीय पंचवर्षीय योजना | .. | १५२.०० | अन्न उत्पादन होने की संभावना है। |

इसी प्रकार गन्ना उत्पादन के आंकड़ प्रथम योजना में ३९.३७ लाख टन, दूसरी योजना में ५१.६५ लाख टन थे और तीसरी योजना में भी यही आंकड़े हैं। इसी प्रकार उद्योग के क्षेत्र में सीमेंट

[श्री कृष्णनन्द राय]

का उत्पादन इस प्रकार रहा है। प्रथम योजना में २०४.३ हजार मैट्रिक टन, दूसरी योजना में ३१७ हजार मैट्रिक टन और तीसरी योजना में ४००.८ हजार मैट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन है। इसी प्रकार सीमेंट, चीनी आदि सभी चीजों के आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। श्रीमन्, केवल यह कह देना कि जितनी आर्थिक योजनायें चल रही हैं इनसे विकास नहीं हो रहा है, इससे जनता के जीवन में प्रगति या वृद्धि नहीं हो रही है। यह इसलिये शायद आलोचना की गई है कि देश में जो आर्थिक क्रम चल रहा है उसका मोरल समाप्त हो और एक प्रकार स इसे टारपीडो करने की स्प्रिट सी कही जा सकती है।

अब जरा इस प्रस्ताव को भी देख लें। पता नहीं यह उन्होंने स्वयं ड्राफ्ट किया है या किसी क्लर्क से ड्राफ्ट कराके यहां रख दिया है। इसका स्वरूप ही ऐसा है कि यह स्वीकार नहीं होना चाहिये था। यह स्पष्ट नहीं है। इसमें सुरक्षा, आर्थिक योजनाओं का और कई बातों का प्रश्न है। परन्तु इस प्रस्ताव से इतना भाव जरूर मालूम होता है कि एक कमेटी बना दी जाय जो पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन करे, इस प्रस्ताव के स्वरूप को तो कोई स्वीकार नहीं कर सकता लेकिन जिस राज्य की योजनाओं में सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो, ५०० और १४०० करोड़ रुपया खर्च हो, उन योजनाओं के मूल्यांकन के लिये कोई बात होना जरूरी हो जाता है। सेंटर में कुछ मूल्यांकन हुआ भी था। मैं तो इस बात को मानने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। यहां योजनाओं पर काफी रुपया खर्च हो रहा है। उनका मूल्यांकन जरूर होना चाहिये। चाहे वह किसी ढंग से भी हो, कमेटी बनाकर हो या कोई भी मशीनरी इसके लिये हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

कृष्णानन्दजी ने कहा कि इस प्रस्ताव में बहुत सारी बातें रख दी गई हैं। जैसे उन्हें इसकी कुछ शिकायत है। इतनी बातें इसलिये रखने की जरूरत हुई कि यह सब सरकार के जिम्मे हैं। प्रस्ताव थोड़ा लम्बा जरूर हो गया। हम चाहते यही हैं कि कोई चीज छूटने न पावे। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका बाजार तो भानुप्रतापसिंह जी ने और कृष्णानन्द जी ने बहुत लगा दिया है। एक धेले से लेकर लाखों रुपया की चीज तक का उन्होंने जिक्र करके आंकड़े दे दिये है। मैं तो केवल यह दिखाना चाहता हूं कि जनसाधारण की भावना क्या है। हमारी तीसरी योजना भी करीब-करीब समाप्त होने जा रही है। यह तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि कुछ भी प्रगति नहीं हुई लेकिन, श्रीमन्, मनुष्य के लिये सबसे आवश्यक दो बातें हुआ करती हैं, एक तो अन्न और दूसरा वस्त्र। ये मानव-जीवन की सबसे जरूरी चीजें हैं। जबसे पहली योजना चली तब से अब तक जो स्थिति गल्ले की रही वह यह है कि उस समय सेरों में गेहूं बिक रहा था और अब छटांकों में बिक रहा है। जो गल्ला पहले जितने सेर का बिकता था आज वह उतने छटांक का बिक रहा है। वस्त्रों की हालत भी वही है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप अगले दिन बोलेंगे।

कुंवरश्रीपालसिंह---

श्रीमन्, मुझे ५-७ मिनट का समय और दे दें तो मैं इसे आज ही समाप्त कर दूं, वरना यह तो सत्रावसान के बाद लैप्स हो जायगा, फिर मैं इस पर क्या बोल सकूंगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह नहीं लैप्स होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

# विधान सभा का सत्रावसान तथा आह्वान

श्री उपाध्यक्ष--

महामहिम राज्यपाल के पास से आज दो आदेश आये हैं, उनको पढ़ कर मैं आपके सामने सुना देता हूं ।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद १७४ के खंड (२) के उपखंड (क) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान, उसकी दिनांक ३० अप्रैल, १९६५ के उपवेशन की समाप्ति से करते हैं।

दूसरा है--

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश विधान सभा को २ अगस्त, १९६५ ई० को ११ बजे दिन से विधान भवन, लखनऊ में १९६५ ई० के द्वितीय सत्र के लिये आहूत करते हैं ।

अब हम उठते हैं, २ अगस्त, १९६५ को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २ अगस्त, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३० अप्रैल, १९६५ ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

# नत्थी 'क'

[ देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गततारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ. १००७ पर ।]

## तालिका

वर्ष १९६२ में जिन छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षा की गई उनका संस्थावार विवरण इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| १—एस० वी० इन्टर कालेज, बरेली .. .. .. | १०५ |
| २—डी० ए० वी० इन्टर कालेज, बरेली .. .. .. | ५८ |
| ३—ब्वाएज किश्चियन इन्टर कालेज, बरेली .. .. .. | ८३ |
| ४—बरेली कालेज माडेल स्कूल, बरेली .. .. .. | ८८ |
| योग .. | ३३४ |
| विशेष रूप से परीक्षित छात्रों की संख्या .. .. .. | ४ |
| परीक्षित एन० सी० सी० कैडेट्स की संख्या .. .. .. | २१२ |
| परीक्षित ए० सी० सी० कडेट्स की संख्या .. .. .. | १ |
| नार्मल स्कूल में प्रवेश के लिये परीक्षित अभ्यर्थियों की संख्या .. .. | ३ |
| कुल योग .. | ५५४ |

वर्ष १९६२ में जिन छात्रों की चिकित्सा की गई उनकी संस्थाओं का विवरण नीचे दिया है:—

| | नये रोगी | पुराने रोगी |
|---|---|---|
| १—एफ० आर० इस्लामियां इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ८७ | १९७ |
| २—के० डी० ई० एम० इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ५७ | ५४ |
| ३—एस० वी० इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ९६ | २५६ |
| ४—आजाद इन्टर कालेज, बरेली .. .. .. | १८ | १४ |
| ५—बरेली कालेज माडेल जूनियर हाई स्कूल, बरेली .. | ९ | १३ |
| ६—तिलक इन्टर कालेज, बरेली .. .. .. | १६ | ३७ |
| ७—मनोहर भूषण इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ४१ | ३४ |
| ८—ब्वाएज क्रिश्चियन इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ५१ | ९९ |
| ९—डी० ए० वी० इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ५२ | १३४ |
| १०—गुलाब राय इन्टर कालेज, बरेली .. .. | २७ | ३७ |
| ११—विष्णु विद्यालय इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ३२ | ८० |
| १२—राजकीय इन्टर कालेज, बरेली .. .. | १८ | २२ |
| १३—रेलवे हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली .. .. | ६ | २ |
| १४—महात्मा गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली .. .. | ४ | ७ |
| योग .. | ५१४ | ९८६ |

वर्ष १९६३ में जिन छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षा की गई उनका संस्थावार विवरण इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| १—एस० वी० इन्टर कालेज, बरेली .. .. .. | ६४ |
| २—डी० ए० वी० इन्टर कालेज, बरेली .. .. .. | ३७ |
| ३—ब्वाएज क्रिश्चियन इन्टर कालज, बरेली .. .. .. | ७८ |
| ४—एफ० आर० इस्लामियां इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ६० |
| ५—के० डी० ई० एम० इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ५५ |
| ६—महात्मा गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली .. .. | २३ |
| ७—राजकीय इन्टर कालेज, बरेली .. .. .. | १८४ |
| योग .. | ५०१ |
| विशेष रूप से परीक्षित छात्रों की संख्या .. .. .. | ४ |
| परीक्षित एन० सी० सी० कैडेट्स की संख्या .. .. .. | ८३ |
| कुल योग .. | ५८८ |

वर्ष १९६३ में जिन छात्रों की चिकित्सा की गई उनकी संस्थाओं का विवरण नीचे दिया है :—

| | नये रोगी | पुराने रोगी |
|---|---|---|
| १—एफ० आर० इस्लामिया इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ११७ | २५९ |
| २—डी० ए० वी० इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ५० | १३२ |
| ३—एस० वी० इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ३४ | ५३ |
| ४—के० डी० ई० एम० इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ४५ | ३९ |
| ५—राजकीय इन्टर कालेज, बरेली .. .. | २७ | ३८ |
| ६—ब्वाएज क्रिश्चियन इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ४६ | १२० |
| ७—आजाद इन्टर कालेज, बरेली .. .. .. | ७ | १९ |
| ८—तिलक इन्टर कालेज, बरेली .. .. .. | ११ | २३ |
| ९—मनोहर भूषण इन्टर कालेज, बरेली .. .. | १२ | १४ |
| १०—गुलाब राय इन्टर कालेज, बरेली .. .. | २१ | ६० |
| ११—विष्णु विद्यालय इन्टर कालेज, बरेली .. .. | ३३ | ८१ |
| १२—महात्मा गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली .. | ३ | ७ |
| १३—गुरू नानक पंजाबी खालसा हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली .. | १ | ६ |
| १४—गुरू नानक खालसा हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली .. | १ | ६ |
| १५—हाफिज सिद्दीक पंजाबी जूनियर हाई स्कूल, बरेली .. | २ | — |
| १६—राजकीय माडेल जूनियर हाई स्कूल, बरेली .. .. | २ | ६ |
| १७—बरेली कालेजिएट माडेल जूनियर हाई स्कूल .. .. | ७ | ५ |
| योग .. | ४१९ | ८६८ |

## नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ. १००९ पर ]

जिला बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद टाउन में जी० टी० रोड पर १९६३ के बाद से ३१-३-१९६५ तक अनधिकृत अतिक्रमणों की सूची।

| क्रम-संख्या | अतिक्रमण करने वाले का नाम | अतिक्रमण का रूप |
|---|---|---|
| अस्थायी अतिक्रमण | | |
| १ | व्यापारी मोटर ट्रान्सपोर्ट यूनियन .. .. | छप्पर |
| २ | किशन लाल व० राम स्वरूप .. .. | छप्पर दूकान के सामने |
| ३ | डालू व० दुर्गा सिंह .. .. .. | लकड़ी की दूकान |
| ४ | छम्मन .. .. .. | तख्त |
| ५ | अब्दुल मजीद व० मु० सद्दीक .. .. | लकड़ी की दूकान |
| ६ | हर स्वरूप .. .. .. | लकड़ी की दूकान और छप्पर |
| ७ | झम्मन व० मुंशी .. .. .. | छप्पर दूकान के सामने |
| ८ | मोहन व० भगवान दास .. .. .. | छप्पर दूकान के सामने |
| ९ | फतेह चन्द्र व० जगरामसिंह .. | छप्पर दूकान के सामने |
| १० | मुन्ना लाल व० नैन सुखदास .. .. | मकान के सामने छप्पर |
| ११ | सोहन व० कल्लन .. .. .. | लकड़ी की दूकान |
| १२ | डाल चन्द व० गोपाल .. .. .. | लकड़ी की दूकान |
| १३ | हरिदास व० राम स्वरूप .. .. .. | लकड़ी की दूकान |
| १४ | मुन्शी व० हीरा .. .. .. | लकड़ी की दूकान |
| स्थायी अतिक्रमण | | |
| १५ | श्रीमती जगरानी देवी .. .. .. | मकान व दूकान |

संसद पुस्तकालय

# नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११०२ पर ]

| नाम लेखपाल | क्षेत्र संख्या | नाम लेखपाल | क्षेत्र संख्या |
|---|---|---|---|
| १—श्री गोरखनाथ लाल .. | १ | २६—श्री उमाशंकर सिंह . | ९४ |
| २—श्री नवाब चन्द्र .. | ७ | २७—श्री हरिशंकर लाल .. | ९६ |
| ३—श्री इन्द्रासन लाल .. | ९ | २८—श्री राम नगीना लाल .. | ९७ |
| ४—श्री गौरीशंकर लाल .. | १५ | २९—श्री शिवपूजन लाल .. | ७४ |
| ५—श्री बल्देव प्रसाद .. | १६ | ३०—श्री गुलाब लाल .. | ७५ |
| ६—श्री विश्वनाथ लाल .. | २२ | ३१—श्री दयानन्द लाल .. | ७६ |
| ७—श्री जीतन पाठक .. | २४ | ३२—श्री सुरेन्द्र लाल .. | ७७ |
| ८—श्री कैलाश पाण्डे .. | २७ | ३३—श्री राम गोपाल लाल .. | ७८ |
| ९—श्री सर्वदेव उपाध्याय .. | २८ | ३४—श्री राम प्रसाद लाल .. | ७९ |
| १०—श्री हरिश्चन्द्र लाल .. | २९ | ३५—श्री स्वामीनाथ लाल .. | ८० |
| ११—श्री सर्वाकार पाण्डे .. | ३० | ३६—श्री परसादी लाल .. | ८१ |
| १२—श्री मोहम्मद इसराइल .. | ३१ | ३७—श्री जसोदा लाल .. | ८२ |
| १३—श्री कौल किशोर .. | ३२ | ३८—श्री अब्दुल गनी .. | ८३ |
| १४—श्री श्याम सुन्दर .. | ३३ | ३९—श्री कपिलदेव लाल .. | ८६ |
| १५—श्री जगदम्बा प्रसाद .. | ३७ | ४०—श्री बृजबिहारी लाल .. | ८७ |
| १६—श्री जयनारायण दूबे .. | ४० | ४१—श्री लल्लन लाल .. | ८८ |
| १७—श्री कैलाश लाल .. | ४१ | ४२—श्री फूलचन्द्र .. | ८९ |
| १८—श्री गोपी कृष्ण .. | ४२ | ४३—श्री सुदर्शन प्रसाद .. | ९१ |
| १९—श्री सूर्यबली प्रसाद .. | ४४ | ४४—श्री बलभद्र .. | ९२ |
| २०—श्री राम विलास .. | ४७ | ४५—श्री राजेन्द्र .. | ९३ |
| २१—श्री केशो लाल .. | ५० | ४६—श्री वशिष्ठ शुक्ल .. | १०० |
| २२—श्री लक्षेवर गुप्ता .. | ५१ | ४७—श्री रामदास .. | १०६ |
| २३—श्री बैजनाथ लाल .. | ५७ | ४८—श्री द्वनाथ सिंह .. | १०७ |
| २४—श्री रामाश्रय .. | ६१ | ४९—श्री कुबेर लाल .. | १०९ |
| २५—श्री मुन्नी सिंह .. | ६६ | | |

## नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ. १०१९ पर ]

### सूची 'क'

उन छात्रों के नाम जिन्हें १९६३–६४ में स्वीकृत छात्रवृत्ति की धनराशि नहीं दी गई।

१—श्री राम नाथ, जूनियर हाई स्कूल, बरपुर ।
२—श्री देवी प्रसाद, जूनियर हाई स्कूल, सोनहिता ।
३—श्री माता प्रसाद, जूनियर हाई स्कूल, घनश्यामपुर ।
४—श्री रंगराज, जूनियर हाई स्कूल, घनश्यामपुर ।
५—श्री श्रीराम यादव, जूनियर हाई स्कूल, घनश्यामपुर ।
६—श्री जयनाथ निगम, जूनियर हाई स्कूल, बरपुर ।
७—श्री ललई राम, जूनियर हाई स्कूल, बरपुर ।
८—श्री श्रीनारायण सिंह, जूनियर हाई स्कूल, बसोली ।
९—श्री हरीशंकर, जूनियर हाई स्कूल, बसोली ।
१०—कुमारी कलावती देवी, जूनियर हाई स्कूल, चन्दवक ।
११—श्री राजधारी, जूनियर हाई स्कूल, रामपुर ।
१२—श्री राजेन्द्र प्रसाद, जूनियर हाई स्कूल, रामपुर ।
१३—श्री रामजीत, जूनियर हाई स्कूल, नेहरूनगर ।

### सूची 'ख'

उन छात्रों के नाम जिन्हें १९६४–६५ में स्वीकृत छात्रवृत्ति की धनराशि नहीं दी गई।

| छात्र का नाम | कक्षा | विद्यालय |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| **तृतीय पंचवर्षीय योजना :** | | |
| १—राजनाथ .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, घनश्यामपुर |
| २—राजदेव पाल .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, बेलवा |
| ३—राज किशोर मौर्य .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, तियरा |
| ४—अंजनी कुमार .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, सुइंथाकलां |
| ५—शीतला प्रसाद .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, घघरिया |
| ६—नन्हकू .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, मुस्तफाबाद |
| ७—मु० युसूफ .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, श्रीकृष्ण नगर |
| ८—राम जीत .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, नेहरू नगर |
| ९—जगदीश चन्द्र उपाध्याय | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल तियरा |

| छात्र का नाम | कक्षा | विद्यालय |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना :— | | |
| १—जमुना प्रसाद .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, कुरनी । |
| २—राजाराम दुबे .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, घनश्यामपुर । |
| ३—ओम प्रकाश सिंह .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, घनश्यामपुर । |
| ४—ओम प्रकाश सिंह .. | .. ६ | जूनियर हाई स्कूल, कुरनी । |
| तृतीय पंचवर्षीय योजना : | | |
| १—रामधारी .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, रामपुर । |
| २—राजेन्द्र प्रसाद .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, रामपुर । |
| ३—अमर बहादुर सिंह .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, श्रीकृष्ण नगर । |
| ४—रामजीत .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, नेहरू नगर । |
| ५—राम मिलन .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, भागमलपुर । |
| ६—भानु प्रताप पान्डे .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, शाहगंज । |
| ७—अमरेन्द्र कुमार .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, सुजानगंज । |
| ८—दयाराम पाल .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, कुरनी । |
| ९—शिव प्रकाश .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, बरिमानपुर । |
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना | | |
| १—जोखन राम .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, श्रीकृष्णनगर । |
| २—बुधिराम .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, शाहगंज । |
| ३—जीतेन्द्र बहादुर .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, श्रीकृष्णनगर । |
| ४—बाबूराम यादव .. | .. ७ | जूनियर हाई स्कूल, धरमापुर । |
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना | | |
| १—रमा शंकर .. | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, बेहड़ा । |
| २—श्री प्रकाश सिंह .. | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, कुरनी । |
| ३—सुबाष मिश्र .. | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, गभिरन । |
| ४—प्रेम बाला .. | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, धर्मापुर । |
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना | | |
| १—शेष नाथ सिंह .. | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, सोनहिता । |
| २—रामा पति तिवारी | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, तियरा । |
| ३—माता प्रसाद .. | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, घनश्यामपुर । |
| ४—चन्द्रभान सिंह .. | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, सोइथा कलां । |
| ५—श्री राम यादव .. | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, घनश्यामपुर । |
| ६—जयश्री .. | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, कुरनी । |
| ७—शशिकान्त दुबे .. | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, श्रीकृष्णनगर । |
| ८—रंगराज दुबे .. | .. ८ | जूनियर हाई स्कूल, घनश्यामपुर |

| छात्र का नाम | कक्षा | विद्यालय |
|---|---|---|
| | २ | २ |
| ९—रामसम्भीर .. .. | ८ | जूनियर हाई स्कूल, सोइथा कलां । |
| १०—सुरेन्द्र प्रताप .. .. | ८ | जूनियर हाई स्कूल, कुरनी । |
| ११—उर्मिला देवी .. .. | ८ | जूनियर हाई स्कूल, कुरनी । |
| तृतीय पंच वर्षीय योजना | | |
| १—जोगेश दत्त पान्डे .. .. | ८ | जूनियर हाई स्कूल, घनश्यामपुर । |
| तृतीय पंचवर्षीय योजना | | |
| १—फूलचन्द .. .. | ८ | जूनियर हाई स्कूल, कुरनी । |
| २—हरिश्चन्द .. .. | ८ | जूनियर हाई स्कूल, धर्मापुर । |
| ३—सियाराम .. .. | ८ | जूनियर हाई स्कूल, सुजानगंज । |
| ४—बिजय शंकर .. .. | ८ | जूनियर हाई स्कूल, बेलवार । |
| ५—प्रेम कृष्ण सिंह आजाद सत्रु अजाना .. | ८ | जूनियर हाई स्कूल, सोइथा कलां । |
| ६—बेला देवी .. .. | ८ | जूनियर हाई स्कूल, सोइथा कलां । |
| ७—शशि नारायण त्रिपाठी .. | ८ | हायर सेकेन्डरी स्कूल, करोकत । |

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१० पर)

दिनांक १–७–६३ से २२–१२–६४ तक अवकाश प्राप्त करने वाले अध्यापकों तथा उनके प्रावीडेंट फंड की धनराशि की सूची।

| क्रमांक | नाम अध्यापक | प्रावीडेन्ट फंड की धनराशि | क्रमांक | नाम अध्यापक | प्राविडेन्ट फंड की धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रु० | | | रु० |
| १ | श्री बैज नाथ सिंह | ६२३.७८ | २८ | श्री राम आधार यादव | ८६०.३६ |
| २ | श्री राम यतन लाल | ९९३.९१ | २९ | श्री गनपति राम | १०६०.८० |
| ३ | श्री देवदत्त सिंह | १०८८.३३ | ३० | श्री राम उग्रह सिंह | १०१४.६० |
| ४ | श्री धनेश्वर पांडे | १०६५.०६ | ३१ | श्री लक्ष्मी नारायन सिंह | १०३८.५६ |
| ५ | श्रीवंश गोपाल पांडे | ६८९.३४ | ३२ | श्री मंगला प्रसाद | १७७१.२० |
| ६ | श्री रामानन्द लाल | १०२२.५३ | ३३ | श्री राम वरन | ८६४.२१ |
| ७ | श्री बासदेव सिंह | ८६५.१६ | ३४ | श्री अब्दुल कदीर | १०२४.७६ |
| ८ | श्री शिव नाथ सिंह | १०३४.७८ | ३५ | श्री सहदेव प्रसाद | १०३३.०७ |
| ९ | श्री बलजीत सिंह | ८८४.६५ | ३६ | श्री दरबारी सिंह | १०३४.३७ |
| १० | श्री सूर्यबली पांडे | १९९२.९५ | ३७ | श्री दशरथ सिंह | ९९४.९४ |
| ११ | श्री अब्दुर्रहमान | १५३७.५२ | ३८ | श्री सरजू सिंह | १०१५.५० |
| १२ | श्री मुहम्मद जहूर | ९४७.५७ | ३९ | श्री राम बचन सिंह | १०४०.१६ |
| १३ | श्री अर्जुन सिंह | १०४४.४३ | ४० | श्री मारकन्डे सिंह | ९७९.०३ |
| १४ | श्री नजीर अहमद | २१८२.३३ | ४१ | श्री अम्बिका सिंह | ६५४.९० |
| १५ | श्री श्यामदत्त तिवारी | ९५४.५४ | ४२ | श्री सदानन्द मिश्र | ६५०.६६ |
| १६ | श्री दलसिंगार सिंह | १०४७.११ | ४३ | श्री भरत तिवारी | १७१६.९७ |
| १७ | श्री हिसामुद्दीन | १११८.३२ | ४४ | श्री मंगरू दुबे | १०३२.४५ |
| १८ | श्री राजपति राय | ८३४.३५ | ४५ | श्री रघुनाथ प्रसाद राय | १६२५.७४ |
| १९ | श्री महेश्वरी प्रसाद चौबे | ९९६.२६ | ४६ | श्री मारकन्डे सिंह | १०९५.७८ |
| २० | श्री राम बली सिंह | ९९४.९४ | ४७ | श्रीं मानकी प्रसाद | ६१५.१६ |
| २१ | श्री रामदयाल सिंह | १००२.८० | ४८ | श्री छेदु पांडे | ९९१.१४ |
| २२ | श्री राजाराम सिंह | १०३०.३२ | ४९ | श्री सम्पत्ति सिंह | ९९६.८८ |
| २३ | श्री राम अवध राय | १०३९.०३ | ५० | श्री बृजभूषण लाल | २४३६.०७ |
| २४ | श्री विशेश्वर राय | १०२३.०५ | ५१ | श्री रामबदन सिंह | १०४७.७३ |
| २५ | श्री रामदास मिश्र | १११८.२९ | ५२ | श्री मुहम्मद सफी | १०९६.९८ |
| २६ | श्री अर्जुन सिंह माधव सिंह | ९८६.८३ | ५३ | श्री ठाकुर सिंह | १०४९.६१ |
| २७ | श्री रामबली पाठक | ९२४.५१ | | | |

नोट—क्रमांक ५ तथा ६ पर उल्लिखित अध्यापकों के मूलधन का भुगतान दिनांक २४–३–६५ तथा १५–४–६५ को कर दिया गया है क्योंकि इन अध्यापकों ने प्रार्थना की थी कि उन्हें मूलधन दे दिया जाय, सूद की रकम वे बाद में ले लेंगे।

## नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४–५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२१ पर)

सूची 'क'

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित जिला बुलन्दशहर के सड़क निर्माण कार्यों की सूची।

चालू योजना

| कार्य का नाम | तृतीय पंच वर्षीय आयोजना में सम्मिलित लम्बाई मील | फर्लांग | फीट | अनुमानित व्यय (लाख रुपयों में) | कार्य आरम्भ हुआ या नहीं | कार्य पूर्ण होने का संभावित समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (क) नव सड़क निर्माण | | | | | | |
| (१) दादरी रेलवे स्टेशन से सूरजपुर छलेरा मार्ग। | ६ | ४ | ० | ५,७२,६९७ | कार्य हो रहा है | १९६६ के अन्त तक। |
| (२) शिकारपुर दादरी डेवाई मार्ग। | ० | ६ | ० | १,२५,३२६ | .. | पूर्ण हो गया है। |
| (ख) सुधार तथा पुर्ननिर्माण | | | | | | |
| (१) बुलन्दशहर स्याना गढ़ मार्ग/मील ९,१०,११,१२ २१,२२,२३ (सुधार)। | ६ | ० | ० | १,३८,००० | .. | पूर्ण हो गया है। |
| (२) बुलन्दशहर शिकारपुर मार्ग (पुर्ननिर्माण)। | १३ | ५ | ० | ३,०७,५०० | .. | पूर्ण हो गया है। |
| (३) अतूरौली रामघाट मार्ग (पुर्ननिर्माण) | .. | | | २९,८९१ | .. | पूर्ण हो गया है। |

तृतीय पंच वर्षीय आयोजना में सम्मिलित जिला बुलन्दशहर के सड़क निर्माण कार्यों की सूची।

नई योजनाएं

| कार्य का नाम | स्वीकृत लम्बाई मी० | फ० | फी० | स्वीकृत लागत (लाख रु० में) | कार्य आरम्भ हुआ या नहीं | कार्य पूर्ण होने का संभावित समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (अ) नव सड़क निर्माण | | | | | | |
| (१) जहांगीराबाद अहार मार्ग | ११ | ३ | ० | ९,९५,००० | कार्य हो रहा है | दिसम्बर, १९६६ |
| (२) सिकन्दराबाद, झांभर मार्ग | १२ | ० | ० | ६,७०,२५० | कार्य हो रहा है। | दिसम्बर, १९६६ |

| कार्य का नाम | स्वीकृत लम्बाई मी० फ० फी० | | | स्वीकृत लागत (लाख रु० में) | कार्य आरम्भ हुआ या नहीं | कार्य पूर्ण होन का संभावित समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ब) पुनर्निर्माण तथा सुधार | | | | | | |
| (क) सुधार तथा आधुनीकरण | | | | | | |
| (१) बुलन्दशहर-स्याना गढ़ | ८ | ० | ० | २,५०,००० | कार्य हो रहा है। | ३० जून, १९६५ |
| (२) जी० टी० रोड ( मील ८१९ से ८२१ )। | ३ | ० | ० | १,९२,००० | कार्य हो रहा है। | ३० जून, १९६५। |
| (३) मेरठ बुलन्दशहर मार्ग | ११ | ६ | ० | ७,११,००० | कार्य हो रहा है। | ३० जून, १९६६ |
| (४) बुलन्दशहर अनूपशहर | ११ | ० | ० | २,४०,००० | .. | पूर्ण हो गया है। |
| (५) अलीगढ़ अनूपशहर .. | ३ | २ | ० | १,६९,२०० | कार्य हो रहा है। | ३०-६-६५ |
| (ख) ट्रंक सड़कों के निचले भाग को ऊंचा व मजबूत करना। जी० टी० रोड (मील ८६५ और ८६९ )। | २ | ० | ० | १,३५,२०० | .. | पूर्ण हो गया |
| (ग) प्रधान मार्गों को मजबूत करना। जी० टी० रोड (मील ८२४, ८२५, ८३०, ८३५) | ४ | ० | ० | ६२,००० | कार्य हो रहा है। | जून, १९६५ |
| (घ) भारी यातायात मीलों का सुधार। | | | | | | |
| (१) जी० टी० रोड .. | १८ | ० | ० | १०,५३,००० | कार्य हो रहा है। | दिसम्बर, १९६६ |
| (२) मेरठ बुलन्दशहर मार्ग (मील ४१, ४२ तथा अन्य मील) | १२ | ० | ३३० | २,७६,००० | कार्य हो रहा है | दिसम्बर, १९६६ |
| (ङ) खास खास ( Arterial Roads) सड़कों का सुधार जो वर्षा काल में खराब हो जाती है। | .. | | | ४,०५,००० | कार्य हो रहा है। | जून, १९६५ |

## नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२४ पर )

अमौली चांदपुर बरवा शहबाजपुर
मार्ग ग्रामों तथा प्रतिकर की सूची

| क्रम-संख्या | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | स्थायी क्षेत्रफल एकड़ में | स्थायी प्रतिकर रु० | अस्थायी क्षेत्रफल एकड़ में | अस्थायी प्रतिकर रु० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | फतेहपुर .. | बिन्दकी | कोड़ा | मदरी | ७.३९ | १३७०.२० | १६.८३ | ३२४.२१ |
| २ | ,, | ,, | ,, | गांगपुर | ७.०१५ | १२९७.०० | ५.५२ | ६८.४७ |
| ३ | ,, | ,, | ,, | गोविन्दपुर बिलारी | १.११ | २७३.८० | ०.८० | ९.५२ |
| ४ | ,, | ,, | ,, | सठिगवां | १.२२ | ३७८.०० | ०.९२ | ३४.१३ |
| ५ | ,, | ,, | ,, | कौहं | ०.३६ | १११.०० | ०.९० | १२.६० |
| ६ | ,, | ,, | ,, | रामपुर कुरमी | ०.६९ | १८९.६० | १.६२ | ३२.५८ |
| ७ | ,, | ,, | ,, | सालेहपुर | ७.७६ | १९०१.७८ | ५.७४ | १००.२९ |
| ८ | ,, | ,, | ,, | बुढन्दा | ७.८५ | २२३४.४० | ६.६१ | १२०.७१ |
| ९ | ,, | ,, | ,, | मेंहेन्दिया | ३.२९ | ५०८.०० | २.५७ | ३७.८९ |
| १० | ,, | ,, | ,, | चांदपुर | ६.८१ | ८५६.८० | ८.५६ | ११ ५.१२ |
| ११ | ,, | ,, | ,, | गोपालपुर धौरहरा | ३.४० | ३७४.०० | ५.२० | ६१.६९ |
| १२ | ,, | ,, | ,, | मऊदेव | १३.५७ | २३८४.८० | १०.२६ | ११८.८७ |
| १३ | ,, | ,, | टप्पाजा | रेवरी | १०.९३५ | २३४१.७५ | ९.२६ | १५१.८५ |
| १४ | ,, | ,, | ,, | मदुरी | २.६६ | ६३७.०० | ३.११ | ४४.२२ |
| १५ | ,, | ,, | ,, | सिचौली | ७.७८ | १३१०.८० | ३.४७ | ५२.२० |
| १६ | ,, | ,, | ,, | तेन्दुलीलाखीपुर | ६.७५ | १०४६.६० | ८.२५ | ९८.८० |
| १७ | ,, | ,, | ,, | इटरा | १०.६५५ | १५९२.८० | १२.०० | १७३.७१ |
| १८ | ,, | ,, | ,, | गढ़ी | १०.०० | १५९३.६० | ९.७६ | १३८.५८ |
| १९ | ,, | ,, | ,, | भीखनपुर | ०.६८ | १५३.६० | १.६८ | ४२.२८ |
| २० | ,, | ,, | कोड़ा | पहाड़पुर बटगवां | ६.५०५ | १३१२.८० | ४.०९ | ४२.७६ |
| | | | | योग .. | ११६.४३० | २१८६८.३३ | ११७.१५ | १७८०.४८ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२६ पर)

## तालिका 'क'

बाराबंकी जनपद में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची, उनके स्थान तथा उनमें विज्ञान में शिक्षा की सुविधा।

| क्रमांक | नाम विद्यालय | स्थान | क्या विज्ञान वर्ग में मान्यता प्राप्त है | |
|---|---|---|---|---|
| | | | हाई स्कूल | इंटर |
| १ | राजकीय इंटर कालेज, (बालक) | बाराबंकी | है | है |
| २ | राजकीय इन्टर कालेज, (बालिका) | बाराबंकी | नहीं | नहीं |
| ३ | निब्लेट इन्टर कालेज .. | बाराबंकी | है | है |
| ४ | हिन्दू इन्टर कालेज .. | रूदौली | है | है |
| ५ | सिटी इन्टर कालेज .. | बाराबंकी | है | है |
| ६ | नेशनल इन्टर कालेज .. | तहसील फतेहपुर | है | नहीं |
| ७ | रफी मेमोरियल इन्टर कालेज .. | मसौली | है | नहीं |
| ८ | यूनियन इन्टर कालेज .. | रामनगर | है | नहीं |
| ९ | पी० पी० इन्टर कालेज .. | रामसनेही घाट | है | नहीं |
| १० | फतेह चन्द्र इन्टर कालेज .. | सफदरगंज | है | नहीं |
| ११ | वारसो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | देवा | है | .. |
| १२ | राष्ट्रीय उ० मा० विद्यालय .. | रमापुर | नहीं | .. |
| १३ | सार्वजनिक उ० मा० विद्यालय | हैदरगढ़ | नहीं | .. |
| १४ | जनपद उ० मा० विद्यालय .. | हरख | है | .. |
| १५ | हायर सेकेन्डरी स्कूल .. | दरियाबाद | नहीं | .. |
| १६ | नेशनल उ० मा० विद्यालय .. | रूदौली | नहीं | .. |
| १७ | सत्यनामी उ० मा० विद्यालय .. | शुक्लापुर | है | .. |

## तालिका 'ख'

### विज्ञान वर्ग में मान्य विद्यालयों की सूची तथा विज्ञान विषय पढ़ने वाले बालक व बालिकाओं की संख्या

| क्रमांक | नाम विद्यालय | विज्ञान शिक्षण प्राप्त करने वाले बालक व बालिकाओं की संख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कक्षा ९ | | कक्षा १० | | कक्षा ११ | | कक्षा १२ | |
| | | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| १ | राजकीय इंटर कालेज (बालक) बाराबंकी। | १३० | ३ | ११७ | १ | ११९ | २ | ११२ | १ |
| २ | निव्लेट इन्टर कालेज, बाराबंकी। | ११५ | .. | ९८ | .. | ९२ | .. | १२७ | .. |
| ३ | सिटी इं० का० बाराबंकी | ७० | .. | ३४ | .. | ४४ | .. | .. | .. |
| ४ | हिन्दू इं० का० रूदौली | १०२ | १ | ८९ | .. | १८ | .. | ३३ | .. |
| ५ | नेशनल इं० का० तहसील फतेहपुर। | ४५ | .. | ४५ | .. | .. | .. | .. | .. |
| ६ | यूनियन इं० का० राम नगर। | ४५ | .. | ३९ | .. | .. | .. | .. | .. |
| ७ | सफी मोमोरियल इं० का० मसौली। | १० | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ८ | पी० पी० इं० काले० राम सनेहीघाट। | ४८ | .. | ५४ | .. | .. | .. | .. | .. |
| ९ | फतेह चन्द इन्टर कालेज सफदर गंज । | ३५ | .. | ३६ | .. | .. | .. | .. | .. |
| १० | वारसी उ० मा० वि० देवा। | ४७ | .. | ३२ | .. | .. | .. | .. | .. |
| ११ | जनपद उ० मा० वि० हरख। | ४१ | .. | १९ | .. | .. | .. | .. | .. |
| १२ | सत्यनामी उ० मा० वि० शुक्लापुर। | २२ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | योग .. | ७१० | ४ | ५६३ | १ | २७३ | २ | २७२ | १ |

नोट--(१) क्रमांक ३ के इन्टर विज्ञान के विद्यार्थी बोर्ड की १९६६ की परीक्षा में सम्मिलित होंगे ।

(२) क्रमांक ७ तथा १२ के विद्यार्थी विज्ञान की १९६६ की हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२६ पर)

### जिला पररिषद्, सहारनपुर द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्माण हेतु प्राप्त नई सड़कों तथा पुलों की प्राथमिकतानुसार सूची।

१—मंगलौर से लखनौती (अ) मंगलौर देवबन्द ८ मील (ब) देवबन्द नानौता गंगोह १० मील (स) गंगोह से लखनौती ४ मील ।

२—बहेट शाकुम्बर देवी सड़क १०—३१ मील ।

३—सीड़की झबरेड़ा मंगलौर सड़क १५ मील ।

४—लखसर सन्ढौरा ७ मील ।

५—चिलकाना नेकुड़ वाया सरसावा १५ मील ।

६—भगवानपुर गलहेड़ी १० मील ।

७—बिहारी गढ़ पिरान कलियर ।

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

# नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ व ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२८ पर)

## तारांकित प्रश्न संख्या ४१–४२ के उत्तर में उल्लिखित सूची

आजमगढ़ कलक्टरी में निम्नलिखित सात ऐसे व्यक्ति हैं जो १० वर्ष से अधिक समय से अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं :—

१—श्री बद्री सिंह,
२—श्री दीवान मुमताज,
३—श्री आफताब अहमद,
४—श्री रामबरन सिंह,
५—श्री रामानन्द लाल,
६—श्री फूल चन्द वर्मा,
७—श्री गौरी शंकर लाल,

## उपरोक्त ७ कर्मचारियों के शैक्षिक योग्यता से छूट दिए जाने तथा स्थायीकरण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण।

सर्वश्री बद्री सिंह व दीवान मुतमाज—इनके विषय में अस्थायी नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता से छूट दिये जाने के विषय में शासन द्वारा विशिष्ट आदेश किये गये थे। अब शासन के १८,११, ६४ के व्यापक आदेशों के अनुसार इन लिपिकों को स्थायीकरण के समय पुनः शैक्षिक योग्यता से छूट दिये जाने के लिये शासन के आदेशों की आवश्यकता नहीं है तथा इस संबंध में जिलाधीश कथित आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री आफताब अहमद—इन्हें भी अस्थायी नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यदा से छूट दिये जाने के विशिष्ट आदेश किये गये थे। इनका सेवा अभिलेख सन्तोषजनक न होने के कारण इन्हें स्थायी नियुक्ति के लिये योग्य नहीं समझा गया। अतः इन्हें स्थायी करने का प्रश्न हीं नहीं उठता और यह अस्थायी पदों पर कार्य करते रहेंगे।

सर्वश्री राम बरन सिंह, रामानन्द लाल, व फूल चन्द वर्मा—यह बन्दोबस्त के भूतपूर्व अर्हताहीन कर्मचारी हैं। इनको कलक्टरी में अस्थायी पदों पर नियुक्ति आदेश नहीं दिये गये थे। ऐसे कर्मचारियों को अस्थायी पदों पर काम करते रहने के व्यापक आदेश दिये गये थे जिनके अन्तर्गत यह अस्थायी पदों पर कार्य करते आ रहे हैं। इन कर्मचारियों के मामले १८, ११, ६४ को निर्गत किये गये व्यापक आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इन्हें स्थायी नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता से छूट दिये जाने के प्रश्न पर निर्णय होने के उपरान्त ही इन्हें स्थायी करने के लिये जिलाधीश द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री गौरी शंकर लाल—अस्थायी नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता से छूट दिये जाने के प्रस्ताव के सिलसिले में शासन ने इन्हें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिये दो वर्ष का समय दिया था परन्तु किन्हीं परिस्थितियों वश यह हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके। अब इनका स्थायी नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता से छूट दिये जाने का मामला शासन के पुनः विचाराधीन है। यदि इन्हें शैक्षिक योग्यता से छूट देने योग्य समझा गया तो ज्येष्ठता के अनुसार इनका नम्बर आने पर इन्हें स्थायीकरने के विषय में जिलाधीश द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

## नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२९ पर)

देवरिया जिले में वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में पक्की बनाई गई सड़कों का विवरण ।

| सड़क का नाम | लम्बाई जो पक्की की गई मील फ० |
|---|---|
| १—बरहज लार सड़क .. .. .. | ०—४ |
| २—देवरिया हाटा सड़क .. .. .. | ३—२ |
| ३—कैप्टेनगंज पिपराइच .. .. .. | ६—० |
| ४—मझोली सलेमपुर सड़क .. .. .. | ०—२ |
| ५—भटनी बेलवा अफगान सड़क.. .. .. | ३—४ |
| ६—मझौली भीखा सड़क .. .. .. | ०—१ |

विधान सभा पुस्तकालय

# नत्थी 'ठ'

(देखिये ताराँकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३४ पर)

## शीत लहरी एवं पाले से क्षतिस्वरूप रबी १३७१ फसली में स्वीकृत की गई मालगुजारी की छूट की तालिका

| जिला | | स्वीकृत की गई छूट | |
|---|---|---|---|
| | | मालगुजारी | लगान |
| | | रु० | रु० |
| १—देहरादून | .. | ५,१७०.१६ | ३२.६८ |
| २—सहारनपुर | .. | ११,१९,५०९.२५ | ८,७२८.६९ |
| ३—मुजफ्फरनगर | .. | ६३,९३९.४९ | .. |
| ४—मेरठ | .. | १,२६,३६२.८४ | .. |
| ५—बुलन्दशहर | .. | ६,०१,१७७.५३ | .. |
| ६—अलीगढ़ | .. | ३५,५७८.३६ | २३.७१ |
| ७—मथुरा | .. | १,५९,२०१.२३ | .. |
| ८—आगरा | .. | ५,१०,०७८.०२ | १,९४८.३८ |
| ९—मैनपुरी | .. | २४,१६३.७७ | .. |
| १०—बरेली | .. | ६,९८,१२३.०२ | ३,१६८.४४ |
| ११—बिजनौर | .. | ५,१३,६५६.२० | १,४१६.६६ |
| १२—बदायूं | .. | ५,४०,३४५.०० | .. |
| १३—मुरादाबाद | .. | ५,४३,३८६.६६ | ३३.८७ |
| १४—शाहजहांपुर | .. | ८,८८,२०२.०० | ४८३.०० |
| १५—पीलीभीत | .. | ३,०५,८३४.२० | .. |
| १६—रामपुर | .. | ५,९५,१८३.३८ | ५,४६६.७२ |
| १७—फर्रूखाबाद | .. | २,६४,५२२.५५ | २,२५५.३१ |
| १८—इटावा | .. | २,७५,७३०.६१ | .. |
| १९—कानपुर | .. | ८,८८,१९३.६४ | ४९७.७४ |
| २०—फतेहपुर | .. | ३,१८,८७१.३८ | .. |
| २१—इलाहाबाद | .. | ११,०८,१६८.२९ | .. |
| २२—बांदा | .. | ५,६०,३३३.०० | .. |
| २३—हमीरपुर | .. | १,८५,६२०.६९ | ४४६.०१ |

| जिला | | स्वीकृत की गई छूट | |
|---|---|---|---|
| | | मालगुजारी | लगान |
| | | रु० | रु० |
| २४---झांसी | .. | ३,७२९.९४ | ३०.१४ |
| २५--जालौन | .. | ११,८६९.९२ | .. |
| २६---वाराणसी | .. | ६,४१२.०९ | .. |
| २७---जौनपुर | .. | १,२०,९०५.२४ | १,३३१.६५ |
| २८---मिर्जापुर | .. | ४४,३२०.८७ | .. |
| २९---बलिया | .. | ३,५८,५९४.४८ | १६,१४१.४५ |
| ३०---गोरखपुर | .. | २,५०,३५६.४० | .. |
| ३१---बस्ती | .. | ११,१४,१६९.६९ | .. |
| ३२---लखनऊ | .. | ६,१८,३४६.४० | ७५,२५९.१३ |
| ३३---उन्नाव | .. | १०,३०,१०९.१९ | २५९.०३ |
| ३४---रायबरेली | .. | ३,६२,०४५.३१ | .. |
| ३५---सीतापुर | .. | २२,५३,०४५.८४ | २,७८२.७८ |
| ३६---हरदोई | .. | १९,६१,१४२.८२ | .. |
| ३७---खीरी | .. | ७,७६,८७०.१४ | १५०.८७ |
| ३८---फैजाबाद | .. | ७,०५,०८३.६२ | १०१.०१ |
| ३९---गोंडा | .. | १७,४६,१३०.५६ | ३७४.०४ |
| ४०---बहराइच | .. | १५,६७,९३६.०९ | .. |
| ४१--सुल्तानपुर | .. | ७,९४,०२५.३७ | ४५.४० |
| ४२---प्रतापगढ़ | .. | ८,७७,६०८.६० | २,५५६.८१ |
| ४३---बाराबंकी | .. | १७,१३,५८१.३५ | ६,३६९.४० |
| योग | .. | २,६६,४७,६३५.१८ | १,२९,९०२.९२ |

## नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३९ पर)

सूची

| क्रम-संख्या | अध्यापक का नाम | वेतन जिसके आधार पर सरकारी ऐड दी जाती है | स्थाई, अस्थाई अथवा पार्ट-टाइम |
|---|---|---|---|
| | | रु० | |
| १ | श्री एच० सी० डे० .. .. | ४०० | स्थाई |
| २ | डा० यू० एन० मुकर्जी .. | २८५ | स्थाई |
| ३ | श्री एच० यू० जमा .. .. | २८५ | स्थाई |
| ४ | श्री एम० एल० शर्मा .. | ४०० | स्थाई |
| ५ | डा० बी० पी० वैश्य .. | ४०० | स्थाई |
| ६ | श्री एस० चन्द्रा .. .. | ३४५ | स्थाई |
| ७ | डा० श्रीमती अग्रवाल .. | २८५ | स्थाई |
| ८ | डा० विद्या मिश्रा .. .. | ४०० | स्थाई |
| ९ | श्री के० आर० तिवारी .. | ३०० | स्थाई |
| १० | श्री आर० के० बनर्जी .. | ३८० | सब्स्टीट्यूट |
| ११ | श्री डी० एन० बोस .. .. | २८० | स्थाई |
| १२ | श्री यू० एस० मिश्रा .. .. | ३८० | स्थाई |
| १३ | श्री ए० के० बनर्जी .. .. | ३८० | स्थाई |
| १४ | श्री बी० बी० सरकार .. | ३६० | स्थाई |
| १५ | डा० एस० सी० लैले .. | १०० | पार्ट-टाइम |
| १६ | श्री एस० एन० मिश्रा .. | १२५ | पार्ट-टाइम |
| १७ | श्री जे० सी० चक्रवर्ती .. | १२५ | पार्ट-टाइम |
| १८ | श्री० बी० के० मौर्य .. .. | २७० | सब्स्टीट्यूट |
| १९ | श्री वी० सान्याल .. .. | २२५ | सब्स्टीट्यूट |
| २० | श्री आर० एन० चौधरी .. | २७० | ,, |

## नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४३ पर।)

| | क्रम-संख्या | स्थानापन्न लेखपालों के नाम | | अस्थायी सेवा-कार्य की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| तहसील फतेहपुर | १ | श्री श्रीपाल | .. | ५ वर्ष |
| | २ | श्री राजबहादुर | .. | ८ वर्ष ६ माह |
| | ३ | श्री देव दत्त | .. | ६ वर्ष ६ माह |
| | ४ | श्रीमहाबीर प्रसाद | .. | ८ वर्ष ६ माह |
| | ५ | श्री रोशन लाल | .. | ४ वर्ष |
| | ६ | श्री रूप सिंह | .. | ४ वर्ष ६ माह |
| | ७ | श्री राधा कृष्ण | .. | ६ वर्ष ६ माह |
| | ८ | श्री कृष्ण कुमार | .. | ४ वर्ष ६ माह |
| | ९ | श्री चन्द्र भूषण | .. | ४ वर्ष |
| तहसील खागा | १ | श्री चन्द्रपाल सिंह | .. | १२ वर्ष |
| | २ | श्री धर्मपाल सिंह | .. | १२ वर्ष |
| | ३ | श्री रंनजीत सिंह | .. | १२ वर्ष |
| | ४ | श्री मंसूर अहमद | .. | १० वर्ष |
| | ५ | श्री रुद्र प्रसाद | .. | १० वर्ष |
| | ६ | श्री ललित प्रसाद | .. | ४ वर्ष |
| | ७ | श्री गंगा सहाय | .. | ५ वर्ष ६ माह |
| | ८ | श्री भगवान दीन | .. | १२ वर्ष |
| | ९ | श्री राम सिंह | .. | ११ वर्ष |
| | १० | श्री गुलाब सिंह | .. | १२ वर्ष |
| तहसील विन्दकी | १ | श्री गौरी शंकर | .. | ५ वर्ष |
| | २ | श्री गजेन्द्रनाथ | .. | ४ वर्ष ६ माह |
| | ३ | श्री जागेश्वर प्रसाद | .. | ४ वर्ष ६ माह |

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५१ एल० ए०—१९६५—८६२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा